IUC ACADEMY
INCLUSIVE UNIVERSAL CAREERS ACADEMY
Learn. Prepare. Progress. • www.iucacademy.com

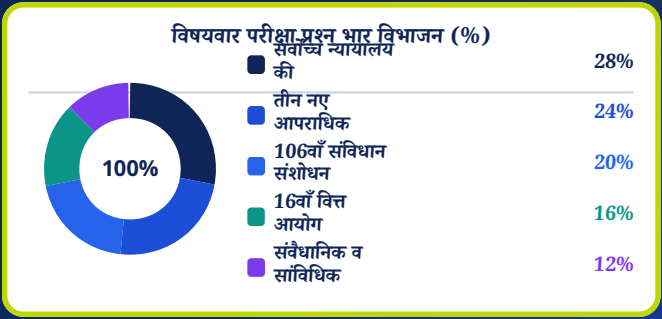
IUC अध्ययन सामग्री

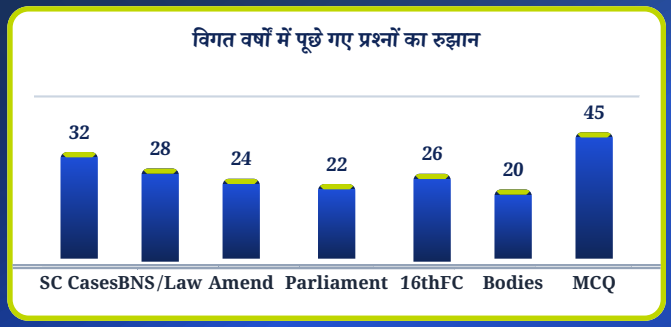
संपूर्ण
पाठ्यक्रम • विस्तृत व्याख्या • तुलनात्मक सारणियाँ • अभ्यास प्रश्न

समसामयिकी 2026 — भारतीय राजव्यवस्था, संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

CURRENT AFFAIRS 2026 — INDIAN POLITY, CONSTITUTION & SUPREME COURT JUDGMENTS

106वाँ संविधान संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों के ऐतिहासिक निर्णय, तीन नए आपराधिक कानून (BNS/BNSS/BSA), जन विश्वास अधिनियम 2026, एक राष्ट्र-एक चुनाव एवं 16वें वित्त आयोग (2026-31) की रिपोर्ट





लक्षित प्रतियोगी, प्रवेश एवं विभागीय परीक्षाएँ

UPSC CSE Prelims & Mains GS-II • State PCS • SSC • Railway • Police SI/Constable • CLAT • Judiciary

इस पुस्तक के प्रमुख खंड एवं परीक्षा प्रश्न भार (%)

- सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों के ऐतिहासिक निर्णय (28%)
- तीन नए आपराधिक कानून (BNS, BNSS, BSA) एवं विधिक सुधार (24%)
- 106वाँ संविधान संशोधन, संसदीय अधिनियम एवं निर्वाचन सुधार (20%)
- 16वाँ वित्त आयोग (2026-31), केंद्र-राज्य संबंध एवं संघवाद (16%)
- संवैधानिक व सांविधिक निकायों के प्रमुख एवं ई-गवर्नेंस 2026 (12%)

संपूर्ण पाठ्यक्रम
NCERT एवं मानक स्रोत

तुलनात्मक सारणियाँ
प्रवाह आरेख व चार्ट

स्मृति सूत्र
त्वरित पुनरावलोकन बिंदु

अभ्यास प्रश्न
व्याख्या सहित हल

आमुख, परीक्षा भार विश्लेषण एवं अध्ययन रणनीति — समसामयिकी 2026 — भारतीय राजव्यवस्था, संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

IUC Academy (Inclusive Universal Careers Academy | www.iucacademy.com) • आधिकारिक अध्ययन सामग्री

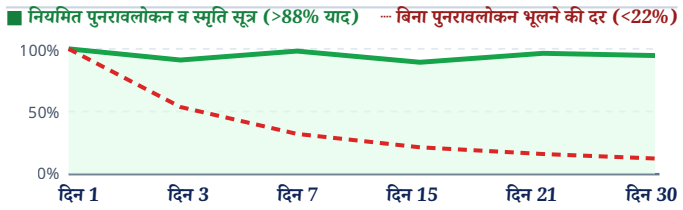
प्रिय अभ्यर्थियों,

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं एवं विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं के नवीनतम पैटर्न में अवधारणात्मक स्पष्टता और सटीक तथ्यों का समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से **IUC Academy (www.iucacademy.com)** द्वारा इन विस्तृत अध्ययन नोट्स का संकलन किया गया है। इसमें प्रत्येक अध्याय के साथ **तुलनात्मक सारणियाँ, प्रवाह आरेख, महत्वपूर्ण सूत्र, 'क्या आप जानते हैं?' बॉक्स, 'परीक्षा सतर्कता (सामान्य गलतियाँ)', स्मरण सूत्र** और **व्याख्या सहित हल प्रश्न** दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने और याद रखने में पूर्ण सुगमता रहे।

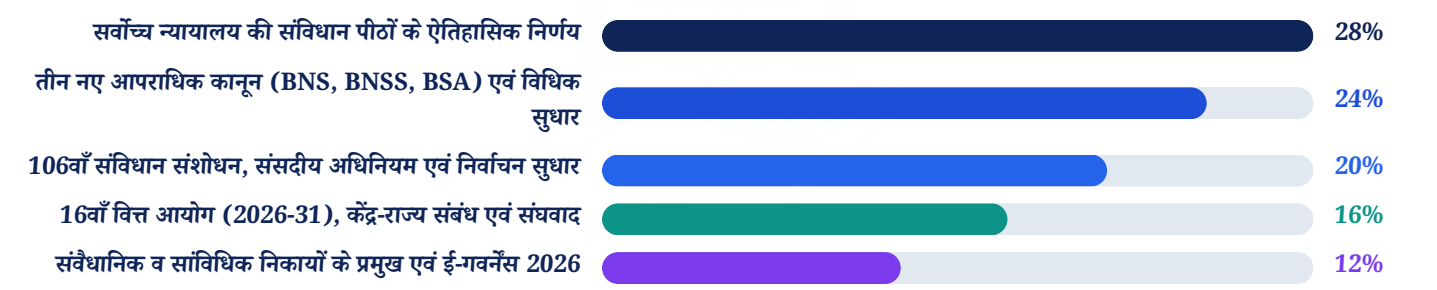
कठिनाई स्तर के अनुसार लक्ष्य सटीकता एवं कट-ऑफ (%)



नियमित पुनरावलोकन (1-3-7-21 दिन नियम) एवं स्मृति धारण ग्राफ



अध्यायवार एवं खंडवार परीक्षा प्रश्न भार सूचकांक (%)



प्रामाणिक पाठ्यक्रम एवं आधिकारिक संदर्भ स्रोत

- भारतीय संविधान (विधायी विभाग) (https://www.legislative.gov.in/constitution-of-india)
- सर्वोच्च न्यायालय आधिकारिक पोर्टल (https://www.sci.gov.in/)
- इंडिया कोड डिजिटल रिपॉजिटरी (https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/20062)
- IUC अकादमी आधिकारिक पोर्टल (https://www.iucacademy.com)

विस्तृत विषय-सूची एवं अध्याय संरचना

समसामयिकी 2026 — भारतीय राजव्यवस्था, संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय • संपूर्ण अध्याय, तुलनात्मक सारणियाँ, अभ्यास प्रश्न एवं त्वरित पुनरावलोकन

1. अध्याय 1: नवीनतम संविधान संशोधन (100वाँ से 106वाँ), नारी शक्ति वंदन अधिनियम, परिसीमन आयोग एवं 'एक राष्ट्र, एक चुनाव'

- 1.1 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) एवं विधायी प्रतिनिधित्व सुधार
- 1.2 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (एक राष्ट्र, एक चुनाव) — उच्च-स्तरीय कोविंद समिति एवं संवैधानिक ढाँचा
- 1.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: 106वें संशोधन एवं समकालिक चुनाव का संवैधानिक क्रियान्वयन
- 1.4 तुलनात्मक सारणी: नवीनतम संवैधानिक संशोधन एवं निर्वाचन सुधार प्रावधान (2026 संकलन)

2. अध्याय 2: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक संविधान पीठ निर्णय — प्रथम भाग: उप-वर्गीकरण, चुनावी बंधपत्र, संसदीय विशेषाधिकार एवं अनुच्छेद 370

- 2.1 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का उप-वर्गीकरण (*पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह*, 2024 — 7-न्यायाधीश संविधान पीठ)
- 2.2 इलेक्टोरल बॉन्ड योजना निर्णय (*एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ*, 2024 — 5-न्यायाधीश संविधान पीठ)
- 2.3 विधायी विशेषाधिकार एवं रिश्वतखोरी (*सीता सोरेन बनाम भारत संघ*, 2024 — 7-न्यायाधीश पीठ) और अनुच्छेद 370 निर्णय
- 2.4 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की सीमाओं पर 'आनुपातिकता का चार-स्तरीय परीक्षण' (आनुपातिकता मानक)
- 2.5 तुलनात्मक सारणी: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक संविधान पीठ निर्णय (2026 संकलन)

3. अध्याय 3: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय — द्वितीय भाग: उद्योग की परिभाषा (9-न्यायाधीश पीठ), अनुच्छेद 39(ख) निजी संपत्ति, खनिज कराधान, औद्योगिक अल्कोहल एवं विधिक प्रक्रिया

- 3.1 अनुच्छेद 39(ख) एवं निजी संपत्ति (*प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य*, 2026 संकलन — 9-न्यायाधीश पीठ)
- 3.2 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जा (*एएमयू बनाम नरेश अग्रवाल*, 2024 — 7-न्यायाधीश पीठ) एवं 9-न्यायाधीश कराधान निर्णय
- 3.3 'उद्योग' की परिभाषा पर 9-न्यायाधीश पीठ निर्णय (अगस्त 2026), निगमित आपराधिक दायित्व (*सनोफी इंडिया*, सितंबर 2026), मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत पीठ के निर्णय एवं विधिक प्रक्रिया दिशानिर्देश
- 3.4 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की अनिवार्य विधिक प्रक्रिया (अनुच्छेद 14 व 21)
- 3.5 तुलनात्मक सारणी: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक संविधान पीठ एवं फौजदारी निर्णय (2026 संकलन)

4. अध्याय 4: भारतीय न्याय संहिता, 2023 — भारतीय दंड संहिता का आमूलचूल रूपांतरण एवं प्रमुख धाराएँ

- 4.1 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की संरचना एवं प्रमुख वैधानिक सुधार
- 4.2 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में जोड़े गए नए अपराध एवं प्रमुख धाराओं का विश्लेषण
- 4.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी, 1860) से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस, 2023) में वैधानिक रूपांतरण
- 4.4 तुलनात्मक सारणी: पुरानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी, 1860) बनाम नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस, 2023) की प्रमुख धाराएँ

5. अध्याय 5: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 — शून्य प्राथमिकी, न्यायालयिक विज्ञान अनिवार्यता एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

- 5.1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 (531 धाराएँ, 39 अध्याय) के क्रांतिकारी प्रावधान
- 5.2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 (170 धाराएँ, 12 अध्याय) एवं डिजिटल साक्ष्य क्रांति
- 5.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: बीएनएस एवं बीएसए, 2023 के तहत आधुनिक वैज्ञानिक एवं समयबद्ध आपराधिक न्याय प्रणाली
- 5.4 तुलनात्मक सारणी: पुरानी सीआरपीसी व साक्ष्य अधिनियम बनाम नई बीएनएस व बीएसए

6. अध्याय 6: 18वीं लोकसभा, जन विश्वास अधिनियम 2026, वक्फ संशोधन अधिनियम, लोक परीक्षा अधिनियम, दूरसंचार अधिनियम एवं डिजिटल डेटा संरक्षण

- 6.1 18वीं लोकसभा की संरचना एवं संसदीय नवाचार (2026 संकलन)
- 6.2 प्रमुख नवीन केंद्रीय अधिनियम (2026 संकलन): लोक परीक्षा अधिनियम, दूरसंचार अधिनियम, सीईसी अधिनियम एवं डीपीडीपी अधिनियम
- 6.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: मुख्य चुनाव आयुक्त (मुख्य चुनाव आयुक्त) एवं चुनाव आयुक्तों (चुनाव आयुक्तों) की वैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया (अधिनियम 2023)
- 6.4 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख नवीन केंद्रीय अधिनियम एवं उनके वैधानिक प्रावधान (2026 संकलन)

7. अध्याय 7: संवैधानिक, वैधानिक एवं नियामक निकाय: 16वाँ वित्त आयोग प्रतिवेदन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक एवं लोकपाल

- 7.1 16वाँ वित्त आयोग: संरचना, सिफारिशें एवं बजट 2026–27 में क्रियान्वयन
- 7.2 भारत निर्वाचन आयोग (भारत निर्वाचन आयोग), सीएजी (सीएजी), यूपीएससी (अनुसूचित जाति), लोकपाल एवं राष्ट्रीय आयोगों के प्रमुख घटनाक्रम
- 7.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: अनुच्छेद 280 एवं बजट 2026–27 के तहत 16वें वित्त आयोग का राजकोषीय हस्तांतरण चक्र
- 7.4 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय — अनुच्छेद, संरचना, कार्यकाल एवं नियुक्ति तंत्र
- 7.5 तुलनात्मक सारणी: 15वाँ वित्त आयोग बनाम 16वाँ वित्त आयोग (2026–31) क्षैतिज कर हस्तांतरण सूत्र

8. अध्याय 8: लोक प्रशासन, डिजिटल लोक अवसंरचना, कर्मयोगी अभियान, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली एवं पंचायती राज हस्तांतरण सूचकांक

- 8.1 डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डिजिटल लोक अवसंरचना), मिशन कर्मयोगी (आईगॉट) एवं प्रशासनिक सुधार (सीपीग्राम्स)
- 8.2 पंचायती राज हस्तांतरण सूचकांक (हस्तांतरण सूचकांक 2026), स्वामित्व योजना एवं सहकारी संघवाद
- 8.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: सीपीग्राम्स (सीपीग्राम्स 7.0) एवं सेवोत्तम मॉडल के तहत समयबद्ध लोक शिकायत निवारण चक्र
- 8.4 तुलनात्मक सारणी: लोक प्रशासन, ई-गवर्नेंस पहल एवं पंचायती राज सुधार तंत्र (2026 संकलन)
- 8.5 ई-न्यायालय परियोजना तृतीय चरण (₹7,210 करोड़), राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एवं मध्यस्थता अधिनियम का क्रियान्वयन

9. हल सहित बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न (45 हल सहित अभ्यास प्रश्न — प्रथम खंड)

10. त्वरित पुनरावलोकन बिंदु (65 त्वरित पुनरावलोकन बिंदु — प्रथम खंड)

11. व्यापक विश्लेषणात्मक तथ्य सारणी एवं बहु-कथन परीक्षा सत्यापन अभ्यास

- बहु-कथन परीक्षा सत्यापन अभ्यास (कथन-I एवं कथन-II परीक्षण)

12. अतिरिक्त उच्च-स्तरीय तुलनात्मक अभ्यास प्रश्नोत्तरी

अध्ययन अध्ययन इकाई पोर्टल: आईयूसी अकादमी राजव्यवस्था एवं संविधान अध्ययन केंद्र | **वैधानिक संदर्भ:** भारतीय संविधान आधिकारिक पोर्टल | सर्वोच्च न्यायालय निर्णय पोर्टल | इंडिया कोड डिजिटल रिपॉजिटरी

अध्याय 1: नवीनतम संविधान संशोधन (100वाँ से 106वाँ), नारी शक्ति वंदन अधिनियम, परिसीमन आयोग एवं 'एक राष्ट्र, एक चुनाव'

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 1: नवीनतम संविधान संशोधन (100वाँ से 106वाँ), नारी शक्ति वंदन अधिनियम, परिसीमन आयोग एवं 'एक राष्ट्र, एक चुनाव'

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) एवं विधायी प्रतिनिधित्व सुधार	'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (एक राष्ट्र, एक चुनाव) — उच्च-स्तरीय कोविंद समिति एवं संवैधानिक ढाँचा	प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: 106वें संशोधन एवं समकालिक चुनाव का संवैधानिक क्रियान्वयन

1.1 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) एवं विधायी प्रतिनिधित्व सुधार

• **बजट अनुमान 2026–27 के सटीक आँकड़े, बाजार उधार एवं राजस्व घाटा लक्ष्य:** केंद्रीय बजट 2026–27 में कुल व्यय **₹53,47,315 करोड़ (लगभग ₹53.47 लाख करोड़)** और उधार के अतिरिक्त कुल प्राप्तियाँ (ऋण-भिन्न प्राप्तियाँ) **₹36,51,547 करोड़ (लगभग ₹36.52 लाख करोड़, संशोधित अनुमान 2025–26 पर 7.2% वृद्धि)** अनुमानित हैं। पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिए जाने वाले अनुदानों को मिलाकर कुल प्रभावी सार्वजनिक पूँजीगत व्यय **₹12.2 लाख करोड़ से अधिक** हो गया है। जीडीपी के **4.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे** और **1.5 प्रतिशत राजस्व घाटे** के वित्तपोषण हेतु **सकल बाजार उधार ₹17.2 लाख करोड़** और दिनांकित प्रतिभूतियों से **शुद्ध बाजार उधार ₹11.7 लाख करोड़** रखा गया है, तथा वित्त वर्ष 2026–27 के लिए **नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर 10.0 प्रतिशत** अनुमानित की गई है (केंद्रीय बजट)।

• **106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (128वाँ संविधान संशोधन विधेयक):** राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात् अधिसूचित इस ऐतिहासिक संशोधन द्वारा लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए **एक-तिहाई (33 प्रतिशत)** सीटें आरक्षित करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है (भारतीय संविधान)।

• **सन्निविष्ट नए संवैधानिक अनुच्छेद (अनुच्छेद 239कक, 330क, 332क एवं 334क):** इस अधिनियम ने संविधान में चार प्रमुख प्रावधान जोड़े अथवा संशोधित किए हैं: **अनुच्छेद 239कक(ख)** के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण; **अनुच्छेद 330क** के अंतर्गत लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण (जिसमें अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी); **अनुच्छेद 332क** के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण; तथा **अनुच्छेद 334क** के अंतर्गत इस आरक्षण के प्रवर्तन की समय-सीमा और चक्रानुक्रम (रोटेशन) का निर्धारण (भारतीय संविधान)।

• **अनुच्छेद 334क के अंतर्गत प्रवर्तन शर्तें, जनगणना एवं परिसीमन की भूमिका:** अनुच्छेद 334क स्पष्ट करता है कि महिला आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् की जाने वाली **प्रथम जनगणना (प्रथम जनगणना)** के सुसंगत आँकड़े प्रकाशित होने और उसके आधार पर **परिसीमन (परिसीमन)** की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही यह आरक्षण प्रभावी होगा। यह आरक्षण प्रारंभ में **15 वर्ष की अवधि** के लिए लागू रहेगा तथा संसद विधि द्वारा इस अवधि को आगे बढ़ा सकेगी। आरक्षित सीटों का आवंटन संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार परिसीमन के प्रत्येक पश्चात्वर्ती अभ्यास के बाद विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम (रोटेशन) से किया जाएगा (भारतीय संविधान)।

• **100वें से 105वें संविधान संशोधन अधिनियमों की परीक्षा-उन्मुख पुनरावृत्ति:**

1. **100वाँ संशोधन अधिनियम:** भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते (1974 के समझौते और 2011 के प्रोटोकॉल) को प्रभावी करने हेतु प्रथम अनुसूची में संशोधन कर 111 भारतीय परिक्षेत्रों (एनक्लेव) का बांग्लादेश को तथा 51 बांग्लादेशी परिक्षेत्रों का भारत को हस्तांतरण किया गया (भारतीय संविधान)।

2. **101वाँ संशोधन अधिनियम:** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की संवैधानिक व्यवस्था स्थापित की गई; अनुच्छेद **246क** (जीएसटी पर संसद और राज्य विधानमंडलों की समवर्ती शक्ति), अनुच्छेद **269क** (अंतर-राज्यीय व्यापार पर जीएसटी का उद्ग्रहण और विभाजन) तथा अनुच्छेद **279क** (जीएसटी परिषद का गठन) जोड़े गए (भारतीय संविधान)।

3. **102वाँ संशोधन अधिनियम:** अनुच्छेद **338ख** जोड़कर **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी)** को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा अनुच्छेद **342क** जोड़ा गया (भारतीय संविधान)।

4. **103वाँ संशोधन अधिनियम: अनुच्छेद 15** और **अनुच्छेद 16** जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए शैक्षणिक संस्थानों और लोक नियोजन में **अधिकतम 10% आरक्षण** का प्रावधान किया गया (भारतीय संविधान)।

5. **104वाँ संशोधन अधिनियम:** अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (अनुसूचित जाति) एवं अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जनजाति) के आरक्षण को 10 वर्षों (25 जनवरी 2030 तक) के लिए बढ़ाया गया, जबकि अनुच्छेद 331 और 333 के तहत **आंग्ल-भारतीय (आंग्ल-भारतीय) समुदाय के मनोनयन** की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया (भारतीय संविधान)।

6. **105वाँ संशोधन अधिनियम:** अनुच्छेद **338ख, 342क- और 366(26ग)** में संशोधन कर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की यह शक्ति पुन: बहाल की गई कि वे अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी/ओबीसी) की राज्य सूची स्वयं तैयार और अधिसूचित कर सकें (भारतीय संविधान)।

1.2 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (एक राष्ट्र, एक चुनाव) — उच्च-स्तरीय कोविंद समिति एवं संवैधानिक ढाँचा

• **पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति (उच्च-स्तरीय समिति):** भारत सरकार द्वारा सितंबर 2023 में गठित 8-सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति (अध्यक्ष: राम नाथ कोविंद; सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल) ने **18,626 पृष्ठों** की अपनी व्यापक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी, जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **द्वि-चरणीय समकालिक चुनाव रोडमैप (द्वि-चरणीय समकालिक चुनाव तंत्र):** कोविंद समिति ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए **दो चरणों** की सिफारिश की है:

1. **प्रथम चरण (प्रथम चरण):** लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न कराए जाएँ। इसके लिए राष्ट्रपति सामान्य चुनाव के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में एक अधिसूचना जारी कर **'नियत तिथि' (नियत तिथि)** घोषित करेंगे (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

2. **द्वितीय चरण (प्रथम चरण):** लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव संपन्न होने के **100 दिनों के भीतर** सभी स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगरपालिकाओं) के चुनाव कराए जाएँ (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन (अनुच्छेद 82क, 83, 172 एवं 324क):**

1. **अनुच्छेद 82क का समावेशन (संसद के विशेष बहुमत से, राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं):** नियत तिथि के पश्चात् गठित होने वाली सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा (चाहे उनका गठन नियत तिथि के बाद किसी भी समय हुआ हो) (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

2. **अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन — 'अवशिष्ट कार्यकाल' (अवशिष्ट कार्यकाल) का सिद्धांत:** यदि त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या किसी अन्य कारण से लोकसभा अथवा कोई राज्य विधानसभा अपने 5 वर्ष के पूर्ण कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है, तो नया मध्यावधि चुनाव **केवल शेष/अवशिष्ट कार्यकाल (अवशिष्ट अवधि)** के लिए ही कराया जाएगा, न कि पूरे 5 वर्षों के लिए, ताकि समकालिक चुनाव चक्र न टूटे (आईयूसी अकादमी)।

3. **अनुच्छेद 324क और एकल मतदाता सूची (अनुच्छेद 325 में संशोधन — आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक):** दूसरे चरण में पंचायतों और नगरपालिकाओं के समकालिक चुनाव हेतु **अनुच्छेद 324क** जोड़ा जाएगा तथा **अनुच्छेद 325** में संशोधन कर भारत निर्वाचन आयोग (भारत निर्वाचन आयोग) द्वारा राज्य निर्वाचन आयोगों (राज्य निर्वाचन आयोगों) के परामर्श से तीनों स्तरों के चुनावों हेतु **'एकल निर्वाचक नामावली' (एकल निर्वाचक नामावली)** और **'एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र' (एकल मतदाता पहचान पत्र)** तैयार करने की व्यवस्था की जाएगी (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

1.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: 106वें संशोधन एवं समकालिक चुनाव का संवैधानिक क्रियान्वयन

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: जनगणना अधिनियम 1948 के तहत नवीन दशकीय जनगणना के आँकड़ों का आधिकारिक प्रकाशन

चरण 2
चरण 2: अनुच्छेद 82 एवं 170 के तहत परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण

चरण 3
चरण 3: अनुच्छेद 330क, 332क एवं 239कक के अंतर्गत 33% महिला आरक्षित सीटों का चक्रानुक्रम आवंटन

चरण 4
चरण 4: प्रस्तावित अनुच्छेद 82क व 324क के तहत एकल मतदाता सूची द्वारा राष्ट्रीय एवं प्रांतीय चुनावों का संचालन]`

1.4 तुलनात्मक सारणी: नवीनतम संवैधानिक संशोधन एवं निर्वाचन सुधार प्रावधान (2026 संकलन)

संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव	संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची	प्रमुख वैधानिक प्रावधान एवं परीक्षा-उपयोगी तथ्य	राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016	अनुच्छेद 246क, 269क, 279क; 6वीं व 7वीं अनुसूची	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत और केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद का गठन	**हाँ** (अनुच्छेद 368 के तहत आधे राज्यों द्वारा)	भारतीय संविधान
102वाँ एवं 105वाँ संशोधन अधिनियम	अनुच्छेद 338ख, 342क एवं 366(26ग)	102वें संशोधन से एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा; 105वें संशोधन से राज्यों को अपनी एसईबीसी/ओबीसी सूची बनाने का अधिकार बहाल	**हाँ** (संघीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित होने के कारण)	भारतीय संविधान
103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019	अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16	सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण (जनहित अभियान वाद में वैध घोषित)	**नहीं** (संसद के विशेष बहुमत से पारित)	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019	अनुच्छेद 334, 331 एवं 333	अजा/अजजा आरक्षण 2030 तक विस्तारित; लोकसभा में 2 और विधानसभाओं में 1 आंग्ल-भारतीय मनोनयन का प्रावधान समाप्त	**हाँ** (राज्यों के विधायी प्रतिनिधित्व से जुड़ा होने के कारण)	भारतीय संविधान
106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023	अनुच्छेद 239कक, 330क, 332क एवं 334क	लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर आरक्षण	**नहीं** (लोकसभा व विधानसभा की कुल सीट संख्या या संघीय ढाँचे में कटौती नहीं)	भारतीय संविधान
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रथम विधेयक (लोकसभा व विधानसभा)	प्रस्तावित अनुच्छेद 82क, 83 एवं 172	नियत तिथि से विधानसभाओं के कार्यकाल का लोकसभा के साथ समेकन तथा भंग होने पर केवल 'अवशिष्ट कार्यकाल' हेतु चुनाव	**नहीं** (कोविंद समिति के अनुसार संसद के विशेष बहुमत से पारित योग्य)	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' द्वितीय विधेयक (स्थानीय निकाय)	प्रस्तावित अनुच्छेद 324क एवं संशोधित अनुच्छेद 325	पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव 100 दिनों के भीतर तथा भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से एकल मतदाता सूची व एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र	**हाँ** (स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय होने से आधे राज्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य)	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

क्या आप जानते हैं?: स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम चार आम चुनाव (**1951–52, 1957, 1962 और 1967**) में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव **एक साथ (एक साथ)** ही संपन्न हुए थे; यह चक्र वर्ष 1968–69 में कुछ राज्य विधानसभाओं के समय-पूर्व विघटन और वर्ष 1970 में चौथी लोकसभा के समय से पहले भंग होने के कारण टूटा था (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) केवल **लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा** में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है; यह **राज्यसभा** या **राज्यों की विधान परिषदों (विधान परिषदों)** में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण प्रदान **नहीं** करता है। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थाओं (अनुच्छेद 243घ) और नगरपालिकाओं (अनुच्छेद 243त) में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण पहले से ही **73वें और 74वें संविधान संशोधन** द्वारा प्राप्त है (भारतीय संविधान)।

★ **स्मरण सूत्र: 100वें से 106वें संविधान संशोधनों** को क्रम से याद रखने का सूत्र है — **"भूमि पर जीएसटी लगा, ओबीसी आयोग बना, ईडब्ल्यूएस को 10% मिला, एंग्लो-इंडियन विदा हुए, राज्यों की ओबीसी सूची लौटी और नारी शक्ति को 33% सम्मान मिला!"** (आईयूसी अकादमी)।

अध्याय 2: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक संविधान पीठ निर्णय — प्रथम भाग: उप-वर्गीकरण, चुनावी बंधपत्र, संसदीय विशेषाधिकार एवं अनुच्छेद 370

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 2: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक संविधान पीठ निर्णय — प्रथम भाग: उप-वर्गीकरण, चुनावी बंधपत्र, संसदीय विशेषाधिकार एवं अनुच्छेद 370

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का उप-वर्गीकरण (*पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह*, 2024 — 7-न्यायाधीश संविधान पीठ)	इलेक्टोरल बॉन्ड योजना निर्णय (*एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ*, 2024 — 5-न्यायाधीश संविधान पीठ)	विधायी विशेषाधिकार एवं रिश्वतखोरी (*सीता सोरेन बनाम भारत संघ*, 2024 — 7-न्यायाधीश पीठ) और अनुच्छेद 370 निर्णय	प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की सीमाओं पर 'आनुपातिकता का चार-स्तरीय परीक्षण' (आनुपातिकता मानक)

2.1 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का उप-वर्गीकरण (पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, 2024 — 7-न्यायाधीश संविधान पीठ)

• **वित्त वर्ष 2025–26 में 7.4% वास्तविक जीडीपी वृद्धि, 7% संभावित वृद्धि दर एवं नवाचार व बैंकिंग सुदृढ़ता:** 29–30 जनवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत **आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26** के अनुसार, प्रथम अग्रिम अनुमानों में **वित्त वर्ष 2025–26 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत** और **सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत** रही है। भारत की **मध्यम-अवधि संभावित जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत** आंकी गई है, **वैश्विक नवाचार सूचकांक** में भारत का स्थान 2019 के 66वें स्थान से सुधरकर **38वें स्थान** पर आ गया है, तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की वसूली दर वित्त वर्ष 2018 के **13.2 प्रतिशत से दोगुनी होकर वित्त वर्ष 2025 में 26.2 प्रतिशत** पर पहुँच गई है (आर्थिक सर्वेक्षण)।

• *ऐतिहासिक 6:1 बहुमत का निर्णय और ई.वी. चिन्नैया का उलटाव: **भारत के सर्वोच्च न्यायालय की** 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7-न्यायाधीश संविधान पीठ निर्णय (2026 संकलन) को पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह वाद में **6:1 के बहुमत** से निर्णय देते हुए वर्ष 2004 के 5-न्यायाधीश पीठ के ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य* निर्णय को पलट दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि राज्य सरकारें अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आरक्षित कोटे के भीतर अधिक पिछड़ी और वंचित जातियों को प्राथमिकता देने के लिए **अनुसूचित जातियों (अनुसूचित जातियों) और अनुसूचित जनजातियों (अनुसूचित जनजातियों) का उप-वर्गीकरण (उप-वर्गीकरण)** करने के लिए संवैधानिक रूप से सक्षम हैं (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **अनुच्छेद 341 की व्याख्या और 'तात्विक समानता' (तात्विक समानता):** न्यायालय ने स्पष्ट किया कि **अनुच्छेद 341** केवल राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों की सूची अधिसूचित करने और संसद को उसमें समावेशन या अपवर्जन करने की शक्ति देता है; उप-वर्गीकरण करने से अनुच्छेद 341 की राष्ट्रपति सूची में किसी जाति को जोड़ा या हटाया नहीं जाता, बल्कि सूची के भीतर मौजूद विषमता को देखते हुए वास्तविक और तात्विक समानता (अनुच्छेद 14, 15, 16) सुनिश्चित की जाती है (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **उप-वर्गीकरण की कठोर संवैधानिक शर्तें (अनुभवजन्य आँकड़े एवं गैर-अपवर्जन):** सर्वोच्च न्यायालय ने दो प्रमुख सीमाएँ निर्धारित कीं: राज्य अपनी राजनीतिक इच्छा या तुष्टीकरण के आधार पर उप-वर्गीकरण नहीं कर सकते; इसके लिए **मात्रात्मक एवं अनुभवजन्य आँकड़ों (मात्रात्मक एवं अनुभवजन्य आँकड़ों)** से यह सिद्ध करना अनिवार्य होगा कि संबंधित उप-वर्ग का लोक सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है और वह अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ा है; कोई भी राज्य आरक्षित श्रेणी की **100% सीटें किसी एक उप-वर्ग के लिए आरक्षित नहीं कर सकता** (अर्थात् अन्य अनुसूचित जातियों को पूरी तरह बाहर नहीं किया जा सकता) (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

2.2 इलेक्टोरल बॉन्ड योजना निर्णय (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ, 2024 — 5-न्यायाधीश संविधान पीठ)

• **इलेक्टोरल बॉन्ड योजना सर्वसम्मति से असंवैधानिक घोषित:** संविधान पीठ ऐतिहासिक निर्णय (2026 संकलन) को सर्वोच्च न्यायालय की **5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ** ने सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदा देने वाली **'इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, 2018'** (तथा वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ग, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 व 182, और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 13क में किए गए संशोधनों) को **असंवैधानिक** घोषित कर रद्द कर दिया (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **अनुच्छेद 19(क) के तहत मतदाताओं का 'सूचना का अधिकार' एवं आनुपातिकता परीक्षण (आनुपातिकता परीक्षण):** न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को मिलने वाले वित्तीय चंदे के स्रोत को जानना **अनुच्छेद 19(क) (वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)** के अंतर्गत नागरिकों के **'सूचना के अधिकार' (सूचना का अधिकार)** का अभिन्न अंग है, क्योंकि आर्थिक योगदान और नीतिगत निर्णयों के बीच संभावित लेन-देन (पारस्परिक लाभ लेन-देन) मतदाता की स्वतंत्र पसंद को प्रभावित करता है। न्यायालय ने माना कि काले धन पर रोक लगाने के लिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली (चेक, बैंक ड्राफ्ट, यूपीआई, आरटीजीएस, इलेक्टोरल ट्रस्ट) जैसे कम प्रतिबंधात्मक विकल्प पहले से उपलब्ध हैं (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **असीमित कॉर्पोरेट चंदे पर रोक (कंपनी अधिनियम की धारा 182):** सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 182 के परंतुक** में किए गए उस संशोधन को भी **'स्पष्ट रूप से मनमाना' (स्पष्ट रूप से मनमाना — अनुच्छेद 14 का उल्लंघन)** ठहराया जिसने कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के **7.5% की अधिकतम सीमा** को समाप्त कर दिया था और घाटे में चल रही या मुखौटा कंपनियों (मुखौटा कंपनियों) को भी असीमित राजनीतिक चंदा देने की छूट दे दी थी (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

2.3 विधायी विशेषाधिकार एवं रिश्वतखोरी (सीता सोरेन बनाम भारत संघ, 2024 — 7-न्यायाधीश पीठ) और अनुच्छेद 370 निर्णय

• **सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2026 संकलन — पी.वी. नरसिम्हा राव निर्णय 1998 निरस्त): **सर्वोच्च न्यायालय की** 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ* ने सर्वसम्मति से वर्ष 1998 के 5-न्यायाधीश पीठ के पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सीबीआई)* निर्णय को पलट दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संविधान के **अनुच्छेद 105** (संसद सदस्यों के लिए) और **अनुच्छेद 194** (राज्य विधानमंडल सदस्यों के लिए) के तहत प्राप्त विधायी विशेषाधिकार किसी सांसद या विधायक को सदन में किसी निश्चित तरीके से **मतदान करने या प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत (रिश्वत) लेने के आपराधिक अभियोजन से कोई छूट (उन्मुक्ति) प्रदान नहीं करते** हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रिश्वत लेने का अपराध उसी क्षण पूर्ण हो जाता है जब विधायक रिश्वत स्वीकार करता है, चाहे वह बाद में सदन में रिश्वत देने वाले के अनुसार मतदान करे या न करे (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

• *अनुच्छेद 370 के निरसन की संवैधानिक वैधता (अनुच्छेद 370 के संदर्भ में, दिसंबर 2023 — 5-न्यायाधीश संविधान पीठ): **सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अगस्त 2019 के राष्ट्रपति आदेशों (संविधान आदेश 272 एवं संविधान आदेश 273) और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के निर्णय को वैध ठहराया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि: जम्मू-कश्मीर के पास भारत में विलय के बाद** कोई आंतरिक संप्रभुता (आंतरिक संप्रभुता) शेष नहीं **थी;** अनुच्छेद 370 एक अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान (अस्थायी एवं संक्रमणकालीन प्रावधान)* था (जैसा संविधान के भाग के शीर्षक से स्पष्ट है); तथा जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के वर्ष 1957 में भंग हो जाने के बाद भी राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 के तहत अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी घोषित करने की एकपक्षीय संवैधानिक शक्ति बनी रही (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

2.4 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों की सीमाओं पर 'आनुपातिकता का चार-स्तरीय परीक्षण' (आनुपातिकता मानक)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: वैध उद्देश्य (वैध उद्देश्य) — क्या राज्य का कानून किसी संवैधानिक रूप से वैध उद्देश्य की पूर्ति करता है?

चरण 2
चरण 2: तार्किक संबंध (तार्किक संबंध) — क्या अपनाए गए साधन और वैध उद्देश्य के बीच सीधा तार्किक संबंध है?

चरण 3
चरण 3: न्यूनतम प्रतिबंधात्मक विकल्प (न्यूनतम प्रतिबंधात्मक विकल्प) — क्या कम अधिकार-बाधक विकल्प उपलब्ध नहीं था?

चरण 4
चरण 4: संतुलन परीक्षण (संतुलन चरण) — क्या अधिकार पर लगाया गया प्रतिबंध सार्वजनिक लाभ के अनुपात में संतुलित है?]`

2.5 तुलनात्मक सारणी: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक संविधान पीठ निर्णय (2026 संकलन)

वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष	संविधान पीठ का आकार	संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद	पूर्ववर्ती निर्णय जिसे पलटा गया / संशोधित किया गया	मुख्य संवैधानिक सिद्धांत (निर्णय का मूल सिद्धांत)	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2026 संकलन)	**7-न्यायाधीश पीठ** (6:1 बहुमत)	अनुच्छेद 14, 15, 16, 341 एवं 342	ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004, 5-न्यायाधीश पीठ)	राज्य अनुभवजन्य आँकड़ों के आधार पर अधिक पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं (परंतु 100% अपवर्जन वर्जित)	**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2026 संकलन)	**5-न्यायाधीश पीठ** (5:0 सर्वसम्मत)	अनुच्छेद 19(क) एवं अनुच्छेद 14	वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित इलेक्टोरल बॉन्ड वैधानिक ढाँचा	इलेक्टोरल बॉन्ड योजना असंवैधानिक घोषित; मतदाताओं को राजनीतिक चंदे का स्रोत जानने का मौलिक अधिकार; 7.5% कॉर्पोरेट लाभ सीमा की समाप्ति मनमानी	**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**
सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2026 संकलन)	**7-न्यायाधीश पीठ** (7:0 सर्वसम्मत)	अनुच्छेद 105 एवं अनुच्छेद 194	पी.वी. नरसिम्हा राव बनाम राज्य (सीबीआई) (1998, 5-न्यायाधीश पीठ)	सदन में वोट देने या भाषण देने के बदले रिश्वत लेने वाले सांसद/विधायक को संसदीय विशेषाधिकार के तहत आपराधिक मुकदमे से कोई छूट नहीं	**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**

वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष	संविधान पीठ का आकार	संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद	पूर्ववर्ती निर्णय जिसे पलटा गया / संशोधित किया गया	मुख्य संवैधानिक सिद्धांत (निर्णय का मूल सिद्धांत)	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
अनुच्छेद 370 के संदर्भ में (अनुच्छेद 370 के संदर्भ में) (दिसंबर 2023)	**5-न्यायाधीश पीठ** (5:0 सर्वसम्मत)	अनुच्छेद 1, 3, 356 एवं 370 (भाग)	कोई पूर्व निर्णय पलटा नहीं गया (प्रेम नाथ कौल व संपत प्रकाश का समन्वय)	अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था; जम्मू-कश्मीर के पास आंतरिक संप्रभुता नहीं; राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 370 का निरसन वैध	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
सुप्रियो बनाम भारत संघ (अक्टूबर 2023)	**5-न्यायाधीश पीठ**	अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954	कोई पूर्व निर्णय पलटा नहीं गया	विवाह करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है; विशेष विवाह अधिनियम में समलैंगिक विवाह को शामिल करना संसद (विधायिका) का क्षेत्राधिकार है	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (मार्च 2023)	**5-न्यायाधीश पीठ** (5:0 सर्वसम्मत)	अनुच्छेद 324	कार्यपालिका द्वारा अकेले नियुक्ति की परंपरा में परिवर्तन	संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की समिति द्वारा (बाद में संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 पारित किया)	भारत का सर्वोच्च न्यायालय

क्या आप जानते हैं?: भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 145** के अनुसार, जिस किसी मामले में संविधान के निर्वचन (संविधान का निर्वचन) से संबंधित विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो अथवा अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कोई मामला हो, उसकी सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में **न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ (संविधान पीठ)** का बैठना अनिवार्य है (भारतीय संविधान)।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के 7 में से 4 न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला एम. त्रिवेदी और पंकज मिथल) ने अपनी सहमतिपूर्ण राय में यह भी टिप्पणी की कि राज्य को भविष्य में अनुसूचित जातियों और जनजातियों (अजा/अजजा) के भीतर से **'क्रीमी लेयर' (क्रीमी लेयर)** की पहचान कर उन्हें आरक्षण से बाहर करने की नीति बनानी चाहिए, किंतु ध्यान रखें कि यह निर्णय का बाध्यकारी आदेश (बाध्यकारी आदेश) नहीं था और केंद्र सरकार ने 2026 संकलन में स्पष्ट किया कि डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा रचित संविधान में अजा/अजजा आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

★ **स्मरण सूत्र:** वर्ष 2026 संकलन के तीन सबसे बड़े संविधान पीठ उलटावों को याद रखने का सूत्र — **"चिन्नैया को दविंदर (2024, 7-जज) ने बदला (अजा/अजजा उप-वर्गीकरण वैध); नरसिम्हा राव को सीता सोरेन (2024, 7-जज) ने बदला (वोट के बदले नोट पर जेल); और अजीज बाशा को एएमयू (2024, 7-जज) ने बदला!"** (आईयूसी अकादमी)।

अध्याय 3: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय — द्वितीय भाग: उद्योग की परिभाषा (9-न्यायाधीश पीठ), अनुच्छेद 39(ख) निजी संपत्ति, खनिज कराधान, औद्योगिक अल्कोहल एवं विधिक प्रक्रिया

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 3: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय — द्वितीय भाग: उद्योग की परिभाषा (9-न्यायाधीश पीठ), अनुच्छेद 39(ख) निजी संपत्ति, खनिज कराधान, औद्योगिक अल्कोहल एवं विधिक प्रक्रिया

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
अनुच्छेद 39(ख) एवं निजी संपत्ति (*प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य*, 2026 संकलन — 9-न्यायाधीश पीठ)

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जा (*एएमयू बनाम नरेश अग्रवाल*, 2024 — 7-न्यायाधीश पीठ) एवं 9-न्यायाधीश कराधान निर्णय

प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
'उद्योग' की परिभाषा पर 9-न्यायाधीश पीठ निर्णय (अगस्त 2026), निगमित आपराधिक दायित्व (*सनोफी इंडिया*, सितंबर 2026), मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत पीठ के निर्णय एवं विधिक प्रक्रिया दिशानिर्देश

प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की अनिवार्य विधिक प्रक्रिया (अनुच्छेद 14 व 21)

3.1 अनुच्छेद 39(ख) एवं निजी संपत्ति (प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2026 संकलन — 9-न्यायाधीश पीठ)

• **9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ का 8:1 बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय:** 9-न्यायाधीश संविधान पीठ निर्णय (2026 संकलन) को सर्वोच्च न्यायालय की **9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ** ने प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद में यह व्याख्या की कि क्या संविधान के भाग के **अनुच्छेद 39(ख)** में

प्रयुक्त शब्दावली **'समुदाय के भौतिक संसाधन' (समुदाय के भौतिक संसाधन)** के अंतर्गत नागरिकों की **प्रत्येक निजी स्वामित्व वाली संपत्ति (प्रत्येक निजी स्वामित्व वाली संपत्ति)** स्वतः शामिल हो जाती है जिसे राज्य आम भलाई के लिए अधिग्रहित कर पुनर्वितरित कर सके (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• *न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर के समाजवादी सिद्धांत (रंगनाथ रेड्डी, 1977 एवं संजीव कोक, 1983) की अस्वीकृति: **9-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट निर्णय दिया कि** प्रत्येक निजी संपत्ति को स्वतः 'समुदाय का भौतिक संसाधन' नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर द्वारा कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी में दी गई उस व्यापक व्याख्या (और संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी*, 1983 में उसके अनुमोदन) को अस्वीकार कर दिया जिसमें सभी निजी संसाधनों को समुदाय का संसाधन मान लिया गया था। न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किसी एक कठोर आर्थिक विचारधारा (कठोर आर्थिक विचारधारा) से संविधान को नहीं बाँधा था ताकि निर्वाचित सरकारें समय की आवश्यकता के अनुसार आर्थिक नीतियाँ अपना सकें (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **कोई निजी संसाधन कब 'समुदाय का भौतिक संसाधन' बन सकता है? (दो-स्तरीय परीक्षण):** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल कुछ विशिष्ट निजी स्वामित्व वाले संसाधन (जैसे दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, स्पेक्ट्रम या राष्ट्रीय महत्व की परिसंपत्तियाँ) ही अनुच्छेद 39(ख) के दायरे में आ सकते हैं यदि वे इन मानदंडों को पूरा करें: संसाधन की प्रकृति, उसकी दुर्लभता (दुर्लभता) और समुदाय के कल्याण पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव; तथा उस संसाधन के निजी हाथों में केंद्रित रहने के परिणाम (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **अनुच्छेद 31ग की वर्तमान स्थिति:** इसी मामले से जुड़े एक पूर्व संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीश पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ द्वारा 42वें संशोधन की धारा 4 को निरस्त किए जाने के बाद भी **मूल अनुच्छेद 31ग** (जैसा कि 25वें संविधान संशोधन, 1971 द्वारा जोड़ा गया था और केशवानंद भारती वाद, 1973 में वैध ठहराया गया था — जो केवल अनुच्छेद 39(ख) और 39(ग) को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 की चुनौती से संरक्षण देता है) संविधान में पूर्णतः जीवित और प्रवर्तनीय है (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

3.2 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक दर्जा (एएमयू बनाम नरेश अग्रवाल, 2024 — 7-न्यायाधीश पीठ) एवं 9-न्यायाधीश कराधान निर्णय

• *अनुच्छेद 30 और एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ का उलटाव: **7-न्यायाधीश संविधान पीठ निर्णय (2026 संकलन) को सर्वोच्च न्यायालय की** 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ **ने** 4:3 के बहुमत से वर्ष 1967 के 5-न्यायाधीश पीठ के एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ निर्णय को पलट दिया। अजीज बाशा* वाद में कहा गया था कि यदि कोई शैक्षणिक संस्थान किसी केंद्रीय कानून (कानून) द्वारा निगमित किया गया है, तो वह अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का दावा नहीं कर सकता। 7-न्यायाधीश पीठ ने व्यवस्था दी कि: केवल इसलिए कि किसी विश्वविद्यालय को किसी कानून (जैसे 1920 के अधिनियम) द्वारा वैधानिक रूप दिया गया है, उसका अल्पसंख्यक चरित्र समाप्त नहीं हो जाता; संविधान लागू होने (26 जनवरी 1950) से पूर्व स्थापित संस्थान भी अनुच्छेद 30 के संरक्षण के हकदार हैं; और अनुच्छेद 30 के तहत **'स्थापना' (स्थापना)** का निर्धारण करने के लिए यह देखा जाना चाहिए कि संस्थान के विचार का जन्मदाता (मूल संकल्पना) कौन था, इसके लिए धन और भूमि किसने जुटाई, और प्रारंभिक प्रशासनिक ढाँचा किसने तैयार किया (एएमयू के तथ्यात्मक दर्जे के अंतिम निर्धारण हेतु मामले को 3-न्यायाधीश नियमित पीठ को भेजा गया) (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• *खनिज भूमि पर राज्यों का कराधान अधिकार (मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सेल, जुलाई–2026 संकलन — 9-न्यायाधीश पीठ): **सर्वोच्च न्यायालय की** 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ **ने** 8:1 के बहुमत से 1989 के इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य* (7-न्यायाधीश पीठ) निर्णय को पलटते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (खान और खनिज अधिनियम) की धारा 9 के तहत चुकाई जाने वाली **'रॉयल्टी' (रॉयल्टी) कोई 'कर' (कर) नहीं** है, बल्कि खनन पट्टे के तहत खनिज निकालने के बदले भूमि स्वामी को दिया जाने वाला एक संविदात्मक प्रतिफल (संविदात्मक प्रतिफल) है; तथा संविधान की **सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि 49 (भूमि और भवनों पर कर)** और **प्रविष्टि 50 (खनिज अधिकारों पर कर)** के अंतर्गत राज्य विधानमंडलों को खनिज-युक्त भूमि और खदानों पर कर लगाने की पूर्ण विधायी शक्ति प्राप्त है (इसे 1 अप्रैल 2005 से प्रभावी माना गया) (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• *औद्योगिक अल्कोहल पर राज्यों की नियामक शक्ति (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य, 2026 संकलन — 9-न्यायाधीश पीठ): 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ **ने** 8:1 के बहुमत से 1990 के सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम यूपी राज्य* (7-न्यायाधीश पीठ) निर्णय को पलटते हुए व्यवस्था दी कि सातवीं अनुसूची की **राज्य सूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि 8** में प्रयुक्त शब्द **'नशीली मदिरा' (नशीली मदिरा)** में केवल पीने योग्य शराब (पेय अल्कोहल) ही नहीं, बल्कि **'औद्योगिक अल्कोहल' (औद्योगिक अल्कोहल)** भी शामिल है, क्योंकि इसका दुरुपयोग नशीले पेय बनाने में हो सकता है; अतः राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन, निर्माण, कब्जे और बिक्री को विनियमित करने का संवैधानिक अधिकार है (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

3.3 'उद्योग' की परिभाषा पर 9-न्यायाधीश पीठ निर्णय (अगस्त 2026), निगमित आपराधिक दायित्व (सनोफी इंडिया, सितंबर 2026), मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत पीठ के निर्णय एवं विधिक प्रक्रिया दिशानिर्देश

• **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ज) के अंतर्गत 'उद्योग' की परिभाषा पर 9-न्यायाधीश संविधान पीठ का ऐतिहासिक निर्णय (20 अगस्त 2026):** 20 अगस्त 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की **9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ** ने 48 वर्ष पुराने संवैधानिक और श्रम-विधि संदर्भ का निपटारा करते हुए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ज) के अंतर्गत **'उद्योग' (इंडस्ट्री)** की परिभाषा और दायरे पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया (जिसमें 1978 के 7-न्यायाधीश पीठ के बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए. राजप्पा निर्णय की पुनर्समीक्षा की गई)। संविधान पीठ ने राज्य के विशुद्ध संप्रभु कार्यों (जो 'उद्योग' की परिभाषा से बाहर हैं) और नियोक्ता-कर्मचारी सहयोग से संचालित व्यवस्थित आर्थिक, वाणिज्यिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों के बीच की विधिक सीमा को स्पष्ट किया (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्य कांत एवं वर्ष 2026 के प्रमुख न्यायिक निर्देश:** 24 नवंबर 2025 को **भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश** के रूप में शपथ लेने वाले **न्यायमूर्ति सूर्य कांत** (जिन्होंने **52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई** [14 मई 2025 – 23 नवंबर 2025] और **51वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना** [11 2026 संकलन – 13 मई 2025] का स्थान लिया) की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुलाई 2026 में महत्वपूर्ण निर्णय दिए: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि **अनुच्छेद 19(क) और 19(ख) के तहत शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार** केवल इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता कि प्रदर्शन चल रहे हैं, और पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग की स्वतंत्र जाँच के आदेश दिए; मणिपुर हिंसा से जुड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए **विशेष न्यायालयों (स्पेशल कोर्ट्स)** के गठन का प्रस्ताव किया और मानवीय राहत की निगरानी कर रही **न्यायमूर्ति गीता मित्तल समिति** का कार्यकाल बढ़ाया; तथा अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ मामले में कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश भर्ती हेतु **3 वर्ष के अनिवार्य वकालत अनुभव** के नियम से जुड़ी समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई की (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• *कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व एवं 'मेंस रिया' का आरोपण (सनोफी इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सितंबर 2026): सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2026 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय में कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व (निगमित आपराधिक दायित्व) और कंपनियों के निदेशकों पर आपराधिक मन:स्थिति (आपराधिक मन:स्थिति*) के आरोपण (आरोपण) के सिद्धांतों को स्पष्ट किया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब तक संबंधित अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रतिधिक आपराधिक दायित्व (प्रतिधिक आपराधिक दायित्व) का प्रावधान न हो और शिकायत में निदेशक की प्रत्यक्ष सक्रिय भूमिका व आपराधिक आशय का विशिष्ट साक्ष्य न हो, तब तक केवल कंपनी के पद पर आसीन होने मात्र से निदेशकों पर दंडात्मक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• *संपत्तियों के मनमाने ध्वस्तीकरण ('बुलडोजर एक्शन') के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी दिशानिर्देश (दिशा-निर्देशों के संदर्भ में / जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम, 2026 संकलन): **सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे देश के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए और कहा कि: कार्यपालिका (प्रशासन) स्वयं न्यायाधीश बनकर किसी अभियुक्त या दोषी व्यक्ति के घर को दंड के रूप में ध्वस्त नहीं कर सकती, क्योंकि यह** 'शक्तियों के पृथक्करण' (शक्तियों का पृथक्करण) **और** 'विधि के शासन' (विधि का शासन) **का सीधा उल्लंघन है; अनुच्छेद 21 के तहत** 'आश्रय का अधिकार' (आश्रय का अधिकार) **गरिमापूर्ण जीवन के मौलिक अधिकार का अंग है; किसी भी अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से पहले कम-से-कम** 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस (कारण बताओ नोटिस) **पंजीकृत डाक से देना और भवन पर चस्पा करना, व्यक्तिगत सुनवाई (व्यक्तिगत सुनवाई) का अवसर देना, सकारण आदेश पारित करना और आदेश के बाद अपील हेतु** 15 दिनों का समय* देना अनिवार्य होगा; इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर न्यायालय की अवमानना के साथ-साथ उनके व्यक्तिगत वेतन से संपत्ति के पुनर्निर्माण और मुआवजे की वसूली की जाएगी (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

3.4 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण की अनिवार्य विधिक प्रक्रिया (अनुच्छेद 14 व 21)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: पंजीकृत डाक व भवन पर चस्पा कर न्यूनतम 15 दिन का पूर्व 'कारण बताओ नोटिस' एवं जिला मजिस्ट्रेट को डिजिटल सूचना

चरण 2
चरण 2: नामित प्राधिकारी द्वारा प्रभावित पक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई (व्यक्तिगत सुनवाई) का अवसर एवं कार्यवृत्त का अभिलेखन

चरण 3
चरण 3: स्पष्ट कारणों सहित अंतिम आदेश का डिजिटल पोर्टल पर प्रकाशन एवं न्यायिक अपील हेतु 15 दिनों की अनिवार्य मोहलत

चरण 4
चरण 4: अपील खारिज होने या अवधि बीतने पर वीडियोग्राफी व पंचनामा के साथ वैधानिक कार्रवाई (उल्लंघन पर अधिकारी के वेतन से हर्जाना)]`

3.5 तुलनात्मक सारणी: सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक संविधान पीठ एवं फौजदारी निर्णय (2026 संकलन)

वाद का नाम एवं निर्णय तिथि	पीठ की संरचना	संबंधित संवैधानिक प्रावधान	मुख्य न्यायिक निर्णय एवं पलटा गया पूर्ववर्ती वाद	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026 संकलन)	**9-न्यायाधीश पीठ** (8:1 बहुमत)	अनुच्छेद 39(ख), 31ग एवं 300क	प्रत्येक निजी संपत्ति स्वतः अनुच्छेद 39(ख) के तहत 'समुदाय का भौतिक संसाधन' नहीं है (रंगनाथ रेड्डी 1977 व संजीव कोक 1983 की व्यापक व्याख्या अस्वीकृत)	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सेल (सेल) (2026 संकलन)	**9-न्यायाधीश पीठ** (8:1 बहुमत)	7वीं अनुसूची: राज्य सूची प्रविष्टि 49 व 50 बनाम संघ सूची प्रविष्टि 54	रॉयल्टी 'कर' नहीं है; राज्यों को खनिज-युक्त भूमि व खदानों पर कर लगाने का पूर्ण अधिकार (इंडिया सीमेंट्स 1989 का 7-जज निर्णय पलटा गया)	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य (2026 संकलन)	**9-न्यायाधीश पीठ** (8:1 बहुमत)	7वीं अनुसूची: राज्य सूची प्रविष्टि 8 बनाम संघ सूची प्रविष्टि 52	'नशीली मदिरा' (नशीली मदिरा) में औद्योगिक अल्कोहल भी शामिल; राज्यों को इसके नियमन का अधिकार (सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स 1990 पलटा गया)	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल (2026 संकलन)	**7-न्यायाधीश पीठ** (4:3 बहुमत)	अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान)	कानून (कानून) द्वारा निगमित या 1950 से पूर्व स्थापित संस्थान भी अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकते हैं (अजीज बाशा 1967 पलटा गया)	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
सनोफी इंडिया लिमिटेड बनाम सीबीआई (सितंबर 2026)	**सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ**	कॉर्पोरेट आपराधिक विधि एवं दंड संहिता	स्पष्ट वैधानिक प्रावधान और प्रत्यक्ष आपराधिक आशय (आपराधिक मन:स्थिति) के बिना कंपनी के निदेशकों पर स्वतः प्रतिधिक आपराधिक दायित्व नहीं थोपा जा सकता	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
बुलडोजर ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश वाद (2026 संकलन)	**सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ** (अनुच्छेद 142)	अनुच्छेद 14, 21 एवं 300क तथा शक्तियों का पृथक्करण	दंडात्मक बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक; 15 दिन का पूर्व नोटिस, व्यक्तिगत सुनवाई और आदेश के बाद 15 दिन की अपील अवधि अनिवार्य	भारत का सर्वोच्च न्यायालय

क्या आप जानते हैं?: भारतीय न्यायिक इतिहास में अब तक की **सबसे बड़ी संविधान पीठ 13 न्यायाधीशों** की थी, जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973 — मूल ढाँचे का सिद्धांत) में बैठी थी, और दूसरी सबसे बड़ी पीठ **11 न्यायाधीशों** की थी जो आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य में बैठी थी (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: संघ और राज्यों के बीच कराधान शक्तियों से संबंधित प्रश्न में यह ध्यान रखें कि वर्ष 2026 संकलन के **दोनों 9-न्यायाधीश संविधान पीठ निर्णयों** (मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी — खनिज भूमि कर, और ललता प्रसाद वैश्य — औद्योगिक अल्कोहल) ने **सहकारी संघवाद और राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता (राज्यों का राजकोषीय संघवाद)** को मजबूत किया है, न कि केंद्र के एकाधिकार को (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

★ स्मरण सूत्र: वर्ष 2026 संकलन की **तीनों 9-न्यायाधीश संविधान पीठों** को याद रखने का सूत्र — **"9 जजों की तीन अदालतें: पहली ने राज्यों को खदान पर टैक्स दिया (माडा बनाम सेल), दूसरी ने राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल का अधिकार दिया (ललता प्रसाद), और तीसरी ने नागरिकों की निजी संपत्ति को अनुच्छेद 39(ख) के स्वतः अधिग्रहण से बचाया (प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन)!"** (आईयूसी अकादमी)।

अध्याय 4: भारतीय न्याय संहिता, 2023 — भारतीय दंड संहिता का आमूलचूल रूपांतरण एवं प्रमुख धाराएँ

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 4: भारतीय न्याय संहिता, 2023 — भारतीय दंड संहिता का आमूलचूल रूपांतरण एवं प्रमुख धाराएँ

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की संरचना एवं प्रमुख वैधानिक सुधार

प्रमुख अध्ययन बिंदु 2
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में जोड़े गए नए अपराध एवं प्रमुख धाराओं का विश्लेषण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी, 1860) से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस, 2023) में वैधानिक रूपांतरण

4.1 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की संरचना एवं प्रमुख वैधानिक सुधार

• **वर्ष 2026 में आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों का संपूर्ण क्रम — 5.25% से 5.50% रेपो दर (63वीं बैठक, 5–7 अक्टूबर 2026):** आरबीआई के 26वें गवर्नर **संजय मल्होत्रा** की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2026 और जून 2026 की द्विमासिक समीक्षाओं में सर्वसम्मति से **तटस्थ रुख** रखते हुए **नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत** पर अपरिवर्तित रखा। इसके पश्चात् **5 से 7 अक्टूबर 2026 को आयोजित 63वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक** में मुद्रास्फीति और वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समिति ने **नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों (0.25 प्रतिशत) की वृद्धि कर इसे 5.50 प्रतिशत** कर दिया। इसके परिणामस्वरूप **स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.25 प्रतिशत** तथा **सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.75 प्रतिशत** हो गई है (भारतीय रिजर्व बैंक)।

• **अधिनियमन, राष्ट्रपति की स्वीकृति एवं प्रवर्तन तिथि:** औपनिवेशिक काल की 164 वर्ष पुरानी 'भारतीय दंड संहिता, 1860' (आईपीसी — लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित) को प्रतिस्थापित करने वाली **'भारतीय न्याय संहिता, 2023' (2023 का अधिनियम संख्यांक 45)** को संसद के दोनों सदनों द्वारा दिसंबर 2023 में पारित किया गया, **25 दिसंबर 2023** को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह **1 2026 संकलन** से संपूर्ण भारत में लागू हो गई (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• **अध्यायों एवं धाराओं का पुनर्गठन (511 धाराओं के स्थान पर 358 धाराएँ):** जहाँ पुरानी आईपीसी (आईपीसी, 1860) में **23 अध्याय और 511 धाराएँ** थीं, वहीं नई **भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में कुल 20 अध्याय और 358 धाराएँ** हैं। इस संहिता में सभी परिभाषाओं को एक ही स्थान पर **धारा 2** में समेकित कर दिया गया है (जिससे अलग-अलग धाराओं में बिखरी परिभाषाओं की जटिलता समाप्त हो गई है) तथा महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उन्हें **अध्याय (धारा 63 से 99)** में रखा गया है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• **धारा 4 के तहत दंड का छठा प्रकार — 'सामुदायिक सेवा' (सामुदायिक सेवा):** भारतीय न्याय संहिता की **धारा 4** के अंतर्गत दंडों की सूची में पहली बार **'सामुदायिक सेवा' (सामुदायिक सेवा — धारा 4(च))** को एक वैधानिक दंड के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार बीएनएस में अब कुल **6 प्रकार के दंड** हैं: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास (कठोर एवं सादा), संपत्ति का समपहरण, जुर्माना, और सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा का दंड **6 छोटे अपराधों** में दिया जा सकता है: लोक सेवक द्वारा विधिविरुद्ध व्यापार में लगना (धारा 202), लोक सेवक के समक्ष उपस्थित न होना (धारा 209), किसी लोक सेवक को कार्य से रोकने हेतु आत्महत्या का प्रयास करना (धारा 226), ₹5,000 से कम मूल्य की संपत्ति की पहली बार चोरी पर संपत्ति लौटाने की दशा में (धारा 303), सार्वजनिक स्थान पर नशे में धुत होकर उत्पात मचाना (धारा 355), और मानहानि (— धारा 356) (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

4.2 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में जोड़े गए नए अपराध एवं प्रमुख धाराओं का विश्लेषण

• **राजद्रोह (आईपीसी 124क) की समाप्ति और भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य (धारा 152):** बीएनएस में औपनिवेशिक 'राजद्रोह' (— आईपीसी धारा 124क, जिसमें 'सरकार के प्रति असंतोष' शब्द था) को समाप्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर **धारा 152** जोड़ी गई है जो **भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता** को खतरे में डालने वाले अलगाववादी कृत्यों, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को उकसाने या वित्तीय सहायता देने को दंडनीय बनाती है (सजा: आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना) (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• **संगठित अपराध (धारा 111), छोटे संगठित अपराध (धारा 112) एवं आतंकवादी कृत्य (धारा 113):**

1. **धारा 111 (संगठित अपराध —):** अपहरण, जबरन वसूली, सुपारी किलिंग, भूमि हड़पने, साइबर अपराध, मानव या मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराध सिंडिकेट के विरुद्ध कठोर दंड (मृत्यु होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास; अन्य मामलों में न्यूनतम 5 वर्ष से आजीवन कारावास) का प्रावधान किया गया है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

2. **धारा 112 (छोटे संगठित अपराध —):** वाहन चोरी, जेबकतरी, टिकटों की कालाबाजारी, जुआ और **सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोहों** को इसके दायरे में लाकर 1 से 7 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

3. **धारा 113 (आतंकवादी कृत्य —):** गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की परिभाषा के अनुरूप आतंकवादी कृत्यों को सीधे मुख्य दंड संहिता में शामिल किया गया है (पुलिस अधीक्षक स्तर से नीचे का अधिकारी यह तय करेगा कि मामला के तहत दर्ज होगा या बीएनएस की धारा 113 के तहत) (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• **मॉब लिंचिंग (धारा 103), हिट-एंड-रन (धारा 106), झपटमारी/स्नैचिंग (धारा 304) एवं विवाह का झूठा वादा (धारा 69):**

1. **भीड़ द्वारा हत्या / मॉब लिंचिंग (धारा 103 एवं धारा 117):** जब **5 या अधिक व्यक्तियों का समूह** नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या करता है, तो समूह के प्रत्येक सदस्य को **मृत्युदंड या आजीवन कारावास** और जुर्माने से दंडित किया जाएगा (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

2. **लापरवाही से मृत्यु एवं हिट-एंड-रन (धारा 106 व 106):** धारा 106 में लापरवाही से मृत्यु कारित करने पर 5 वर्ष तक कारावास (चिकित्सकीय प्रक्रिया के दौरान पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा होने पर 2 वर्ष तक कारावास) का प्रावधान है, जबकि धारा 106 में तेज व लापरवाह वाहन चालन से मृत्यु के बाद पुलिस/मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाने पर 10 वर्ष तक कारावास का प्रावधान रखा गया (जिसके क्रियान्वयन को सरकार द्वारा परामर्श के अधीन रखा गया) (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

3. **छलपूर्ण साधनों या विवाह के झूठे वादे से यौन संबंध (धारा 69):** रोजगार, पदोन्नति या पहचान छुपाकर विवाह का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने पर **10 वर्ष तक के कारावास** और जुर्माने का नया विशिष्ट अपराध बनाया गया है (**इंडिया कोड — बीएनएस 2023**)।

4. **झपटमारी / चेन स्नैचिंग (धारा 304):** चोरी से अलग एक विशिष्ट अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर या कब्जे से अचानक या बलपूर्वक जंगम संपत्ति छीनने पर **3 वर्ष तक का कारावास** और जुर्माना निर्धारित है (**इंडिया कोड — बीएनएस 2023**)।

4.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी, 1860) से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस, 2023) में वैधानिक रूपांतरण

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: औपनिवेशिक दंड-केंद्रित ढाँचे (आईपीसी 1860: 23 अध्याय, 511 धाराएँ) का विलोपन एवं 'न्याय-केंद्रित' संहिता का निर्माण

चरण 2
चरण 2: धारा 2 में सभी विधिक परिभाषाओं का एकीकरण तथा अध्याय (धारा 63-99) में महिला व बाल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता

चरण 3
चरण 3: नए युग के अपराधों का समावेशन — संगठित अपराध (धारा 111), आतंकवाद (धारा 113), मॉब लिंचिंग (धारा 103) व स्नैचिंग (धारा 304)

चरण 4
चरण 4: धारा 4(च) के तहत 6 छोटे अपराधों में सुधारात्मक न्याय हेतु 'सामुदायिक सेवा' (सामुदायिक सेवा) दंड का प्रवर्तन]`

4.4 तुलनात्मक सारणी: पुरानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी, 1860) बनाम नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस, 2023) की प्रमुख धाराएँ

अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण	पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा	नई बीएनएस, 2023 की धारा	प्रमुख दंड / नवीन संशोधन का सार	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
सभी परिभाषाएँ	धारा 6 से 52 (अलग-अलग धाराएँ)	**धारा 2** (उप-खंड 1 से 39)	लिंग (ट्रांसजेंडर सहित), बालक (18 वर्ष से कम), इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आदि सभी परिभाषाएँ एक ही धारा में	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
सामान्य आशय	धारा 34	**धारा 3**	कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया आपराधिक कार्य	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
दंड के प्रकार (+ सामुदायिक सेवा)	धारा 53 (5 प्रकार के दंड)	**धारा 4** (6 प्रकार के दंड)	धारा 4(च) में छठे दंड के रूप में **'सामुदायिक सेवा'** को जोड़ा गया	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
बलात्कार की परिभाषा एवं दंड	धारा 375 एवं धारा 376	**धारा 63 एवं धारा 64**	न्यूनतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास; 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ संबंध भी अपवाद से बाहर (बलात्कार की श्रेणी में)	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
सामूहिक बलात्कार एवं नाबालिग से अपराध	धारा 376घ एवं 376घ/	**धारा 70 एवं धारा 70**	18 वर्ष से कम आयु की पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार (धारा 70) पर आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन) या **मृत्युदंड**	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
विवाह/रोजगार के झूठे वादे से यौन संबंध	कोई विशिष्ट पृथक धारा नहीं	**धारा 69 (नया प्रावधान)**	पहचान छुपाकर या विवाह/नौकरी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने पर 10 वर्ष तक कारावास	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
दहेज मृत्यु एवं क्रूरता	धारा 304ख एवं धारा 498क	**धारा 80 एवं धारा 85**	विवाह के 7 वर्ष के भीतर दहेज की मांग से जुड़ी क्रूरता के कारण महिला की अप्राकृतिक मृत्यु पर न्यूनतम 7 वर्ष से आजीवन कारावास	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
आपराधिक मानव वध एवं हत्या	धारा 299 व 300 (दंड: 302)	**धारा 100 व 101 (दंड: धारा 103)**	धारा 103 में हत्या का दंड; **धारा 103** में 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा **मॉब लिंचिंग** पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
लापरवाही से मृत्यु	धारा 304क (2 वर्ष कारावास)	**धारा 106 एवं धारा 106**	लापरवाही से मृत्यु पर कारावास 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया (डॉक्टरों हेतु 2 वर्ष)	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
संगठित अपराध एवं आतंकवादी कृत्य	आईपीसी में कोई विशिष्ट धारा नहीं थी	**धारा 111 एवं धारा 113 (नए प्रावधान)**	अपराध सिंडिकेट (धारा 111) और आतंकवादी कृत्यों (धारा 113) के विरुद्ध मृत्युदंड या आजीवन कारावास	इंडिया कोड — बीएनएस 2023

अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण	पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा	नई बीएनएस, 2023 की धारा	प्रमुख दंड / नवीन संशोधन का सार	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध अपराध	धारा 124क (राजद्रोह — निरस्त)	**धारा 152 (नया प्रावधान)**	'राजद्रोह' शब्द हटाया गया; अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह व भारत की एकता-अखंडता को खतरे में डालने पर आजीवन या 7 वर्ष तक कारावास	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
विदुर/गैरकानूनी जमाव व दंगा	धारा 141 व धारा 146	**धारा 189 एवं धारा 191**	5 या अधिक व्यक्तियों का विधिविरुद्ध जमाव और बल प्रयोग द्वारा दंगा	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
चोरी, स्नैचिंग, लूट व डकैती	धारा 378/379, 390, 391	**धारा 303, 304, 309 एवं 310**	₹5,000 से कम की प्रथम चोरी पर सामुदायिक सेवा (धारा 303); झपटमारी हेतु नई धारा 304; 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा लूट = डकैती (धारा 310)	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग व मानहानि	धारा 415/420, 405, 499/500	**धारा 318, धारा 316 एवं धारा 356**	पुरानी प्रसिद्ध 'धारा 420' (धोखाधड़ी) अब बीएनएस में **धारा 318** बन गई है; मानहानि (धारा 356) में सामुदायिक सेवा का विकल्प	इंडिया कोड — बीएनएस 2023

क्या आप जानते हैं?: पुरानी आईपीसी (आईपीसी, 1860) की धारा 309 में सामान्य आत्महत्या के प्रयास को अपराध माना गया था, किंतु नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में सामान्य आत्महत्या के प्रयास को दंड संहिता से पूर्णतः हटा दिया गया है; अब केवल **धारा 226** के अंतर्गत किसी **लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से विवश करने या रोकने के आशय से आत्महत्या का प्रयास** करने (जैसे सरकारी कार्यवाही रोकने हेतु आत्मदाह या अनशन की धमकी) को अपराध बनाया गया है जिसमें 1 वर्ष तक कारावास या सामुदायिक सेवा का प्रावधान है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: भारतीय न्याय संहिता की **धारा 63 के अपवाद 2** पर विशेष ध्यान दें: पुरानी आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 में लिखा था कि 15 वर्ष से अधिक आयु की अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार नहीं है (जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ, 2017 में 18 वर्ष पढ़ा था); नई **बीएनएस की धारा 63 के अपवाद 2** में वैधानिक रूप से ही आयु को **18 वर्ष** कर दिया गया है, अर्थात् 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार के दायरे में आता है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

★ **स्मरण सूत्र:** बीएनएस, 2023 की सबसे महत्वपूर्ण नई धाराओं को याद रखने का सूत्र — **"धारा 4 में सामुदायिक सेवा, 63-64 में नारी सुरक्षा, 69 में झूठे विवाह वादे पर सजा, 103 में हत्या और मॉब लिंचिंग का अंत, 111 में संगठित माफिया और 113 में आतंकवाद बंद, 152 से देश की अखंडता बुलंद, और 303-304-318 ने चोरी, स्नैचिंग व 420 की ठगी को किया दंडित!"** (आईयूसी अकादमी)।

अध्याय 5: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 — शून्य प्राथमिकी, न्यायालयिक विज्ञान अनिवार्यता एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 5: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 — शून्य प्राथमिकी, न्यायालयिक विज्ञान अनिवार्यता एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 (531 धाराएँ, 39 अध्याय) के क्रांतिकारी प्रावधान	**भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 (170 धाराएँ, 12 अध्याय) एवं डिजिटल साक्ष्य क्रांति**	**प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: बीएनएस एवं बीएसए, 2023 के तहत आधुनिक वैज्ञानिक एवं समयबद्ध आपराधिक न्याय प्रणाली**

5.1 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 (531 धाराएँ, 39 अध्याय) के क्रांतिकारी प्रावधान

• **दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी, 1973) का प्रतिस्थापन:** 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973' (जिसमें 37 अध्याय और 484 धाराएँ थीं) के स्थान पर **'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' (2023 का अधिनियम संख्यांक 46)** को **1 2026 संकलन** से लागू किया गया है, जिसमें कुल **39 अध्याय और 531 धाराएँ** हैं (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• **जीरो एफआईआर (शून्य प्राथमिकी), ई-एफआईआर (ई-प्राथमिकी) एवं प्रारंभिक जाँच (धारा 173):** बीएनएस की **धारा 173** (जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 154 का स्थान लेती है) में तीन ऐतिहासिक नागरिक-केंद्रित सुधार किए गए हैं:

1. **जीरो एफआईआर को वैधानिक दर्जा (धारा 173):** संज्ञेय अपराध की सूचना किसी भी पुलिस थाने में दी जा सकती है, **चाहे अपराध किसी भी क्षेत्राधिकार में घटित हुआ हो**; पुलिस अधिकारी उसे तुरंत दर्ज कर संबंधित क्षेत्राधिकार वाले थाने को स्थानांतरित करने के लिए बाध्य है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

2. **इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर (ई-प्राथमिकी — धारा 173):** नागरिक इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी संज्ञेय अपराध की सूचना दे सकते हैं, जिसे सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा **3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित** किए जाने पर औपचारिक एफआईआर के रूप में दर्ज कर लिया जाएगा (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

3. **प्रारंभिक जाँच (— धारा 173):** 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय अपराधों में पुलिस उपाधीक्षक की पूर्व अनुमति से **14 दिनों के भीतर** प्रारंभिक जाँच की जा सकती है ताकि यह देखा जा सके कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• **7 वर्ष या अधिक सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जाँच की अनिवार्यता (धारा 176):** बीएनएस की **धारा 176** के अनुसार, जिन अपराधों में **7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास** का प्रावधान है, उनमें पुलिस अधिकारी के लिए घटनास्थल पर **फॉरेंसिक विशेषज्ञ** को बुलाकर साक्ष्य एकत्र करना और पूरे प्रक्रिया की मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर **वीडियोग्राफी** करना अनिवार्य कर दिया गया है (राज्यों को बुनियादी ढाँचा विकसित करने हेतु अधिकतम 5 वर्ष की संक्रमण अवधि दी गई है) (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• **पुलिस हिरासत के नए नियम (धारा 187) एवं हथकड़ी का प्रयोग (धारा 43):**

1. **धारा 187 (पुरानी धारा 167 सीआरपीसी):** पुरानी सीआरपीसी में 15 दिनों की पुलिस रिमांड केवल गिरफ्तारी के **प्रथम 15 दिनों** के भीतर ही ली जा सकती थी; नई **धारा 187** के तहत मजिस्ट्रेट कुल 60 दिनों या 90 दिनों की न्यायिक हिरासत अवधि के **प्रारंभिक 40 दिनों (60 दिन की सीमा वाले मामलों में) या प्रारंभिक 60 दिनों (90 दिन की सीमा वाले मामलों में)** के भीतर कभी भी टुकड़ों में या एक साथ अधिकतम **15 दिनों की पुलिस हिरासत** की अनुमति दे सकते हैं (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

2. **धारा 43 (हथकड़ी लगाने के नियम):** आदतन या बार-बार अपराध करने वाले, हिरासत से भागे हुए, या संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, नशीली दवाओं, हथियारों, हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक, जाली मुद्रा, मानव तस्करी और राज्य के विरुद्ध अपराध के आरोपियों को गिरफ्तारी के समय हथकड़ी लगाने की अनुमति दी गई है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• **अनुपस्थिति में विचारण (अनुपस्थिति में विचारण — धारा 356), समयबद्ध न्याय एवं दया याचिका (धारा 472):**

1. **भगोड़े अपराधियों का अनुपस्थिति में मुकदमा (धारा 356):** यदि कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए फरार हो जाता है, तो गिरफ्तारी वारंट जारी होने के **90 दिनों के बाद** न्यायालय उसकी अनुपस्थिति में ही साक्ष्य दर्ज कर मुकदमा चला सकता है और सजा सुना सकता है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

2. **अंडरट्रायल कैदियों को जमानत में राहत (धारा 479):** पहली बार अपराध करने वाले विचाराधीन कैदी यदि अपने अपराध की अधिकतम निर्धारित सजा का **एक-तिहाई** हिस्सा जेल में बिता चुके हैं (आजीवन कारावास या मृत्युदंड वाले अपराधों को छोड़कर), तो उन्हें न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

3. **समयबद्ध न्याय की समय-सीमाएँ:** आरोप-पत्र प्रथम सुनवाई से **60 दिनों** में (धारा 251); बहस पूरी होने के बाद निर्णय **30 दिनों** (अधिकतम 45 दिनों) में सुनाना अनिवार्य (धारा 258); तथा मृत्युदंड के मामलों में **दया याचिका (— धारा 472)** जेल अधीक्षक द्वारा सूचित किए जाने के **30 दिनों** के भीतर राज्यपाल या राष्ट्रपति के समक्ष दायर करनी होगी (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

5.2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 (170 धाराएँ, 12 अध्याय) एवं डिजिटल साक्ष्य क्रांति

• **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का प्रतिस्थापन:** 152 वर्ष पुराने 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872' (11 अध्याय, 167 धाराएँ) के स्थान पर **'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023' (2023 का अधिनियम संख्यांक 47)** को 1 2026 संकलन से लागू किया गया है, जिसमें **12 अध्याय और 170 धाराएँ** हैं (इंडिया कोड — बीएसए 2023)।

• **इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों को 'दस्तावेज' एवं 'प्राथमिक साक्ष्य' का दर्जा (धारा 2, 57, 61 एवं 63):**

1. **धारा 2 ('दस्तावेज' की परिभाषा):** ई-मेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में संग्रहीत फाइलें, वेबसाइट डेटा, लोकेशन साक्ष्य और डिजिटल वॉइस मेल को स्पष्ट रूप से **'दस्तावेज'** की परिभाषा में शामिल किया गया है (इंडिया कोड — बीएसए 2023)।

2. **धारा 57 (प्राथमिक साक्ष्य —):** जहाँ किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को एक साथ या क्रमिक रूप से कई फाइलों में बनाया या संग्रहीत किया जाता है अथवा उचित अभिरक्षा में वीडियो रिकॉर्डिंग को प्रसारित होते समय संग्रहीत किया जाता है, वहाँ ऐसी प्रत्येक फाइल को **'प्राथमिक साक्ष्य'** माना जाएगा (इंडिया कोड — बीएसए 2023)।

3. **धारा 61 एवं धारा 63 (पुरानी धारा 65ख का उन्नत रूप): धारा 61** घोषणा करती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख की स्वीकार्यता को केवल इस आधार पर नकारा नहीं जाएगा कि वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, और उसका विधिक प्रभाव कागजी दस्तावेज के समान ही होगा। **धारा 63** (जो पुराने साक्ष्य अधिनियम की प्रसिद्ध धारा 65ख का स्थान लेती है) कंप्यूटर आउटपुट की ग्राह्यता के लिए अद्यतन प्रमाणपत्र (अनुसूची में निर्धारित प्रारूप में उपयोगकर्ता एवं विशेषज्ञ दोनों के हस्ताक्षर और हैश वैल्यू सहित) का प्रावधान करती है (इंडिया कोड — बीएसए 2023)।

5.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: बीएनएस एवं बीएसए, 2023 के तहत आधुनिक वैज्ञानिक एवं समयबद्ध आपराधिक न्याय प्रणाली

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: धारा 173 बीएनएस के तहत जीरो एफआईआर / ई-एफआईआर का पंजीकरण एवं पीड़िता को निःशुल्क डिजिटल प्रति की आपूर्ति

चरण 2
चरण 2: धारा 176 बीएनएस के तहत 7+ वर्ष के अपराधों में फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा साक्ष्य संकलन एवं तलाशी-जब्ती की अनिवार्य वीडियोग्राफी (धारा 185)

चरण 3
चरण 3: धारा 57, 61 व 63 बीएसए के अंतर्गत हैश-वैल्यू प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की प्राथमिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुति एवं ऑडियो-वीडियो गवाही

चरण 4
चरण 4: धारा 251 व 258 बीएनएस के तहत 60 दिन में आरोप निर्धारण, अधिकतम 2 स्थगन (धारा 346) और बहस के 30–45 दिन में निर्णय]`

5.4 तुलनात्मक सारणी: पुरानी सीआरपीसी व साक्ष्य अधिनियम बनाम नई बीएनएस व बीएसए

प्रक्रियात्मक / साक्ष्य प्रावधान	पुराना कानून (सीआरपीसी 1973 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872)	नया कानून (बीएनएस 2023 / बीएसए 2023)	प्रमुख सुधार एवं परीक्षा-उन्मुख समय-सीमा	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
कुल अध्याय एवं धाराएँ	सीआरपीसी: 37 अध्याय, 484 धाराएँ \	भारतीय साक्ष्य अधिनियम: 11 अध्याय, 167 धाराएँ	**बीएनएस: 39 अध्याय, 531 धाराएँ \	बीएसए: 12 अध्याय, 170 धाराएँ**	1 2026 संकलन से संपूर्ण भारत में प्रभावी	इंडिया कोड — बीएनएस/ बीएसए
निःशस्त्र जमाव को तितर-बितर करना एवं निषेधाज्ञा ('धारा 144')	सीआरपीसी की प्रसिद्ध **धारा 144**	**बीएनएस की धारा 163**	लोक न्यूसेंस या आकस्मिक खतरे के निवारण हेतु मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति अब **धारा 163** में है	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
संज्ञेय अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी)	सीआरपीसी धारा 154	**बीएनएस धारा 173**	**जीरो एफआईआर** और **ई-एफआईआर** (3 दिन में हस्ताक्षर) को वैधानिक मान्यता; 3–7 वर्ष के अपराधों में 14 दिन में प्रारंभिक जाँच	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
घटनास्थल पर फॉरेंसिक जाँच की अनिवार्यता	सीआरपीसी में अनिवार्य नहीं थी	**बीएनएस धारा 176**	**7 वर्ष या अधिक कारावास** से दंडनीय सभी अपराधों में फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण और वीडियोग्राफी अनिवार्य	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी	सीआरपीसी धारा 100 / 165	**बीएनएस धारा 105 एवं धारा 185**	प्रत्येक तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग और 48 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजना अनिवार्य	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत (पुलिस रिमांड)	सीआरपीसी धारा 167 (केवल प्रथम 15 दिनों में)	**बीएनएस धारा 187**	60 या 90 दिनों की कुल हिरासत के **प्रथम 40 या 60 दिनों** के भीतर कभी भी टुकड़ों में कुल **15 दिन की पुलिस रिमांड** संभव	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
पत्नी, संतान व माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश	सीआरपीसी की प्रसिद्ध **धारा 125**	**बीएनएस की धारा 144**	भरण-पोषण का प्रावधान अब बीएनएस की **धारा 144** में स्थानांतरित हो गया है (परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव!)	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
अग्रिम जमानत एवं नियमित जमानत	सीआरपीसी धारा 438 एवं धारा 437/439	**बीएनएस धारा 482 एवं धारा 480/483**	गिरफ्तारी की आशंका पर अग्रिम जमानत अब बीएनएस की **धारा 482** में है; जबकि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ (पुरानी 482) अब **धारा 528** में हैं	इंडिया कोड — बीएनएस 2023
प्रथम बार के विचाराधीन कैदी की जमानत	सीआरपीसी धारा 436क (अधिकतम सजा का 1/2 भाग)	**बीएनएस धारा 479**	प्रथम बार के अपराधी हेतु अधिकतम सजा का **एक-तिहाई** भाग पूरा होने पर ही जमानत का अधिकार	इंडिया कोड — बीएनएस 2023

प्रक्रियात्मक / साक्ष्य प्रावधान	पुराना कानून (सीआरपीसी 1973 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872)	नया कानून (बीएनएस 2023 / बीएसए 2023)	प्रमुख सुधार एवं परीक्षा-उन्मुख समय-सीमा	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता प्रमाणपत्र	भारतीय साक्ष्य अधिनियम **धारा 65ख**	**भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) धारा 63**	हैश वैल्यू (-256 आदि) और विशेषज्ञ प्रमाणपत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता (धारा 57 के तहत प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा)	इंडिया कोड — बीएसए 2023

क्या आप जानते हैं?: तीनों नए आपराधिक कानूनों (बीएनएस, बीएनएस और बीएसए) का प्रारूप तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के कुलपति **प्रो. रणबीर सिंह** की अध्यक्षता में एक आपराधिक कानून सुधार समिति गठित की गई थी, और बाद में संसद की **गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति (अध्यक्ष: बृज लाल)** ने इन विधेयकों की विस्तृत समीक्षा की थी (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे बड़ा भ्रम **'धारा 144' और 'धारा 482'** को लेकर होता है:
1. पुरानी सीआरपीसी की **धारा 144 (कर्फ्यू / निषेधाज्ञा)** अब नई बीएनएस में **धारा 163** बन गई है, जबकि नई बीएनएस की **धारा 144** वास्तव में **'पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण' (जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 125 थी)** से संबंधित है!

2. पुरानी सीआरपीसी की **धारा 438 (अग्रिम जमानत /)** अब नई बीएनएस में **धारा 482** बन गई है, जबकि पुरानी सीआरपीसी की **धारा 482 (उच्च न्यायालय की एफआईआर रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति —)** अब नई बीएनएस में **धारा 528** बन गई है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

★ **स्मरण सूत्र:** तीनों नए कानूनों के अध्याय और धाराओं की सटीक संख्या याद रखने का सूत्र — **"बीएनएस में 20 अध्याय और 358 धाराएँ; बीएनएस में 39 अध्याय और 531 धाराएँ; और बीएसए में 12 अध्याय और 170 धाराएँ — 1 2026 संकलन से भारत में लागू!"** (आईयूसी अकादमी)।

अध्याय 6: 18वीं लोकसभा, जन विश्वास अधिनियम 2026, वक्फ संशोधन अधिनियम, लोक परीक्षा अधिनियम, दूरसंचार अधिनियम एवं डिजिटल डेटा संरक्षण

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 6: 18वीं लोकसभा, जन विश्वास अधिनियम 2026, वक्फ संशोधन अधिनियम, लोक परीक्षा अधिनियम, दूरसंचार अधिनियम एवं डिजिटल डेटा संरक्षण

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
18वीं लोकसभा की संरचना एवं संसदीय नवाचार (2026 संकलन)	**प्रमुख नवीन केंद्रीय अधिनियम (2026 संकलन): लोक परीक्षा अधिनियम, दूरसंचार अधिनियम, सीईसी अधिनियम एवं डीपीडीपी अधिनियम**	**प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: मुख्य चुनाव आयुक्त (मुख्य चुनाव आयुक्त) एवं चुनाव आयुक्तों (चुनाव आयुक्तों) की वैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया (अधिनियम 2023)**

6.1 18वीं लोकसभा की संरचना एवं संसदीय नवाचार (2026 संकलन)

• **18वीं लोकसभा का गठन एवं संवैधानिक पदाधिकारी:** 2026 संकलन में संपन्न आम चुनावों के पश्चात् गठित **18वीं लोकसभा** में कोटा (राजस्थान) से सांसद **ओम बिरला** को ध्वनिमत से लगातार दूसरी बार **लोकसभा अध्यक्ष (— अनुच्छेद 93)** चुना गया (बलराम जाखड़ और जी.एम.सी. बालयोगी के बाद लगातार दो कार्यकाल हेतु चुने जाने वाले प्रमुख अध्यक्षों में शामिल)। कटक से 7 बार के सांसद **भर्तृहरि महताब** को राष्ट्रपति द्वारा **प्रोटेम स्पीकर (— अनुच्छेद 95)** नियुक्त किया गया था। 10 वर्षों (2014–2024) के अंतराल के बाद 18वीं लोकसभा में किसी विपक्षी दल को कुल सदस्य संख्या के 10% (55 सीटों) से अधिक सीटें प्राप्त होने के कारण **राहुल गांधी** को वैधानिक रूप से **लोकसभा में विपक्ष का नेता (— विपक्ष के नेता)** मान्यता दी गई (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **संसद के विशेषाधिकार एवं 'नारी शक्ति' सत्र (नए संसद भवन में स्थानांतरण):** 19 सितंबर 2023 (गणेश चतुर्थी) को संसद की कार्यवाही औपचारिक रूप से पुराने संसद भवन (जिसे अब **'संविधान सदन'** नाम दिया गया है) से नए त्रिकोणीय संसद भवन में स्थानांतरित हुई, और नए संसद भवन में पारित होने वाला प्रथम ऐतिहासिक कानून **106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)** बना (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

6.2 प्रमुख नवीन केंद्रीय अधिनियम (2026 संकलन): लोक परीक्षा अधिनियम, दूरसंचार अधिनियम, सीईसी अधिनियम एवं डीपीडीपी अधिनियम

• **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (अप्रैल 2026 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित):** वर्ष 2023 के जन विश्वास अधिनियम (जिसने 42 अधिनियमों की 183 धाराओं को अपराध-मुक्त किया था) को आगे बढ़ाते हुए, संसद के दोनों सदनों ने **अप्रैल 2026** में **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2026** पारित किया (जिसे 17 मार्च 2026 को पुराना प्रारूप वापस लेने के बाद 27 मार्च 2026 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था)। इसके प्रमुख परीक्षा-उपयोगी बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. **79–80 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन और 717 प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण:** यह अधिनियम 23 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रशासित **79–80 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों** में संशोधन करता है और जीवन की सुगमता तथा व्यापार की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए **717 छोटे, प्रक्रियात्मक और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर (गैर-आपराधिक)** करता है (पत्र सूचना कार्यालय)।

2. **प्रथम अपराध पर चेतावनी, सुधार नोटिस एवं जुर्माने का त्रैवार्षिक पुनरीक्षण:** अनेक कानूनों में पहली या दूसरी बार होने वाली प्रक्रियात्मक त्रुटियों पर सीधे दंड के स्थान पर **परामर्श या चेतावनी (एडवारी/वॉर्निंग)** देने का प्रावधान किया गया है, **विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत 'सुधार नोटिस' (इम्प्रूवमेंट नोटिस)** की व्यवस्था जोड़ी गई है, **मोटर वाहन अधिनियम, 1988** और **नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994** में सुधार किए गए हैं, कारावास के स्थान पर दीवानी आर्थिक दंड तय करने हेतु **निर्णयन अधिकारियों (एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स)** की नियुक्ति का प्रावधान है, तथा प्रत्येक **3 वर्ष में जुर्माने की राशि में 10 प्रतिशत की स्वतः वृद्धि** की व्यवस्था की गई है (पत्र सूचना कार्यालय)।

• **वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 (उम्मीद — एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम):** संसद द्वारा अप्रैल 2025 में पारित इस अधिनियम ने औपनिवेशिक **मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923** को निरस्त कर दिया और **वक्फ अधिनियम, 1995** में व्यापक सुधार किए: **धारा 40 का विलोपन:** वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को एकपक्षीय रूप से वक्फ संपत्ति घोषित करने की शक्ति समाप्त कर दी गई; भविष्य के लिए **'उपयोग द्वारा वक्फ' (वक्फ बाय यूजर)** की अवधारणा समाप्त कर दी गई (हालाँकि पूर्व से पंजीकृत गैर-विवादित संपत्तियाँ सुरक्षित रहेंगी); सरकारी भूमि से जुड़े विवादों की जाँच का अधिकार वक्फ न्यायाधिकरण के स्थान पर **जिला कलेक्टर से उच्च रैंक के नामित अधिकारी** को सौंपा गया; केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में **2 गैर-मुस्लिम सदस्यों** और **कम-से-कम 2 मुस्लिम महिलाओं** को शामिल करना तथा बोहरा, आगाखानी और पिछड़े मुस्लिम वर्गों को प्रतिनिधित्व देना अनिवार्य किया गया; वक्फ संपत्तियों के दावों पर **परिसीमा अधिनियम, 1963** लागू किया गया; तथा वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध **90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील** करने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया (भारतीय संविधान)।

• **समकालिक चुनाव (129वाँ संविधान संशोधन विधेयक) पर संयुक्त संसदीय समिति की 2026 की कार्यवाही एवं 131वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2026:** मई 2026 में **संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी)** ने **संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक** (लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के समकालिक चुनाव हेतु अनुच्छेद 82क का समावेशन) और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक पर व्यापक विचार-विमर्श किया, तथा वर्ष 2026 के विधायी एजेंडे में परिसीमन एवं प्रतिनिधित्व से जुड़ा **संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026** भी चर्चा में रहा (पत्र सूचना कार्यालय)।

• **लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 (, 2024 — 2026 संकलन से लागू):**

1. **दायरा (कवर की गई परीक्षाएँ):** संघ लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जाति), कर्मचारी चयन आयोग (अनुसूचित जाति), रेलवे भर्ती बोर्ड (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों), बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी तथा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की भर्ती परीक्षाएँ इसके अंतर्गत आती हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

2. **अपराध की प्रकृति एवं दंड प्रावधान:** इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध **संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय** हैं। प्रश्नपत्र लीक करने, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ करने या कंप्यूटर नेटवर्क हैक करने वाले किसी व्यक्ति या समूह के लिए **3 से 5 वर्ष का कारावास और ₹10 लाख तक का जुर्माना** निर्धारित है; जबकि **संगठित रूप से परीक्षा अपराध** करने वाले सेवा प्रदाताओं या माफिया के लिए **न्यूनतम 5 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम ₹1 करोड़ का जुर्माना** (तथा परीक्षा की आनुपातिक लागत की वसूली) का प्रावधान है। वास्तविक परीक्षार्थियों को इस दंडात्मक कानून के उत्पीड़न से बाहर रखा गया है और उन पर संबंधित परीक्षा प्राधिकरण के प्रशासनिक नियम लागू होते हैं; मामले की जाँच **पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त** से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जा सकती (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **दूरसंचार अधिनियम, 2023 (, 2023 — 2026 संकलन से चरणबद्ध रूप से लागू):** इस अधिनियम ने **138 वर्ष पुराने 'भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885', 'भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933'** और **'टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1950'** को निरस्त कर प्रतिस्थापित किया है। इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं: उपग्रह ब्रॉडबैंड (/ उपग्रह संचार) सहित राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और आपदा प्रबंधन जैसी प्रथम अनुसूची की 19 सेवाओं के लिए नीलामी के बजाय **प्रशासनिक रूप से स्पेक्ट्रम आवंटन** की अनुमति; सिम कार्ड जारी करने के लिए **बायोमेसूत्र आधारित पहचान सत्यापन** की अनिवार्यता; राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के आपातकाल में सरकार को दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी नियंत्रण या निलंबन का अधिकार; तथा 'यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड' (सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि) का नाम बदलकर **'डिजिटल भारत निधि'** करना (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023:** 1991 के अधिनियम का स्थान लेते हुए इस कानून ने मुख्य चुनाव आयुक्त (मुख्य चुनाव आयुक्त) और चुनाव आयुक्तों (चुनाव आयुक्तों) की नियुक्ति के लिए दो-स्तरीय तंत्र स्थापित किया है: **खोज समिति:** केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री की अध्यक्षता में (जिसमें भारत सरकार के दो सचिव सदस्य होते हैं) 5 योग्य नामों का पैनल तैयार करती है; तथा **चयन समिति: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता (विपक्ष के नेता),** और **प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री** से मिलकर बनती है, जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** (जो भी पहले हो) होता है और इनका वेतन व भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान रखे गए हैं (भारतीय संविधान)।

• **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 एवं नियम फ्रेमवर्क (2026 संकलन):** न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्णा समिति की सिफारिशों और के.एस. पुट्टस्वामी निर्णय (अनुच्छेद 21 — निजता का अधिकार) के आलोक में अधिनियमित इस कानून के तहत नागरिकों को **'डेटा प्रिंसिपल'** और डेटा एकत्र करने वाली संस्थाओं को **'डेटा फिड्यूशियरी'** कहा गया है। प्रवर्तन और शिकायत निवारण के लिए **'भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड'** का गठन किया गया है तथा डेटा उल्लंघन पर **₹250 करोड़ तक के जुर्माने** का प्रावधान है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

6.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: मुख्य चुनाव आयुक्त (मुख्य चुनाव आयुक्त) एवं चुनाव आयुक्तों (चुनाव आयुक्तों) की वैधानिक नियुक्ति प्रक्रिया (अधिनियम 2023)

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री की अध्यक्षता वाली 3-सदस्यीय 'खोज समिति' द्वारा सचिव-स्तर के 5 नामों का पैनल निर्माण

चरण 2
चरण 2: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता (विपक्ष के नेता) एवं एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की 'चयन समिति' द्वारा विचार

चरण 3
चरण 3: चयन समिति द्वारा पैनल से या पैनल के बाहर के किसी सर्वाधिक योग्य व्यक्ति के नाम की राष्ट्रपति को सिफारिश

चरण 4
चरण 4: अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु तक के लिए आधिकारिक नियुक्ति एवं सर्वोच्च न्यायालय के जज के समकक्ष वेतन]`

6.4 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख नवीन केंद्रीय अधिनियम एवं उनके वैधानिक प्रावधान (2026 संकलन)

अधिनियम का नाम एवं प्रवर्तन वर्ष	प्रतिस्थापित पुराना कानून / पृष्ठभूमि	मुख्य संस्थागत / नियामक परिवर्तन	अधिकतम दंड / जुर्माना / विशेष प्रावधान	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024	केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं हेतु प्रथम समर्पित केंद्रीय कानून	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व परीक्षाओं को सुरक्षा कवच; जाँच न्यूनतम / स्तर के अधिकारी द्वारा	व्यक्तिगत अपराध: **3–5 वर्ष कारावास व ₹10 लाख जुर्माना**; संगठित अपराध: **5–10 वर्ष कारावास व न्यूनतम ₹1 करोड़ जुर्माना**	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2026 संकलन से लागू)	भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम एवं वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम	सैटेलाइट ब्रॉडबैंड हेतु प्रशासनिक स्पेक्ट्रम आवंटन; सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नया नाम **'डिजिटल भारत निधि'**	फर्जी सिम या अनधिकृत अवरोधन पर **3 वर्ष तक कारावास और ₹2 करोड़ तक जुर्माना**	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023	चुनाव आयोग (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1991 एवं अनूप बरनवाल वाद	चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (प्रधानमंत्री + विपक्ष के नेता + कैबिनेट मंत्री)	मुख्य चुनाव आयुक्त का निष्कासन सर्वोच्च न्यायालय के जज की भांति; आधिकारिक कार्यों के लिए दीवानी व फौजदारी कार्यवाही से उन्मुक्ति	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43क का स्थान	**भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड** की स्थापना; 'कंसेंट मैनेजर' एवं 'सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी' की अवधारणा	सुरक्षा उपायों के उल्लंघन पर **₹250 करोड़ तक** का जुर्माना; बच्चों (18 वर्ष से कम) के डेटा हेतु अभिभावक की सहमति अनिवार्य	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2023 (प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम)	औपनिवेशिक 'प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867' का स्थान	भारत के प्रेस महापंजीयक द्वारा ऑनलाइन 'प्रेस सेवा पोर्टल' के माध्यम से 60 दिनों में पंजीकरण	जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष भौतिक घोषणाओं की जटिलता समाप्त; आतंकवादी/गैरकानूनी गतिविधियों में दोषी व्यक्ति को पत्रिका निकालने पर रोक	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

क्या आप जानते हैं?: लोकसभा में विपक्ष के नेता (— विपक्ष के नेता) के पद को **'संसद में विपक्षी नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977'** के अंतर्गत वैधानिक मान्यता प्राप्त है और उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन, भत्ते व सुविधाएँ प्राप्त होती हैं; इसके अलावा वे मुख्य चुनाव आयुक्त (मुख्य चुनाव आयुक्त), केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी), केंद्रीय सूचना आयुक्त (केंद्रीय सूचना आयोग), सीबीआई निदेशक (सीबीआई), लोकपाल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष की चयन समितियों के पदेन वैधानिक सदस्य होते हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के तहत **'बालक'** की परिभाषा में **18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति** को शामिल किया गया है, और डेटा फिड्यूशियरी के लिए किसी भी बच्चे के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने से पहले उसके माता-पिता या वैध अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति लेना अनिवार्य है तथा बच्चों की ट्रैकिंग या टार्गेटेड विज्ञापन पूर्णतः प्रतिबंधित है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

★ **स्मरण सूत्र:** वर्ष 2023–2026 संकलन में निरस्त किए गए प्रमुख औपनिवेशिक कानूनों का सूत्र — **"1860 की आईपीसी बनी बीएनएस, 1867 का प्रेस एक्ट बना एक्ट, 1872 का साक्ष्य अधिनियम बना बीएसए, और 1885 का टेलीग्राफ एक्ट बना दूरसंचार अधिनियम 2023 (जिसमें सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि बना डिजिटल भारत निधि)!"** (आईयूसी अकादमी)।

अध्याय 7: संवैधानिक, वैधानिक एवं नियामक निकाय: 16वाँ वित्त आयोग प्रतिवेदन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक एवं लोकपाल

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 7: संवैधानिक, वैधानिक एवं नियामक निकाय: 16वाँ वित्त आयोग प्रतिवेदन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक एवं लोकपाल

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3
16वाँ वित्त आयोग: संरचना, सिफारिशें एवं बजट 2026–27 में क्रियान्वयन	**भारत निर्वाचन आयोग (भारत निर्वाचन आयोग), सीएजी (सीएजी), यूपीएससी (अनुसूचित जाति), लोकपाल एवं राष्ट्रीय आयोगों के प्रमुख घटनाक्रम**	**प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: अनुच्छेद 280 एवं बजट 2026–27 के तहत 16वें वित्त आयोग का राजकोषीय हस्तांतरण चक्र**

7.1 16वाँ वित्त आयोग: संरचना, सिफारिशें एवं बजट 2026–27 में क्रियान्वयन

• **अनुच्छेद 280 के तहत गठन एवं संरचना:** भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के **अनुच्छेद 280** के अंतर्गत 31 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष **डॉ. अरविंद पनगढ़िया** की अध्यक्षता में **16वें वित्त आयोग** का गठन किया गया, जिसके सचिव **ऋत्विक रंजनम पांडे** हैं तथा पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्यों में **अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा** और **डॉ. सौम्या कांति घोष** शामिल हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **पंचाट अवधि (: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) एवं केंद्रीय बजट 2026–27 में स्वीकृत सिफारिशें:** 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें 5-वर्षीय अवधि **(2026–27 से 2030–31)** के लिए लागू हुई हैं और **केंद्रीय बजट 2026–27 इस पंचाट अवधि का प्रथम वर्ष** है। केंद्रीय बजट 2026–27 के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार:

3. **16वें वित्त आयोग का पुनर्गठित क्षैतिज कर हस्तांतरण सूत्र (1 फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत प्रतिवेदन):** 1 फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत **16वें वित्त आयोग** (अध्यक्ष: **डॉ. अरविंद पनगढ़िया**; पूर्णकालिक सदस्य: **एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, टी. रबि शंकर**; अंशकालिक सदस्य: **डॉ. सौम्यकांति घोष**; सचिव: **ऋत्विक रंजनम पांडे**) के **2026–31 पंचाट अवधि** के प्रतिवेदन में राज्यों के बीच करों के क्षैतिज बँटवारे (हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन) के मानदंडों में ऐतिहासिक बदलाव किया गया है:

• **प्रति व्यक्ति राज्य जीडीपी अंतराल (आय अंतराल / इनकम डिस्टेंस): 42.5 प्रतिशत भारांश** (15वें वित्त आयोग के 45 प्रतिशत से घटाकर 42.5 प्रतिशत किया गया) (केंद्रीय बजट)।

• **जनसंख्या (2011 की जनगणना): 17.5 प्रतिशत भारांश** (15वें वित्त आयोग के 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17.5 प्रतिशत किया गया) (केंद्रीय बजट)।

• **जनसांख्यिकीय निष्पादन (1971 से 2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण): 10.0 प्रतिशत भारांश** (15वें वित्त आयोग के 12.5 प्रतिशत से संशोधित कर 10 प्रतिशत किया गया) (केंद्रीय बजट)।

• **भौगोलिक क्षेत्रफल: 10.0 प्रतिशत भारांश** (15वें वित्त आयोग के 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया गया) (केंद्रीय बजट)।

• **वन एवं पारिस्थितिकी: 10.0 प्रतिशत भारांश** (15वें वित्त आयोग के समान 10 प्रतिशत पर यथावत रखा गया) (केंद्रीय बजट)।

• **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान (नया मानदंड): 10.0 प्रतिशत भारांश** — 16वें वित्त आयोग ने 15वें वित्त आयोग के 2.5 प्रतिशत 'कर एवं राजकोषीय प्रयास' मानदंड को समाप्त कर उसके स्थान पर आर्थिक दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए **'जीडीपी में योगदान' (10 प्रतिशत भारांश)** नामक बिल्कुल नया मानदंड जोड़ा है (केंद्रीय बजट)।

4. **2026–31 हेतु ₹9.47 लाख करोड़ का कुल अनुदान एवं राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति:** 16वें वित्त आयोग ने पाँच वर्षीय पंचाट अवधि (2026–31) के लिए कुल **₹9.47 लाख करोड़ के अनुदान** की सिफारिश की है, जिसमें **ग्रामीण स्थानीय निकायों (पंचायतों) के लिए ₹4.35 लाख करोड़, शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिकाओं) के लिए ₹3.56 लाख करोड़**, और **राज्य आपदा प्रबंधन कोष में केंद्र के अंशदान के रूप में ₹1.56 लाख करोड़** शामिल हैं (स्थानीय निकाय अनुदान में **80 प्रतिशत मूल अनुदान और 20 प्रतिशत निष्पादन अनुदान** होगा)। सबसे महत्वपूर्ण सुधार के रूप में 16वें वित्त आयोग ने **राजस्व घाटा अनुदान (रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट), क्षेत्र-विशिष्ट अनुदान और राज्य-विशिष्ट अनुदान को पूर्णतः समाप्त** कर दिया है तथा वर्ष 2030–31 तक केंद्र का राजकोषीय घाटा जीडीपी के **3.5 प्रतिशत** और राज्यों का राजकोषीय घाटा राज्य जीडीपी के **3.0 प्रतिशत** तक लाने तथा सभी बजट-बाह्य उधारों को बजट में शामिल करने की सिफारिश की है (केंद्रीय बजट)।

1. **ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण (कर — 41% पर यथावत):** भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग की इस प्रमुख सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी को **41 प्रतिशत** पर बरकरार रखा जाए (जो 15वें वित्त आयोग के समान है) (केंद्रीय बजट 2026–27)।

2. **वित्त वर्ष 2026–27 के लिए वित्त आयोग अनुदान (₹1.4 लाख करोड़):** बजट अनुमान (बजट अनुमान) 2026–27 में राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में **₹1.4 लाख करोड़** का प्रावधान किया गया है, जिसमें ग्रामीण स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान (— विशेष आहरण अधिकार/) शामिल हैं (केंद्रीय बजट 2026–27)।

7.2 भारत निर्वाचन आयोग (भारत निर्वाचन आयोग), सीएजी (सीएजी), यूपीएससी (अनुसूचित जाति), लोकपाल एवं राष्ट्रीय आयोगों के प्रमुख घटनाक्रम

• **56वीं एवं 57वीं जीएसटी परिषद बैठक (8 अक्टूबर 2026) — दर युक्तिकरण एवं गैर-आपराधीकरण के ऐतिहासिक निर्णय:**

1. **56वीं जीएसटी परिषद बैठक (दर युक्तिकरण एवं उल्टे शुल्क ढाँचे में सुधार):** 56वीं बैठक में जीएसटी दरों के युक्तिकरण और विनिर्माण क्षेत्र में उल्टे शुल्क ढाँचे (जहाँ कच्चे माल पर कर निर्मित वस्तु से अधिक होता है) को सुधारने पर विशेष बल दिया गया (पत्र सूचना कार्यालय)।

2. **57वीं जीएसटी परिषद बैठक (8 अक्टूबर 2026, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में):** 1 नवंबर 2026 से चरणबद्ध रूप से लागू किए गए इस सुधार पैकेज ने विश्वास-आधारित कर प्रशासन की नींव रखी: (क) **अभियोजन की सीमा पाँच गुना बढ़ी:** जीएसटी के तहत आपराधिक मुकदमा (अभियोजन) चलाने की न्यूनतम कर-चोरी सीमा को **₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़** करने की सिफारिश की गई; (ख) प्रक्रियात्मक चूकों में गिरफ्तारी के प्रावधानों को समाप्त किया गया; (ग) **अधिकतम सामान्य जुर्माने में कटौती:** जीएसटी में अधिकतम सामान्य दंड को **₹25,000 से घटाकर ₹10,000** किया गया; तथा (घ) निर्यातकों और छोटे व्यापारियों के लिए त्वरित स्वचालित जीएसटी रिफंड, सरल पंजीकरण/रद्दीकरण और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पात्रता के विस्तार को मंजूरी दी गई (पत्र सूचना कार्यालय)।

• **भारत निर्वाचन आयोग (भारत निर्वाचन आयोग — अनुच्छेद 324) और डिजिटल अनुप्रयोग:** निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए प्रमुख डिजिटल पोर्टल एवं ऐप्स संचालित किए हैं: **सी-विजिल (सी-विजिल):** आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जियो-टैग फोटो/वीडियो शिकायत करने वाला नागरिक ऐप जिस पर **100 मिनट के भीतर** कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है; **सुविधा (सुविधा):** राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को रैलियों, बैठकों व हेलीपैड की ऑनलाइन अनुमति तथा नामांकन पत्र दाखिल करने का एकल मंच; **सक्षम (सक्षम):** दिव्यांग मतदाताओं के पंजीकरण, व्हीलचेयर बुकिंग और होम-वोटिंग सुविधा हेतु; तथा **केवाईसी (— केवाईसी):** उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति के हलफनामे को देखने के लिए (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी — अनुच्छेद 148–151) एवं संघ लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जाति — अनुच्छेद 315–323):** भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 148** के तहत नियुक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी — कार्यकाल: 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु) संघ और प्रत्येक राज्य की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा-परीक्षण करते हैं और अपनी तीन प्रतिवेदन रिपोर्टें (विनियोग लेखे, वित्त लेखे और सरकारी उपक्रमों पर) अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति/राज्यपाल को सौंपते हैं, जिनकी जाँच संसद की **लोक लेखा समिति (— लोक लेखा समिति: 22 सदस्य = 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा)** द्वारा की जाती है। इसी प्रकार **भाग (अनुच्छेद 315–323)** के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जाति) केंद्रीय सिविल सेवाओं की भर्ती और अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श का कार्य करता है (भारतीय संविधान)।

• **लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी): लोकपाल** एक वैधानिक भ्रष्टाचार-रोधी निकाय है जिसमें 1 अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य (जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य और न्यूनतम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होना अनिवार्य है) होते हैं, जिनका कार्यकाल **5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** है। वहीं **केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)** की स्थापना **संथानम**

समिति (1962–64) की सिफारिश पर 1964 में हुई और इसे **सीवीसी अधिनियम, 2003** द्वारा वैधानिक दर्जा मिला (संरचना: 1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त; कार्यकाल: **4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**) (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

7.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: अनुच्छेद 280 एवं बजट 2026–27 के तहत 16वें वित्त आयोग का राजकोषीय हस्तांतरण चक्र

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग (2026–31) का गठन

चरण 2
चरण 2: केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर आगमों के ऊर्ध्वाधर विभाजन को 41% पर बनाए रखने की सिफारिश

चरण 3
चरण 3: बजट 2026–27 में ₹28.67 लाख करोड़ के केंद्रीय शुद्ध कर राजस्व के साथ राज्यों को ₹1.4 लाख करोड़ के वित्त आयोग अनुदान का आवंटन

चरण 4
चरण 4: ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (पंचायतों व नगरपालिकाओं) तथा आपदा प्रबंधन कोषों (विशेष आहरण अधिकार/) का सशक्तीकरण]`

7.4 तुलनात्मक सारणी: प्रमुख संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय — अनुच्छेद, संरचना, कार्यकाल एवं नियुक्ति तंत्र

निकाय का नाम	प्रकृति एवं संवैधानिक अनुच्छेद / अधिनियम	संरचना (अध्यक्ष एवं सदस्य)	कार्यकाल एवं अधिकतम आयु सीमा	नियुक्ति एवं पदच्युति का प्रावधान	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
वित्त आयोग (16वाँ वित्त आयोग)	अर्ध-न्यायिक संवैधानिक निकाय (**अनुच्छेद 280**)	1 अध्यक्ष (डॉ. अरविंद पनगढ़िया) + 4 अन्य सदस्य	राष्ट्रपति के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि (पंचाट अवधि: **2026–2031**)	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं	केंद्रीय बजट 2026–27
भारत निर्वाचन आयोग (भारत निर्वाचन आयोग)	स्थायी संवैधानिक निकाय (**अनुच्छेद 324**)	1 मुख्य चुनाव आयुक्त (मुख्य चुनाव आयुक्त) + 2 चुनाव आयुक्त (चुनाव आयुक्तों)	**6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** (जो भी पहले हो)	प्रधानमंत्री + विपक्ष के नेता + कैबिनेट मंत्री की समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा; मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय जज की तरह तथा चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाता है	भारतीय संविधान
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)	एकल-सदस्यीय संवैधानिक निकाय (**अनुच्छेद 148**)	1 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)	**6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** (सेवानिवृत्ति के बाद भारत/राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं)	राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त; सर्वोच्च न्यायालय के जज की भांति ही पद से हटाया जा सकता है	भारतीय संविधान
संघ लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जाति)	स्वतंत्र संवैधानिक निकाय (**अनुच्छेद 315–323**)	1 अध्यक्ष + राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य सदस्य (सामान्यतः 9–11 सदस्य)	**6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** (राज्य लोक सेवा आयोग अनुसूचित जाति हेतु: **6 वर्ष या 62 वर्ष**)	राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की बाध्यकारी जाँच (अनुच्छेद 317) के बाद राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन	भारतीय संविधान
राष्ट्रीय आयोग (एनसीएससी, एनसीएसटी एवं एनसीबीसी)	संवैधानिक निकाय (**अनुच्छेद 338, 338क एवं 338ख**)	1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 अन्य सदस्य (कुल 5 सदस्य प्रत्येक आयोग में)	**3 वर्ष** (सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाकर निर्धारित)	राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त	भारतीय संविधान
लोकपाल	वैधानिक निकाय (लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013)	1 अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य (50% न्यायिक सदस्य; 50% अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक)	**5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** (जो भी पहले हो)	प्रधानमंत्री + लोकसभा अध्यक्ष + विपक्ष के नेता + मुख्य न्यायाधीश + एक प्रख्यात न्यायविद की चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी)	वैधानिक निकाय (सीवीसी अधिनियम, 2003 — संथानम समिति)	1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त	**4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** (पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं)	प्रधानमंत्री + केंद्रीय गृह मंत्री + लोकसभा में विपक्ष के नेता (विपक्ष के नेता) की 3-सदस्यीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

निकाय का नाम	प्रकृति एवं संवैधानिक अनुच्छेद / अधिनियम	संरचना (अध्यक्ष एवं सदस्य)	कार्यकाल एवं अधिकतम आयु सीमा	नियुक्ति एवं पदच्युति का प्रावधान	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)	वैधानिक निकाय (मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 — 2019 में संशोधित)	1 अध्यक्ष (सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश) + 5 पूर्णकालिक सदस्य + 7 पदेन सदस्य	**3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** (2019 संशोधन द्वारा 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया गया और पुनर्नियुक्ति योग्य बनाया गया)	प्रधानमंत्री + गृह मंत्री + दोनों सदनों के विपक्ष के नेता + लोकसभा अध्यक्ष + राज्यसभा के उपसभापति (6-सदस्यीय समिति) की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

क्या आप जानते हैं?: मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की पात्रता शर्तों में बड़ा बदलाव किया गया था — पहले केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश) ही एनएचआरसी के अध्यक्ष बन सकते थे, किंतु अब **सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश)** एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, तथा कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर **3 वर्ष (या 70 वर्ष की आयु)** कर दिया गया है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: राज्य लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जाति) के अध्यक्ष और सदस्यों की **नियुक्ति तो राज्य के राज्यपाल** द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 316), किंतु उन्हें कदाचार के आधार पर पद से **हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति** के पास है, राज्यपाल के पास नहीं (अनुच्छेद 317; ठीक यही नियम राज्य निर्वाचन आयुक्त पर भी लागू होता है जिन्हें उच्च न्यायालय जज की भांति केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है) (भारतीय संविधान)।

★ **स्मरण सूत्र:** विभिन्न निकायों की कार्यकाल एवं सेवानिवृत्ति आयु को याद रखने का अचूक सूत्र — **"मुख्य चुनाव आयुक्त, सीएजी और अनुसूचित जाति का 6 साल या 65 वर्ष; अनुसूचित जाति का 6 साल या 62 वर्ष; सीवीसी का 4 साल या 65 वर्ष; लोकपाल का 5 साल या 70 वर्ष; और एनएचआरसी व सूचना आयोग (केंद्रीय सूचना आयोग) का 3 साल!"** (आईयूसी अकादमी)।

7.5 तुलनात्मक सारणी: 15वाँ वित्त आयोग बनाम 16वाँ वित्त आयोग (2026–31) क्षैतिज कर हस्तांतरण सूत्र

हस्तांतरण मानदंड / घटक	15वाँ वित्त आयोग भारांश (2021–26)	16वाँ वित्त आयोग भारांश (2026–31)	प्रमुख नीतिगत परिवर्तन एवं राजकोषीय प्रभाव	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
राज्यों की ऊर्ध्वाधर कर हिस्सेदारी	विभाज्य पूल का **41.0%**	विभाज्य पूल का **41.0%**	41 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया	केंद्रीय बजट
आय अंतराल (प्रति व्यक्ति राज्य जीडीपी अंतराल)	45.0%	**42.5%**	2.5 प्रतिशत अंक की कमी; शीर्ष 3 उच्च आय वाले राज्यों के औसत से दूरी पर आधारित	केंद्रीय बजट
जनसंख्या (2011 की जनगणना)	15.0%	**17.5%**	2.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि (2011 की जनगणना के आधार पर)	केंद्रीय बजट
जनसांख्यिकीय निष्पादन	12.5%	**10.0%**	2.5 प्रतिशत अंक का समायोजन; 1971–2011 के दौरान जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहन	केंद्रीय बजट
भौगोलिक क्षेत्रफल	15.0%	**10.0%**	5.0 प्रतिशत अंक की कमी (छोटे राज्यों हेतु 2% न्यूनतम सीमा)	केंद्रीय बजट
वन एवं पारिस्थितिकी	10.0%	**10.0%**	10.0 प्रतिशत पर यथावत; सघन एवं मध्यम वन क्षेत्र को प्रोत्साहन	केंद्रीय बजट
जीडीपी में योगदान (नया) बनाम कर प्रयास	कर एवं राजकोषीय प्रयास: 2.5%	**जीडीपी में योगदान: 10.0%**	कर प्रयास मानदंड समाप्त कर **'जीडीपी में योगदान' (10% भारांश)** का नया मानदंड जोड़ा गया	केंद्रीय बजट
पाँच-वर्षीय कुल सहायता अनुदान	राजस्व घाटा अनुदान शामिल था	**₹9.47 लाख करोड़** (ग्रामीण ₹4.35 लाख करोड़, शहरी ₹3.56 लाख करोड़, आपदा ₹1.56 लाख करोड़)	**राजस्व घाटा अनुदान, क्षेत्रीय व राज्य-विशिष्ट अनुदान समाप्त**; 80:20 मूल व निष्पादन अनुपात	केंद्रीय बजट

अध्याय 8: लोक प्रशासन, डिजिटल लोक अवसंरचना, कर्मयोगी अभियान, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली एवं पंचायती राज हस्तांतरण सूचकांक

अध्याय के प्रमुख अध्ययन स्तंभ — अध्याय 8: लोक प्रशासन, डिजिटल लोक अवसंरचना, कर्मयोगी अभियान, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली एवं पंचायती राज हस्तांतरण सूचकांक

प्रमुख अध्ययन बिंदु 1	प्रमुख अध्ययन बिंदु 2	प्रमुख अध्ययन बिंदु 3	प्रमुख अध्ययन बिंदु 4
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डिजिटल लोक अवसंरचना), मिशन कर्मयोगी (आईगॉट) एवं प्रशासनिक सुधार (सीपीग्राम्स)	पंचायती राज हस्तांतरण सूचकांक (हस्तांतरण सूचकांक 2026), स्वामित्व योजना एवं सहकारी संघवाद	प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: सीपीग्राम्स (सीपीग्राम्स 7.0) एवं सेवोत्तम मॉडल के तहत समयबद्ध लोक शिकायत निवारण चक्र	ई-न्यायालय परियोजना तृतीय चरण (₹7,210 करोड़), राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एवं मध्यस्थता अधिनियम का क्रियान्वयन

8.1 डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डिजिटल लोक अवसंरचना), मिशन कर्मयोगी (आईगॉट) एवं प्रशासनिक सुधार (सीपीग्राम्स)

• **सेबी अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे के 2026 के पूँजी बाजार सुधार एवं दीर्घकालिक इक्विटी व्युत्पन्न अनुबंध:** सेबी अध्यक्ष **तुहिन कांत पांडे** के नेतृत्व में वर्ष 2026 में संस्थागत हेजिंग को बढ़ावा देने और खुदरा निवेशकों को अल्पकालिक सट्टेबाजी के जोखिम से बचाने के लिए **दीर्घकालिक इक्विटी व्युत्पन्न अनुबंधों (लॉन्ग-टर्म डेरिवेटिव्स / लीप्स)** को विस्तारित करने, समाप्ति दिवस (एक्सपायरी डे) पर निपटान मूल्य निर्धारण नियमों को सुदृढ़ करने तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के पंजीकरण नियमों को सरल बनाने की पहल की गई (**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**)।

• **भारत का डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (& डिजिटल लोक अवसंरचना):** भारत के डिजिटल शासन मॉडल (— डिजिटल लोक अवसंरचना) के तीन आधारभूत स्तंभ (**'जैम ट्रिनिटी' व इंडिया स्टैक**) हैं: **डिजिटल पहचान परत:** आधार (— कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और ई-केवाईसी (-केवाईसी); **तात्कालिक भुगतान परत:** एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण; तथा **डेटा सशक्तीकरण एवं सहमति परत:** डिजिलॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। वैश्विक स्तर पर भारत ने 'ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी' (डिजिटल लोक अवसंरचना) के माध्यम से विकासशील देशों के साथ अपना ओपन-सोर्स डिजिटल लोक अवसंरचना साझा किया है (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

• **मिशन कर्मयोगी — सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम (अनुसूचित जाति) एवं आईगॉट कर्मयोगी:** केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित **'मिशन कर्मयोगी'** का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवकों को **'नियम-आधारित' (नियम-आधारित) कार्यशैली से 'भूमिका-आधारित' (भूमिका-आधारित) मानव संसाधन प्रबंधन** की ओर अग्रसर करना है। इसके चार प्रमुख संस्थागत स्तंभ हैं: प्रधानमंत्री की मानव संसाधन परिषद (प्रधानमंत्री' — सर्वोच्च नीतिगत निकाय); कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समन्वय इकाई; **क्षमता निर्माण आयोग (क्षमता निर्माण —)**; और **कर्मयोगी भारत** जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म **'आईगॉट कर्मयोगी' (आईगॉट —)** का संचालन करता है (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

• **सीपीग्राम्स (सीपीग्राम्स — केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली) के 10-चरणीय सुधार:** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग) द्वारा संचालित **सीपीग्राम्स** पोर्टल पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण की अधिकतम समय-सीमा को पहले के 60 दिनों और 45 दिनों से घटाकर अब **अधिकतम 21 दिन** कर दिया गया है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित भाषा अनुवाद (**भाषिणी** के सहयोग से 22 संविधानिक भाषाओं में शिकायत सुविधा), 'फीडबैक कॉल सेंटर' और असंतुष्ट होने पर **अपील अधिकारी** के समक्ष 30 दिनों में अपील करने की सुविधा जोड़ी गई है (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

8.2 पंचायती राज हस्तांतरण सूचकांक (हस्तांतरण सूचकांक 2026), स्वामित्व योजना एवं सहकारी संघवाद

• **पंचायती राज हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट (हस्तांतरण सूचकांक — पंचायती राज मंत्रालय एवं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान):** संविधान के **अनुच्छेद 243छ** के तहत राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपे गए अधिकारों का मूल्यांकन करने के लिए जारी पंचायती राज हस्तांतरण सूचकांक (भारतीय लोक प्रशासन संस्थान — भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा तैयार) में **6 आयामों** के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की जाती है: रूपरेखा (रूपरेखा), कार्य (कार्य — 11वीं अनुसूची के 29 विषय), वित्त (वित्त), पदाधिकारी (पदाधिकारी), क्षमता निर्माण (क्षमता निर्माण), और जवाबदेही (जवाबदेही)। इसमें गत **3 (कार्य, वित्त, पदाधिकारी)** का विस्तार कर इसे व्यापक स्थानीय स्वशासन मानदंड बनाया गया है (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

• **स्वामित्व योजना (स्वामित्व), ई-ग्राम स्वराज एवं पंचायत विकास सूचकांक:**

1. **स्वामित्व योजना:** राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (**24 अप्रैल**) पर प्रारंभ इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत ड्रोन और तकनीक से गाँवों की आबादी भूमि का मानचित्रण कर ग्रामीण गृहस्वामियों को वैधानिक **'संपत्ति कार्ड' (/ घरौनी)** प्रदान किए जाते हैं, जिससे ग्रामीण संपत्तियों का वित्तीय मुद्रीकरण और बैंक ऋण प्राप्ति संभव हुई है (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

2. **ई-ग्राम स्वराज एवं जेम एकीकरण:** पंचायतों के नियोजन, लेखांकन और भुगतान (लिंकेज) को पूर्णतः डिजिटल बनाने हेतु ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के साथ जोड़ा गया है तथा **'मेरी पंचायत'** ऐप के माध्यम से सोशल ऑडिट को सशक्त किया गया है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• **नागरिक चार्टर (नागरिक अधिकार-पत्र), सेवोत्तम मॉडल एवं सूचना का अधिकार:** द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग — अध्यक्ष: वीरप्पा मोइली) की 12वीं रिपोर्ट ('नागरिक केंद्रित प्रशासन — शासन का हृदय') की सिफारिश पर भारतीय मानक ब्यूरो (भारतीय मानक ब्यूरो) और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा विकसित **'सेवोत्तम मॉडल' (सेवा + उत्तम — भारतीय मानक 15700)** के **3 मुख्य घटक** हैं: नागरिक चार्टर (नागरिक अधिकार-पत्र) का प्रभावी क्रियान्वयन, लोक शिकायत निवारण प्रणाली, और सेवा वितरण क्षमता में निरंतर सुधार (आईयूसी अकादमी)।

8.3 प्रक्रिया प्रवाह-चित्र: सीपीग्राम्स (सीपीग्राम्स 7.0) एवं सेवोत्तम मॉडल के तहत समयबद्ध लोक शिकायत निवारण चक्र

संकल्पनात्मक प्रक्रिया प्रवाह आरेख

चरण 1
`[चरण 1: नागरिक द्वारा सीपीग्राम्स पोर्टल, ऐप या भाषिणी के माध्यम से 22 क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन शिकायत का पंजीकरण

चरण 2
चरण 2: कृत्रिम बुद्धिमत्ता/ डेटा-चालित वर्गीकरण द्वारा संबंधित मंत्रालय या राज्य के अंतिम-मील नोडल अधिकारी को स्वतः अग्रेषण

चरण 3
चरण 3: अधिकतम 21 दिनों की निर्धारित समय-सीमा के भीतर तथ्यात्मक जाँच एवं साक्ष्य-सहित निवारण आदेश का अपलोड

चरण 4
चरण 4: फीडबैक कॉल सेंटर द्वारा नागरिक संतुष्टि की रेटिंग एवं असंतुष्ट होने पर 30 दिन में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष डिजिटल अपील]`

8.4 तुलनात्मक सारणी: लोक प्रशासन, ई-गवर्नेंस पहल एवं पंचायती राज सुधार तंत्र (2026 संकलन)

शासन पहल / सूचकांक / समिति	नोडल मंत्रालय / कार्यान्वयन संस्था	प्रमुख संरचनात्मक घटक / समय-सीमा	मुख्य प्रशासनिक उद्देश्य एवं प्रभाव	आधिकारिक सत्यापन स्रोत
पंचायती राज हस्तांतरण सूचकांक (हस्तांतरण सूचकांक)	पंचायती राज मंत्रालय एवं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भारतीय लोक प्रशासन संस्थान)	**6 आयाम:** रूपरेखा, कार्य (29 विषय), वित्त, पदाधिकारी, क्षमता निर्माण व जवाबदेही	अनुच्छेद 243छ के तहत राज्यों द्वारा ग्राम पंचायतों को वास्तविक शक्ति हस्तांतरण का अनुभवजन्य मूल्यांकन	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
मिशन कर्मयोगी (अनुसूचित जाति) एवं आईगॉट प्लेटफॉर्म	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क्षमता निर्माण आयोग)	प्रधानमंत्री काउंसिल, क्षमता निर्माण आयोग, कर्मयोगी भारत और आईगॉट पोर्टल	सिविल सेवकों का 'नियम-आधारित' से **'भूमिका-आधारित'** क्षमता निर्माण एवं आजीवन डिजिटल प्रशिक्षण	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
सीपीग्राम्स (सीपीग्राम्स) सुधार	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग)	निवारण समय-सीमा: **21 दिन**; भाषिणी (22 भाषाएँ) एवं अपीलीय तंत्र से युक्त	केंद्र और राज्यों के मंत्रालयों में 247 ऑनलाइन शिकायत निवारण और प्रशासनिक जवाबदेही	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
स्वामित्व योजना (स्वामित्व — 24 अप्रैल)	पंचायती राज मंत्रालय (भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से)	ड्रोन सर्वेक्षण एवं नेटवर्क द्वारा ग्रामीण आबादी भूमि का सटीक मानचित्रण	ग्रामीण नागरिकों को कानूनी **'संपत्ति कार्ड' (घरौनी)** प्रदान कर भूमि विवाद समाप्त करना व संस्थागत ऋण दिलाना	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
सेवोत्तम मॉडल	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरो (भारतीय मानक ब्यूरो) — द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सिफारिश	**3 स्तंभ:** नागरिक चार्टर, लोक शिकायत निवारण प्रणाली और सेवा वितरण क्षमता	सरकारी विभागों में सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता का मानकीकरण और प्रमाणन	आईयूसी अकादमी
प्रगति	प्रधानमंत्री कार्यालय (प्रधानमंत्री) एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र	त्रि-स्तरीय प्रणाली (प्रधानमंत्री, केंद्रीय सचिव एवं राज्यों के मुख्य सचिव); प्रत्येक माह के चौथे बुधवार को समीक्षा	ई-पारदर्शिता, ई-जवाबदेही और अंतर्विभागीय समन्वय द्वारा प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं व शिकायतों की त्वरित समीक्षा	पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

क्या आप जानते हैं?: नागरिक चार्टर (नागरिक अधिकार-पत्र) की अवधारणा सर्वप्रथम वर्ष **1991 में यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) के प्रधानमंत्री जॉन मेजर** द्वारा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू की गई थी (जिसमें 6 मूल सिद्धांत थे: गुणवत्ता, विकल्प, मानक, मूल्य, जवाबदेही और पारदर्शिता), और भारत में इसे **मई 1997 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन** में अपनाया गया था (आईयूसी अकादमी)।

परीक्षा सतर्कता बिंदु: नागरिक चार्टर (नागरिक अधिकार-पत्र) अपने आप में **कानूनी रूप से प्रवर्तनीय दस्तावेज नहीं** है (अर्थात् इसके उल्लंघन मात्र पर सीधे न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि किसी विशिष्ट सेवा गारंटी अधिनियम द्वारा उसे विधिक बल न दिया गया हो), जबकि **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** एक पूर्ण वैधानिक कानून है जिसमें सामान्यतः **30 दिनों** में और किसी व्यक्ति के **जीवन या स्वतंत्रता** से जुड़े मामले में मात्र **48 घंटों** में सूचना देना कानूनी रूप से अनिवार्य है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

★ **स्मरण सूत्र:** पंचायती राज की प्रमुख समितियों का कालानुक्रमिक सूत्र — **"बलवंत राय मेहता (1957 — त्रि-स्तरीय विकेंद्रीकरण), अशोक मेहता (1977 — द्वि-स्तरीय मंडल व जिला पंचायत), जी.वी.के. राव (1985 — बिना जड़ की घास), एल.एम. सिंघवी (1986 — संवैधानिक दर्जे की प्रथम सिफारिश) और पी.के. थुंगन!"** (आईयूसी अकादमी)।

8.5 ई-न्यायालय परियोजना तृतीय चरण (₹7,210 करोड़), राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एवं मध्यस्थता अधिनियम का क्रियान्वयन

• **ई-न्यायालय परियोजना का तृतीय चरण (चार वर्षीय परिव्यय ₹7,210 करोड़):** विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग और भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा संयुक्त रूप से संचालित **ई-न्यायालय परियोजना के तृतीय चरण** का उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका को पूर्णतः कागज-रहित, क्लाउड-आधारित और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त बनाना है:

1. **3,108 करोड़ पृष्ठों के न्यायिक अभिलेखों का डिजिटलीकरण:** देश के सभी उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के पुराने और लंबित मामलों के अभिलेखों का पूर्ण डिजिटल रूपांतरण (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

2. **4,400 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना:** डिजिटल साधनों से वंचित वादियों और अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसरों में ही ई-फाइलिंग, मामले की स्थिति जानने और प्रमाणित डिजिटल प्रतियाँ प्राप्त करने की सुविधा (पत्र सूचना कार्यालय)।

3. **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एवं आभासी न्यायालय:** राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड देश भर के न्यायालयों में लंबित और निस्तारित मामलों का वास्तविक समय पर विवरण उपलब्ध कराता है, जबकि आभासी न्यायालय यातायात चालानों और छोटे अपराधों का ऑनलाइन निपटारा करते हैं (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

4. **सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख डिजिटल नवाचार — सुवास, सुपेश, फास्टर एवं ई-एससीआर:**

• **सुवास (सर्वोच्च न्यायालय विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर):** कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुवाद प्रणाली जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में अनूदित करती है (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **सुपेश (न्यायालय दक्षता सहायता पोर्टल):** न्यायाधीशों को विशाल केस फाइलों और पूर्ववर्ती निर्णयों के त्वरित विश्लेषण में सहायता करने वाला कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **फास्टर (इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का तीव्र और सुरक्षित प्रसारण):** जमानत आदेशों और अंतरिम निर्देशों को सर्वोच्च न्यायालय से सीधे कारागारों और जिला न्यायालयों तक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तुरंत पहुँचाने की प्रणाली (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• **मध्यस्थता अधिनियम, 2023 एवं भारतीय मध्यस्थता परिषद:** वैकल्पिक विवाद समाधान को संस्थागत रूप देने वाले इस अधिनियम के तहत **भारतीय मध्यस्थता परिषद** का गठन किया गया है, ऑनलाइन और सामुदायिक मध्यस्थता को विधिक मान्यता दी गई है, मध्यस्थता प्रक्रिया पूर्ण करने की समय-सीमा **120 दिन** (अधिकतम **60 दिन** के विस्तार सहित कुल **180 दिन**) निर्धारित की गई है, तथा हस्ताक्षरित मध्यस्थता समझौते को दीवानी न्यायालय की डिक्री के समान बाध्यकारी बनाया गया है (इंडिया कोड)।

हल सहित बहुविकल्पीय अभ्यास प्रश्न (45 हल सहित अभ्यास प्रश्न — प्रथम खंड)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

1. **106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) द्वारा लोकसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस नए अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है?**
(क) अनुच्छेद 330क
(ख) अनुच्छेद 332क
(ग) अनुच्छेद 334क
(घ) अनुच्छेद 239कक
उत्तर: (क)
व्याख्या: 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 द्वारा लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हेतु **अनुच्छेद 330क**, राज्य विधानसभाओं में **अनुच्छेद 332क**, दिल्ली विधानसभा में **अनुच्छेद 239कक(ख)** तथा प्रवर्तन एवं 15 वर्षीय समय-सीमा हेतु **अनुच्छेद 334क** जोड़ा गया है (भारतीय संविधान)।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

2. **अनुच्छेद 334क के अनुसार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम (106वाँ संविधान संशोधन) के तहत महिला आरक्षण कब से प्रभावी होगा?**
(क) राष्ट्रपति की स्वीकृति की तिथि से तत्काल प्रभाव से
(ख) 18वीं लोकसभा के गठन के प्रथम दिन से
(ग) अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् होने वाली प्रथम जनगणना के आँकड़ों के प्रकाशन और उसके आधार पर परिसीमन पूर्ण होने के बाद
(घ) 1 जनवरी 2030 से बिना किसी परिसीमन की आवश्यकता के
उत्तर: (ग)
व्याख्या: अनुच्छेद 334क के अनुसार यह आरक्षण इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद की जाने वाली प्रथम जनगणना के सुसंगत आँकड़े प्रकाशित होने और उसके पश्चात् परिसीमन (परिसीमन) का अभ्यास किए जाने के बाद ही प्रभावी होगा (**भारतीय संविधान**)।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

3. **निम्नलिखित में से किस विधायी निकाय में 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 के अंतर्गत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होता है?**
(क) लोकसभा
(ख) राज्यों की विधानसभाएँ
(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा
(घ) राज्यसभा एवं राज्यों की विधान परिषदें
उत्तर: (घ)
व्याख्या: 106वाँ संविधान संशोधन केवल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदनों — लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा — में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है; राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में यह लागू नहीं होता (**भारतीय संविधान**)।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

4. **'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (समकालिक चुनाव) पर गठित उच्च-स्तरीय समिति (अध्यक्ष: पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद) की सिफारिशों के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संपन्न होने के कितने दिनों के भीतर पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव है?**
(क) 30 दिनों के भीतर
(ख) 60 दिनों के भीतर
(ग) 100 दिनों के भीतर
(घ) 180 दिनों के भीतर
उत्तर: (ग)
व्याख्या: कोविंद समिति ने द्वि-चरणीय समकालिक चुनाव मॉडल की सिफारिश की है, जिसमें प्रथम चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे तथा द्वितीय चरण में उसके **100 दिनों के भीतर** सभी पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराए जाएँगे (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

5. **कोविंद समिति की सिफारिशों के अनुसार, यदि कोई राज्य विधानसभा अपने 5 वर्ष के कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है, तो मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित नई विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा?**
(क) गठन की तिथि से पूरे 5 वर्ष
(ख) केवल पूर्ववर्ती भंग विधानसभा के शेष/अवशिष्ट कार्यकाल (अवशिष्ट कार्यकाल) के लिए
(ग) अधिकतम 3 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए
(घ) अगली जनगणना प्रकाशित होने तक
उत्तर: (ख)
व्याख्या: समकालिक चुनाव चक्र को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में संशोधन प्रस्तावित किया गया है जिसके तहत समय-पूर्व विघटन की स्थिति में नया चुनाव केवल **शेष या अवशिष्ट कार्यकाल (अवशिष्ट अवधि)** के लिए ही होगा (**पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)**)।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

6. *2026 संकलन में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस पूर्ववर्ती निर्णय को पलटते हुए अनुसूचित जातियों (अनुसूचित जातियों) और जनजातियों (अनुसूचित जनजातियों) के उप-वर्गीकरण (उप-वर्गीकरण) को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया?*
(क) इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ
(ख) ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य
(ग) एम. नागराज बनाम भारत संघ
(घ) जरनैल सिंह बनाम लच्छमी नारायण गुप्ता
उत्तर: (ख)
व्याख्या: पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत से वर्ष 2004 के 5-न्यायाधीश पीठ के ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य निर्णय को पलट दिया और अनुभवजन्य आँकड़ों के आधार पर अजा/अजजा के उप-वर्गीकरण को वैध घोषित किया (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

7. *2026 संकलन में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मुख्य रूप से किस मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर 'इलेक्टोरल बॉन्ड योजना, 2018' को असंवैधानिक घोषित किया?*
(क) अनुच्छेद 19(क) के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार (सूचना का अधिकार) एवं अनुच्छेद 14
(ख) अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार
(ग) अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार
(घ) अनुच्छेद 300क के तहत संपत्ति के अधिकार
उत्तर: (क)
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि राजनीतिक दलों की फंडिंग के स्रोत को जानना **अनुच्छेद 19(क)** के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है और असीमित कॉर्पोरेट चंदे की छूट अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट रूप से मनमानी है (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

8. *2026 संकलन में सीता सोरेन बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने वर्ष 1998 के पी.वी. नरसिम्हा राव निर्णय को पलटते हुए किन संवैधानिक अनुच्छेदों के तहत विधायी विशेषाधिकार की सीमा निर्धारित की?*
(क) अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 163
(ख) अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194
(ग) अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 199
(घ) अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213
उत्तर: (ख)
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद सदस्यों को **अनुच्छेद 105** और राज्य विधायकों को **अनुच्छेद 194** के तहत प्राप्त संसदीय/विधायी विशेषाधिकार सदन में मतदान करने या प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत लेने के आपराधिक मुकदमे से कोई छूट नहीं देते (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

9. *2026 संकलन में प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद में सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संविधान के किस अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रत्येक निजी संपत्ति स्वतः 'समुदाय का भौतिक संसाधन' नहीं है?*
(क) अनुच्छेद 38
(ख) अनुच्छेद 39(ख)
(ग) अनुच्छेद 43क
(घ) अनुच्छेद 48
उत्तर: (ख)
व्याख्या: 9-न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि राज्य नीति के निदेशक तत्वों के **अनुच्छेद 39(ख)** में उल्लिखित 'समुदाय के भौतिक संसाधन' (समुदाय के भौतिक संसाधन) में प्रत्येक निजी स्वामित्व वाली संपत्ति स्वतः शामिल नहीं होती (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

10. *2026 संकलन में मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (माडा) बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) वाद में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सातवीं अनुसूची की किन प्रविष्टियों के तहत खनिज भूमि पर राज्यों के कराधान अधिकार को वैध ठहराया?*
(क) संघ सूची की प्रविष्टि 52 और 54
(ख) राज्य सूची (राज्य सूची) की प्रविष्टि 49 (भूमि और भवनों पर कर) और प्रविष्टि 50 (खनिज अधिकारों पर कर)
(ग) समवर्ती सूची की प्रविष्टि 40 और 42
(घ) संघ सूची की प्रविष्टि 82 और 97
उत्तर: (ख)
व्याख्या: 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इंडिया सीमेंट्स निर्णय को पलटते हुए कहा कि रॉयल्टी कर नहीं है तथा **राज्य सूची की प्रविष्टि 49 और प्रविष्टि 50** के तहत राज्यों को खनिज-युक्त भूमि और खनिज अधिकारों पर कर लगाने की पूर्ण शक्ति है (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

11. *2026 संकलन में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य वाद में 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने किस विषय पर राज्य विधानमंडलों की नियामक शक्ति को बरकरार रखा?*
(क) परमाणु ऊर्जा खनिज
(ख) औद्योगिक अल्कोहल (औद्योगिक अल्कोहल)
(ग) अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद
(घ) विदेशी मुद्रा प्रबंधन
उत्तर: (ख)
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने 8:1 के बहुमत से 1990 के सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स निर्णय को पलटते हुए कहा कि राज्य सूची की **प्रविष्टि 8 ('नशीली मदिरा' / नशीली मदिरा)** में औद्योगिक अल्कोहल भी शामिल है (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

12. *2026 संकलन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल वाद में 7-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 30 के संदर्भ में किस वर्ष के निर्णय को पलट दिया?*
(क) एस. अजीज बाशा बनाम भारत संघ
(ख) सेंट स्टीफंस कॉलेज बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय
(ग) टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य
(घ) पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य
उत्तर: (क)
व्याख्या: 7-न्यायाधीशों की पीठ ने 4:3 के बहुमत से 1967 के एस. अजीज बाशा निर्णय को पलटते हुए व्यवस्था दी कि किसी शैक्षणिक संस्थान को केवल इस कारण अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यक दर्जे से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसे किसी केंद्रीय अधिनियम (कानून) द्वारा मान्यता दी गई है (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

13. *सितंबर 2026 के सनोफी इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) वाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मुख्य रूप से किस विधिक सिद्धांत से संबंधित है?*
(क) कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व (निगमित आपराधिक दायित्व) और आपराधिक आशय (आपराधिक मन:स्थिति) का आरोपण
(ख) अंतर-राज्यीय जल विवादों का न्यायाधिकरण निर्णय
(ग) राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का न्यायिक पुनर्विलोकन
(घ) पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता की वैधता
उत्तर: (क)
व्याख्या: सनोफी इंडिया लिमिटेड बनाम सीबीआई में सर्वोच्च न्यायालय ने कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व और कॉर्पोरेट संस्थाओं व निदेशकों पर मेंस रिया के आरोपण के मानदंड स्पष्ट किए (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

14. **2026 संकलन में संपत्तियों के मनमाने ध्वस्तीकरण ('बुलडोजर न्याय') के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत जारी अखिल भारतीय दिशानिर्देशों के अनुसार, कारण बताओ नोटिस और अंतिम आदेश के बाद अपील हेतु न्यूनतम कितने दिनों का समय देना अनिवार्य है?**
(क) 3 दिन का नोटिस और 7 दिन की अपील अवधि
(ख) 7 दिन का नोटिस और 7 दिन की अपील अवधि
(ग) 15 दिन का पूर्व कारण बताओ नोटिस और अंतिम आदेश के बाद 15 दिन की अपील अवधि
(घ) 60 दिन का पूर्व नोटिस और 90 दिन की अपील अवधि
उत्तर: (ग)
व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि बिना वैध प्रक्रिया के दंडात्मक ध्वस्तीकरण असंवैधानिक है; कम-से-कम **15 दिनों का पूर्व कारण बताओ नोटिस**, व्यक्तिगत सुनवाई और अंतिम आदेश पारित होने के बाद न्यायिक अपील हेतु **15 दिनों का समय** देना अनिवार्य है (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

15. **तीन नए आपराधिक कानून — भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 — संपूर्ण भारत में किस तिथि से लागू हुए?**
(क) 25 दिसंबर 2023
(ख) 26 2026 संकलन
(ग) 1 2026 संकलन
(घ) 1 2026 संकलन
उत्तर: (घ)
व्याख्या: तीनों नए आपराधिक कानूनों को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये **1 2026 संकलन** से पूरे देश में लागू हुए (**इंडिया कोड — बीएनएस 2023**)।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

16. **भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में कुल कितने अध्याय और कितनी धाराएँ हैं?**
(क) 23 अध्याय और 511 धाराएँ
(ख) 20 अध्याय और 358 धाराएँ
(ग) 39 अध्याय और 531 धाराएँ
(घ) 12 अध्याय और 170 धाराएँ
उत्तर: (ख)
व्याख्या: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में कुल **20 अध्याय और 358 धाराएँ** हैं (जबकि पुरानी आईपीसी में 23 अध्याय और 511 धाराएँ थीं; बीएनएस में 39 अध्याय व 531 धाराएँ हैं; और बीएसए में 12 अध्याय व 170 धाराएँ हैं) (**इंडिया कोड — बीएनएस 2023**)।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

17. **भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 4 के अंतर्गत दंड के छठे प्रकार के रूप में किसे पहली बार वैधानिक रूप से जोड़ा गया है?**
(क) निर्वासन
(ख) सामुदायिक सेवा (सामुदायिक सेवा)
(ग) सार्वजनिक माफीनामा
(घ) नागरिक अधिकारों का निलंबन
उत्तर: (ख)
व्याख्या: बीएनएस की **धारा 4(च)** के अंतर्गत **'सामुदायिक सेवा' (सामुदायिक सेवा)** को छठे दंड के रूप में जोड़ा गया है, जिसे 6 छोटे अपराधों (जैसे ₹5,000 से कम की प्रथम चोरी, मानहानि, लोक सेवक को रोकने हेतु आत्महत्या का प्रयास आदि) में दिया जा सकता है (**इंडिया कोड — बीएनएस 2023**)।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

18. **भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की किस धारा ने औपनिवेशिक 'राजद्रोह' (आईपीसी धारा 124क) का स्थान लेते हुए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाया है?**
(क) धारा 111
(ख) धारा 113
(ग) धारा 152
(घ) धारा 197
उत्तर: (ग)
व्याख्या: बीएनएस में राजद्रोह को समाप्त कर **धारा 152** के तहत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान किया गया है (**इंडिया कोड — बीएनएस 2023**)।

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

19. **भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के तहत 'भीड़ द्वारा हत्या' (— जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर हत्या करता है) का दंड किस धारा में निर्धारित है?**
(क) धारा 101
(ख) धारा 103
(ग) धारा 106
(घ) धारा 112
उत्तर: (ख)
व्याख्या: बीएनएस की **धारा 103** सामान्य हत्या के दंड से संबंधित है, जबकि **धारा 103** विशेष रूप से 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर की गई हत्या (मॉब लिंचिंग) के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान करती है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

20. **भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में 'संगठित अपराध' और 'आतंकवादी कृत्य' को क्रमशः किन धाराओं में परिभाषित एवं दंडनीय बनाया गया है?**
(क) धारा 69 और धारा 70
(ख) धारा 103 और धारा 106
(ग) धारा 111 और धारा 113
(घ) धारा 303 और धारा 304
उत्तर: (ग)
व्याख्या: बीएनएस की **धारा 111** में संगठित अपराध, **धारा 112** में छोटे संगठित अपराध और **धारा 113** में आतंकवादी कृत्य का प्रावधान किया गया है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

21. **पुरानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की प्रसिद्ध 'धारा 420' (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करना) अब नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की किस धारा में है?**
(क) धारा 303
(ख) धारा 304
(ग) धारा 316
(घ) धारा 318
उत्तर: (घ)
व्याख्या: धोखाधड़ी से संबंधित प्रावधान अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की **धारा 318** में हैं (जबकि चोरी धारा 303 में, झपटमारी/स्नैचिंग धारा 304 में और आपराधिक न्यासभंग धारा 316 में है) (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

22. **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 की किस धारा के अंतर्गत 'जीरो एफआईआर' (शून्य प्राथमिकी) और 'ई-एफआईआर' (ई-प्राथमिकी) को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई है?**
(क) धारा 154
(ख) धारा 163
(ग) धारा 173
(घ) धारा 187
उत्तर: (ग)
व्याख्या: बीएनएस की **धारा 173** (जो पुरानी सीआरपीसी की धारा 154 का स्थान लेती है) थाना क्षेत्र की सीमा के बिना 'जीरो एफआईआर' दर्ज करने और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 'ई-एफआईआर' (3 दिनों में हस्ताक्षर करने पर) दर्ज करने को अनिवार्य बनाती है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

23. **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 176 के अनुसार, कितने वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों में घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ की जाँच और वीडियोग्राफी अनिवार्य की गई है?**
(क) 3 वर्ष या अधिक
(ख) 5 वर्ष या अधिक
(ग) 7 वर्ष या अधिक
(घ) केवल 10 वर्ष या आजीवन कारावास
उत्तर: (ग)
व्याख्या: बीएनएस की **धारा 176** के तहत **7 वर्ष या उससे अधिक कारावास** से दंडनीय सभी अपराधों में घटनास्थल पर फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ का जाना और उसकी मोबाइल/डिजिटल वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

24. **पुरानी सीआरपीसी की 'धारा 125' (पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश) तथा 'धारा 144' (आकस्मिक न्यूसेंस या खतरे में निषेधाज्ञा) अब नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 में क्रमशः किन धाराओं में हैं?**
(क) धारा 144 और धारा 163
(ख) धारा 125 और धारा 144
(ग) धारा 163 और धारा 173
(घ) धारा 187 और धारा 356
उत्तर: (क)
व्याख्या: नई बीएनएस में पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण का आदेश **धारा 144** में है, जबकि लोक व्यवस्था बनाए रखने हेतु निषेधाज्ञा/कर्फ्यू जारी करने की शक्ति **धारा 163** में है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

25. **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 479 के अनुसार, पहली बार अपराध करने वाला विचाराधीन कैदी (आजीवन कारावास या मृत्युदंड के मामलों को छोड़कर) अपने अपराध की अधिकतम निर्धारित सजा का कितना भाग जेल में बिताने के बाद जमानत का हकदार हो जाता है?**
(क) एक-चौथाई भाग
(ख) एक-तिहाई भाग
(ग) आधा भाग
(घ) दो-तिहाई भाग
उत्तर: (ख)
व्याख्या: बीएनएस की **धारा 479** के परंतुक के अनुसार, पहली बार अपराध करने वाले विचाराधीन कैदियों को अधिकतम सजा की **एक-तिहाई** अवधि हिरासत में पूरी करने पर न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा करने का प्रावधान है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

26. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 की किस धारा ने पुराने साक्ष्य अधिनियम की प्रसिद्ध 'धारा 65ख' का स्थान लेते हुए इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेखों की ग्राह्यता व प्रमाणपत्र का प्रावधान किया है?**
(क) धारा 57
(ख) धारा 61
(ग) धारा 63
(घ) धारा 106
उत्तर: (ग)
व्याख्या: भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 की **धारा 63** ने पुरानी धारा 65ख का स्थान लिया है, जबकि **धारा 57** इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य का दर्जा देती है और **धारा 61** इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अपरिवर्तनीय स्वीकार्यता सुनिश्चित करती है (इंडिया कोड — बीएसए 2023)।

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

27. **लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2026 संकलन के अंतर्गत संगठित रूप से प्रश्नपत्र लीक करने वाले गिरोह या सेवा प्रदाता के लिए निर्धारित दंड क्या है?**
(क) 1 से 3 वर्ष का कारावास और ₹5 लाख जुर्माना
(ख) 3 से 5 वर्ष का कारावास और ₹10 लाख जुर्माना
(ग) न्यूनतम 5 वर्ष से 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम ₹1 करोड़ का जुर्माना
(घ) केवल परीक्षा शुल्क की जब्ती और 2 वर्ष का प्रतिबंध
उत्तर: (ग)
व्याख्या: लोक परीक्षा अधिनियम, 2026 संकलन के तहत व्यक्तिगत अनुचित साधन अपराध पर 3 से 5 वर्ष कारावास व ₹10 लाख तक जुर्माना है, जबकि **संगठित परीक्षा अपराध** के लिए **न्यूनतम 5 से 10 वर्ष का कारावास और न्यूनतम ₹1 करोड़ का जुर्माना** निर्धारित है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

28. **दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार हेतु 'यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड' (सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि) का नया नाम क्या रखा गया है?**
(क) भारतनेट सर्वोच्च कोष
(ख) डिजिटल भारत निधि
(ग) प्रधानमंत्री दूरसंचार विकास निधि
(घ) राष्ट्रीय स्पेक्ट्रम कल्याण कोष
उत्तर: (ख)
व्याख्या: दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 24 के अंतर्गत 'यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड' (सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि) का पुनर्गठन कर उसे **'डिजिटल भारत निधि'** नाम दिया गया है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

29. **मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत तीन-सदस्यीय 'चयन समिति' में कौन-कौन शामिल होते हैं?**
(क) प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश) और लोकसभा में विपक्ष के नेता
(ख) प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री
(ग) प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता (विपक्ष के नेता) और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री
(घ) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री
उत्तर: (ग)
व्याख्या: 2023 के अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें **प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)**, **लोकसभा में विपक्ष के नेता**, और **प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री** शामिल होते हैं (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

30. **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा में विफल रहने या डेटा उल्लंघन की स्थिति में डेटा फिड्यूशियरी पर अधिकतम कितने रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है?**
(क) ₹10 करोड़ तक
(ख) ₹50 करोड़ तक
(ग) ₹100 करोड़ तक
(घ) ₹250 करोड़ तक
उत्तर: (घ)
व्याख्या: डीपीडीपी अधिनियम, 2023 की अनुसूची के तहत व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय न करने पर भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड द्वारा **₹250 करोड़ तक का मौद्रिक दंड (जुर्माना)** लगाया जा सकता है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

31. **संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित 16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष: डॉ. अरविंद पनगढ़िया) की पंचाट अवधि क्या है और इसमें राज्यों को केंद्रीय करों के विभाज्य पूल का कितना प्रतिशत ऊर्ध्वाधर हिस्सा देने की सिफारिश स्वीकार की गई है?**
(क) 2025–2030; 42 प्रतिशत
(ख) 2026–2031; 41 प्रतिशत
(ग) 2026–2031; 45 प्रतिशत
(घ) 2027–2032; 40 प्रतिशत
उत्तर: (ख)
व्याख्या: 16वें वित्त आयोग की पंचाट अवधि **1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 (2026–31)** है और केंद्रीय बजट 2026–27 के अनुसार सरकार ने विभाज्य कर पूल में राज्यों की ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी को **41 प्रतिशत** पर बनाए रखने की सिफारिश स्वीकार की है (केंद्रीय बजट 2026–27)।

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

32. **केंद्रीय बजट 2026–27 में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वित्त वर्ष 2026–27 (वित्त वर्ष 2026–27) के लिए राज्यों को ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन हेतु कुल कितने रुपये के 'वित्त आयोग अनुदान' का प्रावधान किया गया है?**
(क) ₹1.0 लाख करोड़
(ख) ₹1.4 लाख करोड़
(ग) ₹2.0 लाख करोड़
(घ) ₹2.5 लाख करोड़
उत्तर: (ख)
व्याख्या: बजट 2026–27 के मुख्य बिंदुओं के अनुसार, वित्त वर्ष 2026–27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में **₹1.4 लाख करोड़** का प्रावधान किया गया है (केंद्रीय बजट 2026–27)।

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

33. **भारत निर्वाचन आयोग (भारत निर्वाचन आयोग) द्वारा संचालित किस मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिक चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की लाइव फोटो/वीडियो शिकायत भेज सकते हैं जिसका निवारण 100 मिनट में किया जाता है?**
(क) सक्षम ऐप (सक्षम)
(ख) सुविधा ऐप (सुविधा)
(ग) सी-विजिल ऐप (सी-विजिल)
(घ) एनकोर ऐप (संशोधित अनुमान)
उत्तर: (ग)
व्याख्या: सी-विजिल (सी-विजिल — ') ऐप नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प युक्त शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है जिस पर फ्लाइंग स्क्वॉड द्वारा **100 मिनट** के भीतर कार्रवाई की जाती है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

34. **केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है?**
(क) सरकारिया समिति; 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
(ख) के. संथानम समिति (1962–64); 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
(ग) दिनेश गोस्वामी समिति; 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
(घ) वीरप्पा मोइली आयोग; 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु
उत्तर: (ख)
व्याख्या: सीवीसी की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर गठित **के. संथानम समिति (1962–64)** की सिफारिश पर 1964 में हुई और सीवीसी अधिनियम, 2003 के तहत इसका कार्यकाल **4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु** (जो भी पहले हो) निर्धारित है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

35. **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार, लोकपाल में अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और उनका कार्यकाल क्या है?**
(क) अधिकतम 4 सदस्य; 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु
(ख) अधिकतम 8 सदस्य; 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु
(ग) अधिकतम 10 सदस्य; 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु
(घ) अधिकतम 5 सदस्य; 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु
उत्तर: (ख)
व्याख्या: लोकपाल में एक अध्यक्ष और **अधिकतम 8 सदस्य** (जिनमें 50% न्यायिक सदस्य और 50% अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला होना अनिवार्य है) होते हैं तथा उनका कार्यकाल **5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

36. **प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग) के नवीनतम सीपीग्राम्स (सीपीग्राम्स) सुधारों के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा नागरिकों की लोक शिकायतों के निवारण की अधिकतम समय-सीमा घटाकर कितनी कर दी गई है?**
(क) 60 दिन
(ख) 45 दिन
(ग) 30 दिन
(घ) 21 दिन
उत्तर: (घ)
व्याख्या: सीपीग्राम्स के 10-चरणीय सुधारों के तहत लोक शिकायतों के समाधान की अधिकतम समय-सीमा को पहले के 30/45 दिनों से घटाकर अब **अधिकतम 21 दिन** कर दिया गया है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

37. **पंचायती राज मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भारतीय लोक प्रशासन संस्थान) द्वारा तैयार 'पंचायती राज हस्तांतरण सूचकांक' (हस्तांतरण सूचकांक) में राज्यों का मूल्यांकन कितने आयामों (आयामों) पर किया जाता है?**
(क) 3 आयाम
(ख) 4 आयाम
(ग) 6 आयाम (रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता निर्माण एवं जवाबदेही)
(घ) 10 आयाम
उत्तर: (ग)
व्याख्या: पंचायती राज हस्तांतरण सूचकांक में संविधान के अनुच्छेद 243छ के आलोक में **6 आयामों** — रूपरेखा (रूपरेखा), कार्य (कार्य), वित्त (वित्त), पदाधिकारी (पदाधिकारी), क्षमता निर्माण (क्षमता निर्माण) और जवाबदेही (जवाबदेही) — पर राज्यों की रैंकिंग की जाती है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

38. **भारतीय सिविल सेवकों को 'नियम-आधारित' (नियम-आधारित) से 'भूमिका-आधारित' (भूमिका-आधारित) मानव संसाधन प्रबंधन में रूपांतरित करने के लिए संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम क्या है?**
(क) मिशन कर्मयोगी (अनुसूचित जाति — आईगॉट कर्मयोगी)
(ख) मिशन इंद्रधनुष
(ग) मिशन वात्सल्य
(घ) मिशन अमानत
उत्तर: (क)
व्याख्या: मिशन कर्मयोगी (सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम — अनुसूचित जाति) सिविल सेवकों को नियम-आधारित से भूमिका-आधारित क्षमता निर्माण की ओर ले जाता है और इसके लिए **आईगॉट कर्मयोगी** डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यरत है (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

39. **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग) की सिफारिश पर सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता को मापने और सुधारने के लिए विकसित 'सेवोत्तम मॉडल' के तीन मुख्य घटक कौन-से हैं?**
(क) कराधान, अंकेक्षण और बजट निर्माण
(ख) नागरिक चार्टर (नागरिक अधिकार-पत्र), लोक शिकायत निवारण प्रणाली और सेवा वितरण क्षमता
(ग) पुलिस सुधार, न्यायिक नियुक्ति और जेल सुधार
(घ) भर्ती, पदोन्नति और पेंशन प्रबंधन
उत्तर: (ख)
व्याख्या: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और भारतीय मानक ब्यूरो (भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा विकसित **सेवोत्तम मॉडल** के तीन स्तंभ हैं: नागरिक चार्टर, लोक शिकायत निवारण तंत्र, और सेवा वितरण क्षमता में उत्कृष्टता (आईयूसी अकादमी)।

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

40. **18वीं लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म पूर्णतः सही सुमेलित है?**
(क) प्रोटेम स्पीकर: भर्तृहरि महताब \| लोकसभा अध्यक्ष: ओम बिरला \| लोकसभा में विपक्ष के नेता: राहुल गांधी
(ख) प्रोटेम स्पीकर: वीरेंद्र कुमार \| लोकसभा अध्यक्ष: सुमित्रा महाजन \| विपक्ष के नेता: मल्लिकार्जुन खड़गे
(ग) प्रोटेम स्पीकर: ओम बिरला \| लोकसभा अध्यक्ष: भर्तृहरि महताब \| विपक्ष के नेता: अधीर रंजन चौधरी
(घ) प्रोटेम स्पीकर: राजनाथ सिंह \| लोकसभा अध्यक्ष: ओम बिरला \| विपक्ष के नेता: के.सी. वेणुगोपाल
उत्तर: (क)
व्याख्या: 2026 संकलन में गठित 18वीं लोकसभा में **भर्तृहरि महताब** अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए, **ओम बिरला** लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए और **राहुल गांधी** लोकसभा में विपक्ष के नेता बने (पत्र सूचना कार्यालय)।

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

41. **24 नवंबर 2025 को 52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की?**
(क) न्यायमूर्ति संजीव खन्ना
(ख) न्यायमूर्ति सूर्य कांत
(ग) न्यायमूर्ति विक्रम नाथ
(घ) न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना
उत्तर: (ख)
व्याख्या: **न्यायमूर्ति सूर्य कांत** ने 24 नवंबर 2025 को **भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश** के रूप में शपथ ली; उनसे पूर्व **न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई 52वें मुख्य न्यायाधीश** और **न्यायमूर्ति संजीव खन्ना 51वें मुख्य न्यायाधीश** थे (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

42. **20 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ज) के अंतर्गत किस विधिक शब्द की परिभाषा और दायरे पर 48 वर्ष पुराने संदर्भ में अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया?**
(क) कर्मकार
(ख) उद्योग
(ग) छँटनी
(घ) समुचित सरकार
उत्तर: (ख)
व्याख्या: 20 अगस्त 2026 को **9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ** ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ज) के तहत **'उद्योग'** की परिभाषा पर अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

43. **अप्रैल 2026 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित 'जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026' द्वारा 79–80 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन कर कुल कितने प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाया गया है?**
(क) 183 प्रावधान
(ख) 350 प्रावधान
(ग) 512 प्रावधान
(घ) 717 प्रावधान
उत्तर: (घ)
व्याख्या: अप्रैल 2026 में संसद द्वारा पारित **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026** ने 23 मंत्रालयों के **79–80 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों** में संशोधन कर **717 प्रावधानों को अपराध-मुक्त** किया है (पत्र सूचना कार्यालय)।

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

44. **वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 द्वारा मूल वक्फ अधिनियम, 1995 की किस धारा को विलोपित किया गया, जो पहले वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने की एकपक्षीय शक्ति देती थी?**
(क) धारा 14
(ख) धारा 40
(ग) धारा 83
(घ) धारा 107
उत्तर: (ख)
व्याख्या: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 ने वक्फ अधिनियम, 1995 की **धारा 40** को समाप्त कर दिया, सरकारी भूमि विवादों की जाँच कलेक्टर से उच्च रैंक के अधिकारी को सौंपी और उच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील का प्रावधान किया (भारतीय संविधान)।

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

45. **1 फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत 16वें वित्त आयोग (2026–31) के प्रतिवेदन में राज्यों के बीच क्षैतिज कर हस्तांतरण सूत्र में 10 प्रतिशत भारांश के साथ कौन-सा बिल्कुल नया मानदंड जोड़ा गया है?**
(क) कर एवं राजकोषीय प्रयास
(ख) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान
(ग) डिजिटल अवसंरचना सूचकांक
(घ) मातृ मृत्यु दर में कमी
उत्तर: (ख)
व्याख्या: डॉ. अरविंद पनगढ़िया की अध्यक्षता वाले **16वें वित्त आयोग** ने कर प्रयास को हटाकर **'जीडीपी में योगदान' (10% भारांश)** नामक नया मानदंड जोड़ा है (आय अंतराल 42.5%, जनसंख्या 17.5%, जनसांख्यिकीय निष्पादन 10%, क्षेत्रफल 10%, वन एवं पारिस्थितिकी 10%) (केंद्रीय बजट)।

त्वरित पुनरावलोकन बिंदु (65 त्वरित पुनरावलोकन बिंदु — प्रथम खंड)

1. **106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (128वाँ संशोधन विधेयक):** नारी शक्ति वंदन अधिनियम — लोकसभा (अनुच्छेद 330क), राज्य विधानसभाओं (अनुच्छेद 332क) और दिल्ली विधानसभा (अनुच्छेद 239कक) में महिलाओं को 33% आरक्षण (भारतीय संविधान)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (1): **106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (128वाँ संशोधन विधेयक)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय संविधान)।

2. **अनुच्छेद 334क के तहत महिला आरक्षण की प्रारंभिक अवधि:** लागू होने की तिथि (नवीन जनगणना और परिसीमन के पश्चात्) से **15 वर्ष** तक (भारतीय संविधान)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (2): **अनुच्छेद 334क के तहत महिला आरक्षण की प्रारंभिक अवधि** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय संविधान)।

3. **105वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2021:** अनुच्छेद 342क में संशोधन कर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी **एसईबीसी/ओबीसी सूची** तैयार करने और अधिसूचित करने की शक्ति पुनः बहाल की गई (भारतीय संविधान)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (3): **105वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2021** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय संविधान)।

4. **104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019:** लोकसभा और विधानसभाओं में अजा/अजजा आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया तथा अनुच्छेद 331 व 333 के तहत **आंग्ल-भारतीय (आंग्ल-भारतीय) मनोनयन** समाप्त किया गया (भारतीय संविधान)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (4): **104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय संविधान)।

5. **103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019:** अनुच्छेद 15 और 16 जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10% आरक्षण (जनहित अभियान बनाम भारत संघ, 2022 में 3:2 से वैध घोषित) (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (5): **103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

6. **102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018:** अनुच्छेद 338ख जोड़कर **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी)** को संवैधानिक दर्जा दिया गया (भारतीय संविधान)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (6): **102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय संविधान)।

7. **101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016:** वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत और **अनुच्छेद 279क** के तहत जीएसटी परिषद का गठन (भारतीय संविधान)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (7): **101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय संविधान)।

8. **100वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2015:** भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते (एनक्लेव का आदान-प्रदान) का क्रियान्वयन (भारतीय संविधान)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (8): **100वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2015** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय संविधान)।

9. **'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च-स्तरीय समिति (2023–2024):** पूर्व राष्ट्रपति **राम नाथ कोविंद** की अध्यक्षता में गठित; 18,626 पृष्ठों की रिपोर्ट में द्वि-चरणीय समकालिक चुनावों की सिफारिश (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (9): **'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च-स्तरीय समिति (2023–2024)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

10. **समकालिक चुनावों हेतु प्रस्तावित नए अनुच्छेद: अनुच्छेद 82क** (लोकसभा व विधानसभा कार्यकाल का समेकन) और **अनुच्छेद 324क** (100 दिनों के भीतर पंचायत व नगरपालिका चुनाव) (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (10): **समकालिक चुनावों हेतु प्रस्तावित नए अनुच्छेद** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

11. **पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2026 संकलन — 7-न्यायाधीश पीठ, 6:1 बहुमत):* ई.वी. चिन्नैया* निर्णय पलटा गया; राज्यों को अनुभवजन्य आँकड़ों के आधार पर **अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप-वर्गीकरण (उप-वर्गीकरण)** का संवैधानिक अधिकार (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

12. **एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) बनाम भारत संघ (2026 संकलन — 5-न्यायाधीश पीठ, 5:0): **अनुच्छेद 19(क) के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार के उल्लंघन पर** इलेक्टोरल बॉन्ड योजना** असंवैधानिक घोषित (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

13. **सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2026 संकलन — 7-न्यायाधीश पीठ, 7:0):* पी.वी. नरसिम्हा राव* निर्णय पलटा गया; अनुच्छेद 105 व 194 के तहत वोट या भाषण के लिए रिश्वत लेने वाले सांसद/विधायक को आपराधिक मुकदमे से कोई छूट नहीं (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

14. **प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026 संकलन — 9-न्यायाधीश पीठ, 8:1): **प्रत्येक निजी संपत्ति को स्वतः अनुच्छेद 39(ख) के तहत** 'समुदाय का भौतिक संसाधन'** नहीं माना जा सकता (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

15. **मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सेल (2026 संकलन — 9-न्यायाधीश पीठ, 8:1):** खनन रॉयल्टी 'कर' नहीं है; राज्य सूची की प्रविष्टि 49 व 50 के तहत राज्यों को खनिज भूमि पर कर लगाने का अधिकार (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

16. **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य (2026 संकलन — 9-न्यायाधीश पीठ, 8:1): **राज्य सूची की प्रविष्टि 8 ('नशीली मदिरा') में** औद्योगिक अल्कोहल** भी शामिल है; राज्यों को इसके नियमन की शक्ति (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

17. **अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल (2026 संकलन — 7-न्यायाधीश पीठ, 4:3):* अजीज बाशा* निर्णय पलटा गया; कानून (कानून) द्वारा निगमित संस्थान भी अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

18. **अनुच्छेद 370 के संदर्भ में (अनुच्छेद 370 के संदर्भ में) (दिसंबर 2023 — 5-न्यायाधीश पीठ, 5:0):** अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

19. **सनोफी इंडिया लिमिटेड बनाम सीबीआई (सितंबर 2026):* कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व और निदेशकों पर मेंस रिया* के आरोपण हेतु प्रत्यक्ष भूमिका व वैधानिक प्रावधान अनिवार्य (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

20. **'बुलडोजर न्याय' के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2026 संकलन):** बिना 15 दिन के पूर्व कारण बताओ नोटिस, व्यक्तिगत सुनवाई और 15 दिन की अपील अवधि के किसी भी संपत्ति का ध्वस्तीकरण अवैध और असंवैधानिक (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (20): **'बुलडोजर न्याय' के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2026 संकलन)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**भारत का सर्वोच्च न्यायालय**)।

21. **भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 (अधिनियम संख्यांक 45/2023):** 1 2026 संकलन से लागू; पुरानी आईपीसी (511 धाराएँ, 23 अध्याय) के स्थान पर अब **358 धाराएँ और 20 अध्याय** (**इंडिया कोड — बीएनएस 2023**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (21): **भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 (अधिनियम संख्यांक 45/2023)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**इंडिया कोड**)।

22. **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 (अधिनियम संख्यांक 46/2023):** 1 2026 संकलन से लागू; पुरानी सीआरपीसी (484 धाराएँ, 37 अध्याय) के स्थान पर अब **531 धाराएँ और 39 अध्याय** (**इंडिया कोड — बीएनएस 2023**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (22): **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 (अधिनियम संख्यांक 46/2023)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**इंडिया कोड**)।

23. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 (अधिनियम संख्यांक 47/2023):** 1 2026 संकलन से लागू; पुराने साक्ष्य अधिनियम 1872 (167 धाराएँ, 11 अध्याय) के स्थान पर अब **170 धाराएँ और 12 अध्याय** (**इंडिया कोड — बीएसए 2023**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (23): **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 (अधिनियम संख्यांक 47/2023)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**इंडिया कोड**)।

24. **बीएनएस की धारा 2:** सभी विधिक परिभाषाओं (बालक, ट्रांसजेंडर, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आदि) का वर्णानुक्रम में एक ही धारा में समेकन (**इंडिया कोड — बीएनएस 2023**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (24): **बीएनएस की धारा 2** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**इंडिया कोड**)।

25. **बीएनएस की धारा 4(च) — 'सामुदायिक सेवा' (सामुदायिक सेवा):** पहली बार छठे वैधानिक दंड के रूप में शामिल; 6 छोटे अपराधों (धारा 202, 209, 226, 303, 355 और 356) में प्रयोज्य (**इंडिया कोड — बीएनएस 2023**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (25): **बीएनएस की धारा 4(च) — 'सामुदायिक सेवा' (सामुदायिक सेवा)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**इंडिया कोड**)।

26. **बीएनएस की धारा 63 और 64:** बलात्कार की परिभाषा और दंड (पुरानी आईपीसी 375 व 376 का स्थान); पत्नी की सहमति अपवाद आयु वैधानिक रूप से **18 वर्ष** निर्धारित (**इंडिया कोड — बीएनएस 2023**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (26): **बीएनएस की धारा 63 और 64** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**इंडिया कोड**)।

27. **बीएनएस की धारा 69:** पहचान छुपाकर या विवाह/नौकरी के झूठे वादे से यौन संबंध बनाने पर **10 वर्ष तक कारावास** का नया प्रावधान (**इंडिया कोड — बीएनएस 2023**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (27): **बीएनएस की धारा 69** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**इंडिया कोड**)।

28. **बीएनएस की धारा 70:** 18 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार पर शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास या **मृत्युदंड** (**इंडिया कोड — बीएनएस 2023**)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (28): **बीएनएस की धारा 70** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (**इंडिया कोड**)।

29. **बीएनएस की धारा 80 और धारा 85:** क्रमशः दहेज मृत्यु (पुरानी 304ख) और पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (पुरानी 498क) से संबंधित (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (29): **बीएनएस की धारा 80 और धारा 85** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

30. **बीएनएस की धारा 103 और 103:** धारा 103 में हत्या का दंड (पुरानी 302); **धारा 103** में 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा **मॉब लिंचिंग** पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (30): **बीएनएस की धारा 103 और 103** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

31. **बीएनएस की धारा 106:** लापरवाही से मृत्यु कारित करने (पुरानी 304क) पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर **5 वर्ष** की गई (चिकित्सकीय प्रक्रिया में डॉक्टरों हेतु 2 वर्ष) (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (31): **बीएनएस की धारा 106** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

32. **बीएनएस की धारा 111, 112 और 113:** क्रमशः **संगठित अपराध** (धारा 111), **छोटे संगठित अपराध** (धारा 112) और **आतंकवादी कृत्य** (धारा 113) के नए दंडात्मक प्रावधान (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (32): **बीएनएस की धारा 111, 112 और 113** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

33. **बीएनएस की धारा 152:** राजद्रोह (आईपीसी 124क) को हटाकर **भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता** को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर आजीवन या 7 वर्ष तक कारावास (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (33): **बीएनएस की धारा 152** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

34. **बीएनएस की धारा 303, 304 और 318:** क्रमशः चोरी (धारा 303), **झपटमारी / चेन स्नैचिंग (नई धारा 304)** और धोखाधड़ी (धारा 318 — पुरानी धारा 420) (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (34): **बीएनएस की धारा 303, 304 और 318** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

35. **बीएनएस की धारा 144 बनाम धारा 163:** बीएनएस की **धारा 144** पत्नी, संतान व माता-पिता के भरण-पोषण (पुरानी सीआरपीसी 125) से जुड़ी है, जबकि निषेधाज्ञा/कर्फ्यू (पुरानी सीआरपीसी 144) अब **बीएनएस की धारा 163** में है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (35): **बीएनएस की धारा 144 बनाम धारा 163** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

36. **बीएनएस की धारा 173:** किसी भी पुलिस थाने में **जीरो एफआईआर (शून्य प्राथमिकी)** और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से **ई-एफआईआर (ई-प्राथमिकी — 3 दिन में हस्ताक्षर)** दर्ज करने का वैधानिक अधिकार (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (36): **बीएनएस की धारा 173** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

37. **बीएनएस की धारा 176: 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास** वाले सभी अपराधों में घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञ की जाँच और वीडियोग्राफी अनिवार्य (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (37): **बीएनएस की धारा 176** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

38. **बीएनएस की धारा 187:** कुल 60 या 90 दिनों की न्यायिक हिरासत के **प्रारंभिक 40 या 60 दिनों** के भीतर कभी भी टुकड़ों में कुल 15 दिनों की पुलिस हिरासत (पुलिस रिमांड) की अनुमति (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (38): **बीएनएस की धारा 187** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

39. **बीएनएस की धारा 356 (अनुपस्थिति में विचारण):** घोषित भगोड़े अपराधियों (घोषित अपराधियों) की अनुपस्थिति में ही वारंट के 90 दिनों बाद मुकदमा चलाने और सजा सुनाने का प्रावधान (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (39): **बीएनएस की धारा 356 (अनुपस्थिति में विचारण)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

40. **बीएनएस की धारा 472:** मृत्युदंड के मामलों में जेल अधीक्षक द्वारा सूचित किए जाने के **30 दिनों** के भीतर राष्ट्रपति/राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर करने की समय-सीमा (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (40): **बीएनएस की धारा 472** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

41. **बीएनएस की धारा 482 और धारा 528:** अग्रिम जमानत (पुरानी सीआरपीसी 438) अब **धारा 482** में है, और उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति (पुरानी सीआरपीसी 482) अब **धारा 528** में है (इंडिया कोड — बीएनएस 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (41): **बीएनएस की धारा 482 और धारा 528** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

42. **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 की धारा 57, 61 और 63:** इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को **प्राथमिक साक्ष्य (धारा 57)**, पूर्ण विधिक मान्यता (धारा 61) और हैश-वैल्यू प्रमाणपत्र (धारा 63 — पुरानी 65ख) का प्रावधान (इंडिया कोड — बीएसए 2023)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (42): **भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 की धारा 57, 61 और 63** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (इंडिया कोड)।

43. **लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024:** संगठित पेपर लीक अपराध पर **5 से 10 वर्ष का कारावास और न्यूनतम ₹1 करोड़ का जुर्माना**; सभी अपराध संज्ञेय व गैर-जमानती (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (43): **लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

44. **दूरसंचार अधिनियम, 2023:** 1885 के टेलीग्राफ अधिनियम का स्थान लिया; उपग्रह ब्रॉडबैंड (उपग्रह संचार) हेतु प्रशासनिक स्पेक्ट्रम आवंटन और सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का नया नाम **'डिजिटल भारत निधि'** (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (44): **दूरसंचार अधिनियम, 2023** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

45. **मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023:** चयन समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता (विपक्ष के नेता) और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (45): **मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

46. **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023:** भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन; डेटा उल्लंघन पर **₹250 करोड़ तक** का जुर्माना (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (46): **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

47. **प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम (प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम), 2023:** 1867 के औपनिवेशिक प्रेस अधिनियम को निरस्त कर 'प्रेस सेवा पोर्टल' द्वारा 60 दिनों में ऑनलाइन पंजीकरण (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (47): **प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण अधिनियम (प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम), 2023** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

48. **18वीं लोकसभा के संवैधानिक पदाधिकारी:** अध्यक्ष — **ओम बिरला**; प्रोटेम स्पीकर — **भर्तृहरि महताब**; विपक्ष के नेता (विपक्ष के नेता) — **राहुल गांधी** (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (48): **18वीं लोकसभा के संवैधानिक पदाधिकारी** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

49. **पुराने संसद भवन का आधिकारिक नया नाम: 'संविधान सदन' (संविधान सदन)** (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (49): **पुराने संसद भवन का आधिकारिक नया नाम** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

50. **16वाँ वित्त आयोग (अनुच्छेद 280):** अध्यक्ष — **डॉ. अरविंद पनगढ़िया**; सचिव — **ऋत्विक रंजनम पांडे**; पंचाट अवधि — **1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031** (केंद्रीय बजट 2026–27)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (50): **16वाँ वित्त आयोग (अनुच्छेद 280)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

51. **16वें वित्त आयोग का ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण (बजट 2026–27):** केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी **41 प्रतिशत** पर बरकरार रखी गई (केंद्रीय बजट 2026–27)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (51): **16वें वित्त आयोग का ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण (बजट 2026–27)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

52. **बजट 2026–27 में वित्त आयोग अनुदान:** वित्त वर्ष 2026–27 (वित्त वर्ष 2026–27) के लिए राज्यों को ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन हेतु **₹1.4 लाख करोड़** का आवंटन (केंद्रीय बजट 2026–27)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (52): **बजट 2026–27 में वित्त आयोग अनुदान** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

53. **भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख डिजिटल ऐप्स: सी-विजिल (सी-विजिल)** — 100 मिनट में आचार संहिता शिकायत निवारण; **सुविधा (सुविधा)** — उम्मीदवार अनुमति पोर्टल; **सक्षम (सक्षम)** — दिव्यांग मतदाता ऐप (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (53): **भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख डिजिटल ऐप्स** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

54. **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी — अनुच्छेद 148):** कार्यकाल **6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**; संसद की लोक लेखा समिति (लोक लेखा समिति — 22 सदस्य) के 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' (भारतीय संविधान)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (54): **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी — अनुच्छेद 148)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय संविधान)।

55. **केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) बनाम लोकपाल कार्यकाल:** सीवीसी का कार्यकाल **4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु**, जबकि लोकपाल का कार्यकाल **5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु** (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (55): **केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) बनाम लोकपाल कार्यकाल** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

56. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी — 2019 संशोधन):** कार्यकाल **3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु**; सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष बनने के पात्र (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (56): **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी — 2019 संशोधन)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

57. **मिशन कर्मयोगी (अनुसूचित जाति) एवं आईगॉट प्लेटफॉर्म:** सिविल सेवकों का 'नियम-आधारित' से **'भूमिका-आधारित' (भूमिका-आधारित)** मानव संसाधन विकास (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (57): **मिशन कर्मयोगी (अनुसूचित जाति) एवं आईगॉट प्लेटफॉर्म** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

58. **सीपीग्राम्स (सीपीग्राम्स) शिकायत निवारण समय-सीमा:** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों में निवारण की अधिकतम अवधि घटाकर **21 दिन** की गई (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (58): **सीपीग्राम्स (सीपीग्राम्स) शिकायत निवारण समय-सीमा** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

59. **पंचायती राज हस्तांतरण सूचकांक (हस्तांतरण सूचकांक):** पंचायती राज मंत्रालय एवं भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा **6 आयामों** (रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता निर्माण व जवाबदेही) पर मूल्यांकन (पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी))।

• परीक्षा विशेष बिंदु (59): **पंचायती राज हस्तांतरण सूचकांक (हस्तांतरण सूचकांक)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

60. **स्वामित्व योजना (24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस):** ड्रोन तकनीक द्वारा ग्रामीण आबादी भूमि का सर्वेक्षण कर ग्रामीणों को विधिक **'संपत्ति कार्ड' (घरौनी)** का वितरण (पत्र सूचना कार्यालय)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (60): **स्वामित्व योजना (24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

61. **भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (24 नवंबर 2025 को शपथ): न्यायमूर्ति सूर्य कांत** (52वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई और 51वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के उत्तराधिकारी) (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (61): **भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (24 नवंबर 2025 को शपथ)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

62. **'उद्योग' की परिभाषा पर 9-न्यायाधीश संविधान पीठ का निर्णय (20 अगस्त 2026):** औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(ज) के तहत **'उद्योग'** की व्याख्या पर ऐतिहासिक निर्णय (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (62): **'उद्योग' की परिभाषा पर 9-न्यायाधीश संविधान पीठ का निर्णय (20 अगस्त 2026)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

63. **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (अप्रैल 2026 में पारित):** 79–80 केंद्रीय अधिनियमों के **784 प्रावधानों में संशोधन कर 717 प्रावधानों को गैर-आपराधिक** बनाया गया (पत्र सूचना कार्यालय)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (63): **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (अप्रैल 2026 में पारित)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (पत्र सूचना कार्यालय)।

64. **वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025: धारा 40 विलोपित**, 1923 का अधिनियम निरस्त, बोर्डों में **2 गैर-मुस्लिम व 2 मुस्लिम महिला सदस्य** अनिवार्य और उच्च न्यायालय में **90 दिनों में अपील** का अधिकार (भारतीय संविधान)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (64): **वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (भारतीय संविधान)।

65. **16वें वित्त आयोग का क्षैतिज हस्तांतरण सूत्र (2026–31): आय अंतराल, जनसंख्या 2011, जनसांख्यिकीय निष्पादन, क्षेत्रफल, वन एवं पारिस्थितिकी** और **जीडीपी में योगदान** (केंद्रीय बजट)।

• परीक्षा विशेष बिंदु (65): **16वें वित्त आयोग का क्षैतिज हस्तांतरण सूत्र (2026–31)** से संबंधित यह आधिकारिक तथ्य वर्ष 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है (केंद्रीय बजट पोर्टल)।

व्यापक विश्लेषणात्मक तथ्य सारणी एवं बहु-कथन परीक्षा सत्यापन अभ्यास

क्र.	प्रमुख विषय / क्षेत्र	मुख्य प्रावधान / सूचकांक / मिशन	सत्यापित आधिकारिक तथ्य एवं परीक्षा बिंदु
1	**संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव**	**101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016**	अनुच्छेद 246क, 269क, 279क; 6वीं व 7वीं अनुसूची — वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत और केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद का गठन (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
2	**संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव**	**102वाँ एवं 105वाँ संशोधन अधिनियम**	अनुच्छेद 338ख, 342क एवं 366(26ग) — 102वें संशोधन से एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा; 105वें संशोधन से राज्यों को अपनी एसईबीसी/ओबीसी सूची बनाने का अधिकार बहाल (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
3	**संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव**	**103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019**	अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16 — सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण (जनहित अभियान वाद में वैध घोषित) (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
4	**संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव**	**104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019**	अनुच्छेद 334, 331 एवं 333 — अजा/अजजा आरक्षण 2030 तक विस्तारित; लोकसभा में 2 और विधानसभाओं में 1 आंग्ल-भारतीय मनोनयन का प्रावधान समाप्त (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
5	**संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव**	**106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023**	अनुच्छेद 239कक, 330क, 332क एवं 334क — लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर आरक्षण (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
6	**संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव**	**'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रथम विधेयक (लोकसभा व विधानसभा)**	प्रस्तावित अनुच्छेद 82क, 83 एवं 172 — नियत तिथि से विधानसभाओं के कार्यकाल का लोकसभा के साथ समेकन तथा भंग होने पर केवल 'अवशिष्ट कार्यकाल' हेतु चुनाव (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
7	**संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव**	**'एक राष्ट्र, एक चुनाव' द्वितीय विधेयक (स्थानीय निकाय)**	प्रस्तावित अनुच्छेद 324क एवं संशोधित अनुच्छेद 325 — पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव 100 दिनों के भीतर तथा भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से एकल मतदाता सूची व एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
8	**वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष**	**पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2026 संकलन)**	7-न्यायाधीश पीठ (6:1 बहुमत) — अनुच्छेद 14, 15, 16, 341 एवं 342 (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
9	**वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष**	**एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2026 संकलन)**	5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) — अनुच्छेद 19(क) एवं अनुच्छेद 14 (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
10	**वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष**	**सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2026 संकलन)**	7-न्यायाधीश पीठ (7:0 सर्वसम्मत) — अनुच्छेद 105 एवं अनुच्छेद 194 (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
11	**वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष**	**अनुच्छेद 370 के संदर्भ में (अनुच्छेद 370 के संदर्भ में) (दिसंबर 2023)**	5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) — अनुच्छेद 1, 3, 356 एवं 370 (भाग) (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
12	**वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष**	**सुप्रियो बनाम भारत संघ (अक्टूबर 2023)**	5-न्यायाधीश पीठ — अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
13	**वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष**	**अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (मार्च 2023)**	5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) — अनुच्छेद 324 (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
14	**वाद का नाम एवं निर्णय तिथि**	**प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026 संकलन)**	9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत) — अनुच्छेद 39(ख), 31ग एवं 300क (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
15	**वाद का नाम एवं निर्णय तिथि**	**मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सेल (सेल) (2026 संकलन)**	9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत) — 7वीं अनुसूची: राज्य सूची प्रविष्टि 49 व 50 बनाम संघ सूची प्रविष्टि 54 (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
16	**वाद का नाम एवं निर्णय तिथि**	**उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य (2026 संकलन)**	9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत) — 7वीं अनुसूची: राज्य सूची प्रविष्टि 8 बनाम संघ सूची प्रविष्टि 52 (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
17	**वाद का नाम एवं निर्णय तिथि**	**अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल (2026 संकलन)**	7-न्यायाधीश पीठ (4:3 बहुमत) — अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान) (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)
18	**वाद का नाम एवं निर्णय तिथि**	**सनोफी इंडिया लिमिटेड बनाम सीबीआई (सितंबर 2026)**	सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ — कॉर्पोरेट आपराधिक विधि एवं दंड संहिता (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)**)

क्र.	प्रमुख विषय / क्षेत्र	मुख्य प्रावधान / सूचकांक / मिशन	सत्यापित आधिकारिक तथ्य एवं परीक्षा बिंदु
19	**वाद का नाम एवं निर्णय तिथि**	**बुलडोजर ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश वाद (2026 संकलन)**	सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (अनुच्छेद 142) — अनुच्छेद 14, 21 एवं 300क तथा शक्तियों का पृथक्करण (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
20	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**सभी परिभाषाएँ**	धारा 6 से 52 (अलग-अलग धाराएँ) — धारा 2 (उप-खंड 1 से 39) (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
21	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**सामान्य आशय**	धारा 34 — धारा 3 (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
22	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**दंड के प्रकार (+ सामुदायिक सेवा)**	धारा 53 (5 प्रकार के दंड) — धारा 4 (6 प्रकार के दंड) (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
23	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**बलात्कार की परिभाषा एवं दंड**	धारा 375 एवं धारा 376 — धारा 63 एवं धारा 64 (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
24	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**सामूहिक बलात्कार एवं नाबालिग से अपराध**	धारा 376घ एवं 376घ/ — धारा 70 एवं धारा 70 (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
25	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**विवाह/रोजगार के झूठे वादे से यौन संबंध**	कोई विशिष्ट पृथक धारा नहीं — धारा 69 (नया प्रावधान) (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
26	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**दहेज मृत्यु एवं क्रूरता**	धारा 304ख एवं धारा 498क — धारा 80 एवं धारा 85 (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
27	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**आपराधिक मानव वध एवं हत्या**	धारा 299 व 300 (दंड: 302) — धारा 100 व 101 (दंड: धारा 103) (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
28	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**लापरवाही से मृत्यु**	धारा 304क (2 वर्ष कारावास) — धारा 106 एवं धारा 106 (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
29	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**संगठित अपराध एवं आतंकवादी कृत्य**	आईपीसी में कोई विशिष्ट धारा नहीं थी — धारा 111 एवं धारा 113 (नए प्रावधान) (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
30	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध अपराध**	धारा 124क (राजद्रोह — निरस्त) — धारा 152 (नया प्रावधान) (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
31	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**विदुर/गैरकानूनी जमाव व दंगा**	धारा 141 व धारा 146 — धारा 189 एवं धारा 191 (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
32	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**चोरी, स्नैचिंग, लूट व डकैती**	धारा 378/379, 390, 391 — धारा 303, 304, 309 एवं 310 (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
33	**अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण**	**धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग व मानहानि**	धारा 415/420, 405, 499/500 — धारा 318, धारा 316 एवं धारा 356 (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
34	**प्रक्रियात्मक / साक्ष्य प्रावधान**	**कुल अध्याय एवं धाराएँ**	सीआरपीसी: 37 अध्याय, 484 धाराएँ \ — भारतीय साक्ष्य अधिनियम: 11 अध्याय, 167 धाराएँ (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))
35	**प्रक्रियात्मक / साक्ष्य प्रावधान**	**निःशस्त्र जमाव को तितर-बितर करना एवं निषेधाज्ञा ('धारा 144')**	सीआरपीसी की प्रसिद्ध धारा 144 — बीएनएस की धारा 163 (भारतीय संविधान (विधायी विभाग))

बहु-कथन परीक्षा सत्यापन अभ्यास (कथन-I एवं कथन-II परीक्षण)

अभ्यास प्रश्न #1 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 1. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016):** संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव के संदर्भ में 101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 का सही विवरण अनुच्छेद 246क, 269क, 279क; 6वीं व 7वीं अनुसूची है। **कथन-II (102वाँ एवं 105वाँ संशोधन अधिनियम):** संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव के संदर्भ में 102वाँ एवं 105वाँ संशोधन अधिनियम का सही विवरण अनुच्छेद 338ख, 342क एवं 366(26ग) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016: अनुच्छेद 246क, 269क, 279क; 6वीं व 7वीं अनुसूची**) और कथन-II (**102वाँ एवं 105वाँ संशोधन अधिनियम: अनुच्छेद 338ख, 342क एवं 366(26ग)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #2 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019):** संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव के संदर्भ में 103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 का सही विवरण अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16 है। **कथन-II (104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019):** संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव के संदर्भ में 104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 का सही विवरण अनुच्छेद 334, 331 एवं 333 है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019: अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16**) और कथन-II (**104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019: अनुच्छेद 334, 331 एवं 333**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #3 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 3. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023):** संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव के संदर्भ में 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 का सही विवरण अनुच्छेद 239कक, 330क, 332क एवं 334क है। **कथन-II ('एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रथम विधेयक (लोकसभा व विधानसभा)):** संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव के संदर्भ में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रथम विधेयक (लोकसभा व विधानसभा) का सही विवरण प्रस्तावित अनुच्छेद 82क, 83 एवं 172 है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023: अनुच्छेद 239कक, 330क, 332क एवं 334क**) और कथन-II (**'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रथम विधेयक (लोकसभा व विधानसभा): प्रस्तावित अनुच्छेद 82क, 83 एवं 172**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #4 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 4. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I ('एक राष्ट्र, एक चुनाव' द्वितीय विधेयक (स्थानीय निकाय)):** संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव के संदर्भ में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' द्वितीय विधेयक (स्थानीय निकाय) का सही विवरण प्रस्तावित अनुच्छेद 324क एवं संशोधित अनुच्छेद 325 है। *कथन-*II* (पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2026 संकलन)): वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष के संदर्भ में पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2026 संकलन) का सही विवरण 7-न्यायाधीश पीठ (6:1 बहुमत) है। (*A*) केवल कथन-*I* सही है (*B*) केवल कथन-*II* सही है (*C*) कथन-*I* और कथन-*II* दोनों सही हैं (*D*) न तो कथन-*I* और न ही कथन-*II* सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-*I* (**'एक राष्ट्र, एक चुनाव' द्वितीय विधेयक (स्थानीय निकाय): प्रस्तावित अनुच्छेद 324क एवं संशोधित अनुच्छेद 325**) और कथन-*II* (*पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2026 संकलन): 7-न्यायाधीश पीठ (6:1 बहुमत)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #5 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 5. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: *कथन-*I* (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2026 संकलन)): वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष के संदर्भ में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2026 संकलन) का सही विवरण 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) है। कथन-*II* (सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2026 संकलन)): वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष के संदर्भ में सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2026 संकलन) का सही विवरण 7-न्यायाधीश पीठ (7:0 सर्वसम्मत) है। (*A*) केवल कथन-*I* सही है (*B*) केवल कथन-*II* सही है (*C*) कथन-*I* और कथन-*II* दोनों सही हैं (*D*) न तो कथन-*I* और न ही कथन-*II* सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-*I* (*एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2026 संकलन): 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत)**) और कथन-II (**सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2026 संकलन): 7-न्यायाधीश पीठ (7:0 सर्वसम्मत)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #6 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 6. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: *कथन-I (अनुच्छेद 370 के संदर्भ में (अनुच्छेद 370 के संदर्भ में) (दिसंबर 2023)): वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष के संदर्भ में अनुच्छेद 370 के संदर्भ में (अनुच्छेद 370 के संदर्भ में) (दिसंबर 2023) का सही विवरण 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) है। कथन-II (सुप्रियो बनाम भारत संघ (अक्टूबर 2023)): वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष के संदर्भ में सुप्रियो बनाम भारत संघ (अक्टूबर 2023) का सही विवरण 5-न्यायाधीश पीठ है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (*अनुच्छेद 370 के संदर्भ में (अनुच्छेद 370 के संदर्भ में) (दिसंबर 2023): 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत)) **और कथन-II (**सुप्रियो बनाम भारत संघ (अक्टूबर 2023): 5-न्यायाधीश पीठ**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)** एवं **IUC Academy**)।

अभ्यास प्रश्न #7 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 7. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: *कथन-I (अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (मार्च 2023)): वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष के संदर्भ में अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (मार्च 2023) का सही विवरण 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) है। कथन-II (प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026 संकलन)): वाद का नाम एवं निर्णय तिथि के संदर्भ में प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026 संकलन) का सही विवरण 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (*अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (मार्च 2023): 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत)) **और कथन-II (**प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026 संकलन): 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)** एवं **IUC Academy**)।

अभ्यास प्रश्न #8 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 8. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: *कथन-I (मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सेल (सेल) (2026 संकलन)): वाद का नाम एवं निर्णय तिथि के संदर्भ में मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सेल (सेल) (2026 संकलन) का सही विवरण 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत) है। कथन-II (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य (2026 संकलन)): वाद का नाम एवं निर्णय तिथि के संदर्भ में उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य (2026 संकलन) का सही विवरण 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (*मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सेल (सेल) (2026 संकलन): 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत)) **और कथन-II (**उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य (2026 संकलन): 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)** एवं **IUC Academy**)।

अभ्यास प्रश्न #9 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 9. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: *कथन-I (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल (2026 संकलन)): वाद का नाम एवं निर्णय तिथि के संदर्भ में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल (2026 संकलन) का सही विवरण 7-न्यायाधीश पीठ (4:3 बहुमत) है। कथन-II (सनोफी इंडिया लिमिटेड बनाम सीबीआई (सितंबर 2026)): वाद का नाम एवं निर्णय तिथि के संदर्भ में सनोफी इंडिया लिमिटेड बनाम सीबीआई (सितंबर 2026) का सही विवरण सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (*अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल (2026 संकलन): 7-न्यायाधीश पीठ (4:3 बहुमत)) **और कथन-II (**सनोफी इंडिया लिमिटेड बनाम सीबीआई (सितंबर 2026): सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)** एवं **IUC Academy**)।

अभ्यास प्रश्न #10 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 10. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: *कथन-I (बुलडोजर ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश वाद (2026 संकलन)): वाद का नाम एवं निर्णय तिथि के संदर्भ में बुलडोजर ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश वाद (2026 संकलन) का सही विवरण सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (अनुच्छेद 142) है। **कथन-II (सभी परिभाषाएँ):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में सभी परिभाषाएँ का सही विवरण धारा 6 से 52 (अलग-अलग धाराएँ) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (*बुलडोजर ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश वाद (2026 संकलन): सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (अनुच्छेद 142)) **और कथन-II (**सभी परिभाषाएँ: धारा 6 से 52 (अलग-अलग धाराएँ)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)** एवं **IUC Academy**)।

अभ्यास प्रश्न #11 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 11. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (सामान्य आशय):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में सामान्य आशय का सही विवरण धारा 34 है। **कथन-II (दंड के प्रकार (+ सामुदायिक सेवा)):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में दंड के प्रकार (+ सामुदायिक सेवा) का सही विवरण धारा 53 (5 प्रकार के दंड) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**सामान्य आशय: धारा 34**) और कथन-II (**दंड के प्रकार (+ सामुदायिक सेवा): धारा 53 (5 प्रकार के दंड)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (**भारतीय संविधान (विधायी विभाग)** एवं **IUC Academy**)।

अभ्यास प्रश्न #12 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 12. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (बलात्कार की परिभाषा एवं दंड):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में बलात्कार की परिभाषा एवं दंड का सही विवरण धारा 375 एवं धारा 376 है। **कथन-II (सामूहिक बलात्कार एवं नाबालिग से अपराध):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में सामूहिक बलात्कार एवं नाबालिग से अपराध का सही विवरण धारा 376घ एवं 376घ/ है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**बलात्कार की परिभाषा एवं दंड: धारा 375 एवं धारा 376**) और कथन-II (**सामूहिक बलात्कार एवं नाबालिग से अपराध: धारा 376घ एवं 376घ**/) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #13 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 13. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (विवाह/रोजगार के झूठे वादे से यौन संबंध):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में विवाह/रोजगार के झूठे वादे से यौन संबंध का सही विवरण कोई विशिष्ट पृथक धारा नहीं है। **कथन-II (दहेज मृत्यु एवं क्रूरता):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में दहेज मृत्यु एवं क्रूरता का सही विवरण
धारा 304ख एवं धारा 498क है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**विवाह/रोजगार के झूठे वादे से यौन संबंध: कोई विशिष्ट पृथक धारा नहीं**) और कथन-II (**दहेज मृत्यु एवं क्रूरता: धारा 304ख एवं धारा 498क**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #14 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 14. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (आपराधिक मानव वध एवं हत्या):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में आपराधिक मानव वध एवं हत्या का सही विवरण धारा 299 व 300 (दंड: 302) है। **कथन-II (लापरवाही से मृत्यु):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में लापरवाही से मृत्यु का सही विवरण धारा 304क (2 वर्ष कारावास) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**आपराधिक मानव वध एवं हत्या: धारा 299 व 300 (दंड: 302)**) और कथन-II (**लापरवाही से मृत्यु: धारा 304क (2 वर्ष कारावास)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #15 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 15. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (संगठित अपराध एवं आतंकवादी कृत्य):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में संगठित अपराध एवं आतंकवादी कृत्य का सही विवरण आईपीसी में कोई विशिष्ट धारा नहीं थी है। **कथन-II (देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध अपराध):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध अपराध का सही विवरण धारा 124क (राजद्रोह — निरस्त) है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**संगठित अपराध एवं आतंकवादी कृत्य: आईपीसी में कोई विशिष्ट धारा नहीं थी**) और कथन-II (**देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध अपराध: धारा 124क (राजद्रोह — निरस्त)**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #16 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 16. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (विदुर/गैरकानूनी जमाव व दंगा):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में विदुर/गैरकानूनी जमाव व दंगा का सही विवरण धारा 141 व धारा 146 है। **कथन-II (चोरी, स्नैचिंग, लूट व डकैती):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में चोरी, स्नैचिंग, लूट व डकैती का सही विवरण धारा 378/379, 390, 391 है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**विदुर/गैरकानूनी जमाव व दंगा: धारा 141 व धारा 146**) और कथन-II (**चोरी, स्नैचिंग, लूट व डकैती: धारा 378/379, 390, 391**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #17 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 17. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग व मानहानि):** अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण के संदर्भ में धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग व मानहानि का सही विवरण धारा 415/420, 405, 499/500 है। **कथन-II (कुल अध्याय एवं धाराएँ):** प्रक्रियात्मक / साक्ष्य प्रावधान के संदर्भ में कुल अध्याय एवं धाराएँ का सही विवरण सीआरपीसी: 37 अध्याय, 484 धाराएँ \ है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग व मानहानि: धारा 415/420, 405, 499/500**) और कथन-II (**कुल अध्याय एवं धाराएँ: सीआरपीसी: 37 अध्याय, 484 धाराएँ** \) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)।

अभ्यास प्रश्न #18 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 18. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए: **कथन-I (निःशस्त्र जमाव को तितर-बितर करना एवं निषेधाज्ञा ('धारा 144')):** प्रक्रियात्मक / साक्ष्य प्रावधान के संदर्भ में निःशस्त्र जमाव को तितर-बितर करना एवं निषेधाज्ञा ('धारा 144') का सही विवरण सीआरपीसी की प्रसिद्ध धारा 144 है। **कथन-II (संज्ञेय अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी)):** प्रक्रियात्मक / साक्ष्य प्रावधान के संदर्भ में संज्ञेय अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) का सही विवरण सीआरपीसी धारा 154 है। (A) केवल कथन-I सही है (B) केवल कथन-II सही है (C) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं (D) न तो कथन-I और न ही कथन-II सही है **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक संदर्भों के अनुसार कथन-I (**निःशस्त्र जमाव को तितर-बितर करना एवं निषेधाज्ञा ('धारा 144'): सीआरपीसी की प्रसिद्ध धारा 144**) और कथन-II (**संज्ञेय अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी): सीआरपीसी धारा 154**) दोनों पूर्णतः सत्य हैं (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)।

अतिरिक्त उच्च-स्तरीय तुलनात्मक अभ्यास प्रश्नोत्तरी

अभ्यास प्रश्न #19 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 46. 'संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव' एवं 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' के संदर्भ में, **'101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) अनुच्छेद 246क, 269क, 279क; 6वीं व 7वीं अनुसूची (B) अनुच्छेद 338ख, 342क एवं 366(26ग) (C) अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16 (D) अनुच्छेद 334, 331 एवं 333 **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016'** (संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव) का सही 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' **अनुच्छेद 246क, 269क, 279क; 6वीं व 7वीं अनुसूची** है। विशेष तथ्य: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत और केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद का गठन। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #20 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 47. 'संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव' एवं 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' के संदर्भ में, **'102वाँ एवं 105वाँ संशोधन अधिनियम'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16 (B) अनुच्छेद 338ख, 342क एवं 366(26ग) (C) अनुच्छेद 334, 331 एवं 333 (D) अनुच्छेद 239कक, 330क, 332क एवं 334क **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'102वाँ एवं 105वाँ संशोधन अधिनियम'** (संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव) का सही 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' **अनुच्छेद 338ख, 342क एवं 366(26ग)** है। विशेष तथ्य: 102वें संशोधन से एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा; 105वें संशोधन से राज्यों को अपनी एसईबीसी/ओबीसी सूची बनाने का अधिकार बहाल। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #21 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 48. 'संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव' एवं 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' के संदर्भ में, **'103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) अनुच्छेद 334, 331 एवं 333 (B) अनुच्छेद 239कक, 330क, 332क एवं 334क (C) अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16 (D) प्रस्तावित अनुच्छेद 82क, 83 एवं 172 **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'103वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019'** (संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव) का सही 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' **अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16** है। विशेष तथ्य: सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण (जनहित अभियान वाद में वैध घोषित)। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #22 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 49. 'संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव' एवं 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' के संदर्भ में, **'104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) अनुच्छेद 239कक, 330क, 332क एवं 334क (B) प्रस्तावित अनुच्छेद 82क, 83 एवं 172 (C) प्रस्तावित अनुच्छेद 324क एवं संशोधित अनुच्छेद 325 (D) अनुच्छेद 334, 331 एवं 333 **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'104वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2019'** (संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव) का सही 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' **अनुच्छेद 334, 331 एवं 333** है। विशेष तथ्य: अजा/अजजा आरक्षण 2030 तक विस्तारित; लोकसभा में 2 और विधानसभाओं में 1 आंग्ल-भारतीय मनोनयन का प्रावधान समाप्त। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #23 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 50. 'संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव' एवं 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' के संदर्भ में, **'106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) अनुच्छेद 239कक, 330क, 332क एवं 334क (B) प्रस्तावित अनुच्छेद 82क, 83 एवं 172 (C) प्रस्तावित अनुच्छेद 324क एवं संशोधित अनुच्छेद 325 (D) 7-न्यायाधीश पीठ (6:1 बहुमत) **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023'** (संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव) का सही 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' **अनुच्छेद 239कक, 330क, 332क एवं 334क** है। विशेष तथ्य: लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% (एक-तिहाई) क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर आरक्षण। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #24 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 51. 'संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव' एवं 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' के संदर्भ में, **''एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रथम विधेयक (लोकसभा व विधानसभा)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) प्रस्तावित अनुच्छेद 324क एवं संशोधित अनुच्छेद 325 (B) प्रस्तावित अनुच्छेद 82क, 83 एवं 172 (C) 7-न्यायाधीश पीठ (6:1 बहुमत) (D) 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) **उत्तर: (B) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **''एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रथम विधेयक (लोकसभा व विधानसभा)'** (संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव) का सही 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' **प्रस्तावित अनुच्छेद 82क, 83 एवं 172** है। विशेष तथ्य: नियत तिथि से विधानसभाओं के कार्यकाल का लोकसभा के साथ समेकन तथा भंग होने पर केवल 'अवशिष्ट कार्यकाल' हेतु चुनाव। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #25 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 52. 'संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव' एवं 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' के संदर्भ में, **''एक राष्ट्र, एक चुनाव' द्वितीय विधेयक (स्थानीय निकाय)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 7-न्यायाधीश पीठ (6:1 बहुमत) (B) 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) (C) प्रस्तावित अनुच्छेद 324क एवं संशोधित अनुच्छेद 325 (D) 7-न्यायाधीश पीठ (7:0 सर्वसम्मत) **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **''एक राष्ट्र, एक चुनाव' द्वितीय विधेयक (स्थानीय निकाय)'** (संवैधानिक संशोधन / सुधार प्रस्ताव) का सही 'संबंधित अनुच्छेद / अनुसूची' **प्रस्तावित अनुच्छेद 324क एवं संशोधित अनुच्छेद 325** है। विशेष तथ्य: पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव 100 दिनों के भीतर तथा भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से एकल मतदाता सूची व एकल मतदाता फोटो पहचान पत्र। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #26 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 53. 'वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष' एवं 'संविधान पीठ का आकार' के संदर्भ में, *'पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2026 संकलन)' **के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) (B) 7-न्यायाधीश पीठ (7:0 सर्वसम्मत) (C) 5-न्यायाधीश पीठ (D) 7-न्यायाधीश पीठ (6:1 बहुमत)** उत्तर: (D) | व्याख्या: **आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार** 'पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2026 संकलन)' **(वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष) का सही 'संविधान पीठ का आकार'** 7-न्यायाधीश पीठ (6:1 बहुमत)* है। विशेष तथ्य: अनुच्छेद 14, 15, 16, 341 एवं 342। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #27 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 54. 'वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष' एवं 'संविधान पीठ का आकार' के संदर्भ में, *'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2026 संकलन)' **के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) (B) 7-न्यायाधीश पीठ (7:0 सर्वसम्मत) (C) 5-न्यायाधीश पीठ (D) 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत)** उत्तर: (A) | व्याख्या: **आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार** 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2026 संकलन)' **(वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष) का सही 'संविधान पीठ का आकार'** 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत)* है। विशेष तथ्य: अनुच्छेद 19(क) एवं अनुच्छेद 14। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #28 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 55. 'वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष' एवं 'संविधान पीठ का आकार' के संदर्भ में, *'सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2026 संकलन)' **के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) (B) 7-न्यायाधीश पीठ (7:0 सर्वसम्मत) (C) 5-न्यायाधीश पीठ (D) 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत)** उत्तर: (B) | व्याख्या: **आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार** 'सीता सोरेन बनाम भारत संघ (2026 संकलन)' **(वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष) का सही 'संविधान पीठ का आकार'** 7-न्यायाधीश पीठ (7:0 सर्वसम्मत)* है। विशेष तथ्य: अनुच्छेद 105 एवं अनुच्छेद 194। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #29 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 56. 'वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष' एवं 'संविधान पीठ का आकार' के संदर्भ में, *'अनुच्छेद 370 के संदर्भ में (अनुच्छेद 370 के संदर्भ में) (दिसंबर 2023)' **के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 5-न्यायाधीश पीठ (B) 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत) (C) 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं** उत्तर: (C) | व्याख्या: **आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार** 'अनुच्छेद 370 के संदर्भ में (अनुच्छेद 370 के संदर्भ में) (दिसंबर 2023)' **(वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष) का सही 'संविधान पीठ का आकार'** 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत)* है। विशेष तथ्य: अनुच्छेद 1, 3, 356 एवं 370 (भाग)। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #30 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 57. 'वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष' एवं 'संविधान पीठ का आकार' के संदर्भ में, *'सुप्रियो बनाम भारत संघ (अक्टूबर 2023)' **के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) (B) 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत) (C) 7-न्यायाधीश पीठ (4:3 बहुमत) (D) 5-न्यायाधीश पीठ** उत्तर: (D) | व्याख्या: **आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार** 'सुप्रियो बनाम भारत संघ (अक्टूबर 2023)' **(वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष) का सही 'संविधान पीठ का आकार'** 5-न्यायाधीश पीठ* है। विशेष तथ्य: अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #31 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 58. 'वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष' एवं 'संविधान पीठ का आकार' के संदर्भ में, *'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (मार्च 2023)' **के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत) (B) 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत) (C) 7-न्यायाधीश पीठ (4:3 बहुमत) (D) सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ** उत्तर: *(A) | व्याख्या:* **आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार** 'अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (मार्च 2023)' **(वाद का नाम एवं निर्णय वर्ष) का सही 'संविधान पीठ का आकार'** *5-न्यायाधीश पीठ (5:0 सर्वसम्मत)** है। विशेष तथ्य: अनुच्छेद 324। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #32 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 59. 'वाद का नाम एवं निर्णय तिथि' एवं 'पीठ की संरचना' के संदर्भ में, *'प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026 संकलन)' **के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 7-न्यायाधीश पीठ (4:3 बहुमत) (B) 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत) (C) सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (D) सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (अनुच्छेद 142)** उत्तर: *(B) | व्याख्या:* **आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार** 'प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2026 संकलन)' **(वाद का नाम एवं निर्णय तिथि) का सही 'पीठ की संरचना'** *9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत)** है। विशेष तथ्य: अनुच्छेद 39(ख), 31ग एवं 300क। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #33 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 60. 'वाद का नाम एवं निर्णय तिथि' एवं 'पीठ की संरचना' के संदर्भ में, *'मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सेल (सेल) (2026 संकलन)' **के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 7-न्यायाधीश पीठ (4:3 बहुमत) (B) सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (C) 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत) (D) सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (अनुच्छेद 142)** उत्तर: *(C) | व्याख्या:* **आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार** 'मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम सेल (सेल) (2026 संकलन)' **(वाद का नाम एवं निर्णय तिथि) का सही 'पीठ की संरचना'** *9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत)** है। विशेष तथ्य: 7वीं अनुसूची: राज्य सूची प्रविष्टि 49 व 50 बनाम संघ सूची प्रविष्टि 54। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #34 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 61. 'वाद का नाम एवं निर्णय तिथि' एवं 'पीठ की संरचना' के संदर्भ में, *'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य (2026 संकलन)' **के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 7-न्यायाधीश पीठ (4:3 बहुमत) (B) सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (C) सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (अनुच्छेद 142) (D) 9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत)** उत्तर: *(D) | व्याख्या:* **आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार** 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम ललता प्रसाद वैश्य (2026 संकलन)' **(वाद का नाम एवं निर्णय तिथि) का सही 'पीठ की संरचना'** *9-न्यायाधीश पीठ (8:1 बहुमत)** है। विशेष तथ्य: 7वीं अनुसूची: राज्य सूची प्रविष्टि 8 बनाम संघ सूची प्रविष्टि 52। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #35 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 62. 'वाद का नाम एवं निर्णय तिथि' एवं 'पीठ की संरचना' के संदर्भ में, *'अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल (2026 संकलन)' **के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) 7-न्यायाधीश पीठ (4:3 बहुमत) (B) सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (C) सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (अनुच्छेद 142) (D) धारा 6 से 52 (अलग-अलग धाराएँ)** उत्तर: *(A) | व्याख्या:* **आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार** 'अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल (2026 संकलन)' **(वाद का नाम एवं निर्णय तिथि) का सही 'पीठ की संरचना'** *7-न्यायाधीश पीठ (4:3 बहुमत)** है। विशेष तथ्य: अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान)। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #36 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 63. 'वाद का नाम एवं निर्णय तिथि' एवं 'पीठ की संरचना' के संदर्भ में, *'सनोफी इंडिया लिमिटेड बनाम सीबीआई (सितंबर 2026)' **के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (अनुच्छेद 142) (B) सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (C) धारा 6 से 52 (अलग-अलग धाराएँ) (D) धारा 34** उत्तर: *(B) | व्याख्या:* **आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार** 'सनोफी इंडिया लिमिटेड बनाम सीबीआई (सितंबर 2026)' **(वाद का नाम एवं निर्णय तिथि) का सही 'पीठ की संरचना'** सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ* है। विशेष तथ्य: कॉर्पोरेट आपराधिक विधि एवं दंड संहिता। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #37 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 64. 'वाद का नाम एवं निर्णय तिथि' एवं 'पीठ की संरचना' के संदर्भ में, *'बुलडोजर ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश वाद (2026 संकलन)' **के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) धारा 6 से 52 (अलग-अलग धाराएँ) (B) धारा 34 (C) सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (अनुच्छेद 142) (D) धारा 53 (5 प्रकार के दंड)** उत्तर: *(C) | व्याख्या:* **आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार** 'बुलडोजर ध्वस्तीकरण दिशानिर्देश वाद (2026 संकलन)' **(वाद का नाम एवं निर्णय तिथि) का सही 'पीठ की संरचना'** सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ (अनुच्छेद 142)* है। विशेष तथ्य: अनुच्छेद 14, 21 एवं 300क तथा शक्तियों का पृथक्करण। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #38 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 65. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'सभी परिभाषाएँ'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) धारा 34 (B) धारा 53 (5 प्रकार के दंड) (C) धारा 375 एवं धारा 376 (D) धारा 6 से 52 (अलग-अलग धाराएँ) **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'सभी परिभाषाएँ'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **धारा 6 से 52 (अलग-अलग धाराएँ)** है। विशेष तथ्य: धारा 2 (उप-खंड 1 से 39)। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #39 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 66. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'सामान्य आशय'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) धारा 34 (B) धारा 53 (5 प्रकार के दंड) (C) धारा 375 एवं धारा 376 (D) धारा 376घ एवं 376घ/ **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'सामान्य आशय'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **धारा 34** है। विशेष तथ्य: धारा 3। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #40 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 67. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'दंड के प्रकार (+ सामुदायिक सेवा)'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) धारा 375 एवं धारा 376 (B) धारा 53 (5 प्रकार के दंड) (C) धारा 376घ एवं 376घ/ (D) कोई विशिष्ट पृथक धारा नहीं **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'दंड के प्रकार (+ सामुदायिक सेवा)'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **धारा 53 (5 प्रकार के दंड)** है। विशेष तथ्य: धारा 4 (6 प्रकार के दंड)। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #41 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 68. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'बलात्कार की परिभाषा एवं दंड'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) धारा 376घ एवं 376घ/ (B) कोई विशिष्ट पृथक धारा नहीं (C) धारा 375 एवं धारा 376 (D) धारा 304ख एवं धारा 498क **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'बलात्कार की परिभाषा एवं दंड'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **धारा 375 एवं धारा 376** है। विशेष तथ्य: धारा 63 एवं धारा 64। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #42 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 69. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'सामूहिक बलात्कार एवं नाबालिग से अपराध'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) कोई विशिष्ट पृथक धारा नहीं (B) धारा 304ख एवं धारा 498क (C) धारा 299 व 300 (दंड: 302) (D) धारा 376घ एवं 376घ/ **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'सामूहिक बलात्कार एवं नाबालिग से अपराध'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **धारा 376घ एवं 376घ/** है। विशेष तथ्य: धारा 70 एवं धारा 70। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #43 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 70. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'विवाह/रोजगार के झूठे वादे से यौन संबंध'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) कोई विशिष्ट पृथक धारा नहीं (B) धारा 304ख एवं धारा 498क (C) धारा 299 व 300 (दंड: 302) (D) धारा 304क (2 वर्ष कारावास) **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'विवाह/रोजगार के झूठे वादे से यौन संबंध'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **कोई विशिष्ट पृथक धारा नहीं** है। विशेष तथ्य: धारा 69 (नया प्रावधान)। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #44 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 71. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'दहेज मृत्यु एवं क्रूरता'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) धारा 299 व 300 (दंड: 302) (B) धारा 304ख एवं धारा 498क (C) धारा 304क (2 वर्ष कारावास) (D) आईपीसी में कोई विशिष्ट धारा नहीं थी **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'दहेज मृत्यु एवं क्रूरता'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **धारा 304ख एवं धारा 498क** है। विशेष तथ्य: धारा 80 एवं धारा 85। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #45 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 72. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'आपराधिक मानव वध एवं हत्या'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) धारा 304क (2 वर्ष कारावास) (B) आईपीसी में कोई विशिष्ट धारा नहीं थी (C) धारा 299 व 300 (दंड: 302) (D) धारा 124क (राजद्रोह — निरस्त) **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'आपराधिक मानव वध एवं हत्या'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **धारा 299 व 300 (दंड: 302)** है। विशेष तथ्य: धारा 100 व 101 (दंड: धारा 103)। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #46 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 73. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'लापरवाही से मृत्यु'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) आईपीसी में कोई विशिष्ट धारा नहीं थी (B) धारा 124क (राजद्रोह — निरस्त) (C) धारा 141 व धारा 146 (D) धारा 304क (2 वर्ष कारावास) **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'लापरवाही से मृत्यु'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **धारा 304क (2 वर्ष कारावास)** है। विशेष तथ्य: धारा 106 एवं धारा 106। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #47 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 74. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'संगठित अपराध एवं आतंकवादी कृत्य'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) आईपीसी में कोई विशिष्ट धारा नहीं थी (B) धारा 124क (राजद्रोह — निरस्त) (C) धारा 141 व धारा 146 (D) धारा 378/379, 390, 391 **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'संगठित अपराध एवं आतंकवादी कृत्य'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **आईपीसी में कोई विशिष्ट धारा नहीं थी** है। विशेष तथ्य: धारा 111 एवं धारा 113 (नए प्रावधान)। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #48 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 75. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध अपराध'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) धारा 141 व धारा 146 (B) धारा 124क (राजद्रोह — निरस्त) (C) धारा 378/379, 390, 391 (D) धारा 415/420, 405, 499/500 **उत्तर: (B)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के विरुद्ध अपराध'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **धारा 124क (राजद्रोह — निरस्त)** है। विशेष तथ्य: धारा 152 (नया प्रावधान)। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #49 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 76. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'विदुर/गैरकानूनी जमाव व दंगा'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) धारा 378/379, 390, 391 (B) धारा 415/420, 405, 499/500 (C) धारा 141 व धारा 146 (D) सीआरपीसी: 37 अध्याय, 484 धाराएँ \ **उत्तर: (C)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'विदुर/गैरकानूनी जमाव व दंगा'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **धारा 141 व धारा 146** है। विशेष तथ्य: धारा 189 एवं धारा 191। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #50 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 77. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'चोरी, स्नैचिंग, लूट व डकैती'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही
सुमेलित है? (A) धारा 415/420, 405, 499/500 (B) सीआरपीसी: 37 अध्याय, 484 धाराएँ \ (C) सीआरपीसी की प्रसिद्ध धारा 144 (D) धारा 378/379, 390, 391 **उत्तर: (D)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'चोरी, स्नैचिंग, लूट व डकैती'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **धारा 378/379, 390, 391** है। विशेष तथ्य: धारा 303, 304, 309 एवं 310। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #51 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 78. 'अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण' एवं 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' के संदर्भ में, **'धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग व मानहानि'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) धारा 415/420, 405, 499/500 (B) सीआरपीसी: 37 अध्याय, 484 धाराएँ \ (C) सीआरपीसी की प्रसिद्ध धारा 144 (D) सीआरपीसी धारा 154 **उत्तर: (A)** | **व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग व मानहानि'** (अपराध / विधिक प्रावधान का विवरण) का सही 'पुरानी आईपीसी, 1860 की धारा' **धारा 415/420, 405, 499/500** है। विशेष तथ्य: धारा 318, धारा 316 एवं धारा 356। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #52 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 79. 'प्रक्रियात्मक / साक्ष्य प्रावधान' एवं 'पुराना कानून (सीआरपीसी 1973 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872)' के संदर्भ में, **'कुल अध्याय एवं धाराएँ'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) सीआरपीसी की प्रसिद्ध धारा 144 (B) सीआरपीसी: 37 अध्याय, 484 धाराएँ \ (C) सीआरपीसी धारा 154 (D) सीआरपीसी में अनिवार्य नहीं थी **उत्तर: (B) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'कुल अध्याय एवं धाराएँ'** (प्रक्रियात्मक / साक्ष्य प्रावधान) का सही 'पुराना कानून (सीआरपीसी 1973 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872)' **सीआरपीसी: 37 अध्याय, 484 धाराएँ** \ है। विशेष तथ्य: भारतीय साक्ष्य अधिनियम: 11 अध्याय, 167 धाराएँ। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)

अभ्यास प्रश्न #53 परीक्षा उपयोगी प्रश्न

प्रश्न 80. 'प्रक्रियात्मक / साक्ष्य प्रावधान' एवं 'पुराना कानून (सीआरपीसी 1973 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872)' के संदर्भ में, **'निःशस्त्र जमाव को तितर-बितर करना एवं निषेधाज्ञा ('धारा 144')'** के साथ निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही सुमेलित है? (A) सीआरपीसी धारा 154 (B) सीआरपीसी में अनिवार्य नहीं थी (C) सीआरपीसी की प्रसिद्ध धारा 144 (D) सीआरपीसी धारा 100 / 165 **उत्तर: (C) | व्याख्या:** आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार **'निःशस्त्र जमाव को तितर-बितर करना एवं निषेधाज्ञा ('धारा 144')'** (प्रक्रियात्मक / साक्ष्य प्रावधान) का सही 'पुराना कानून (सीआरपीसी 1973 / भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872)' **सीआरपीसी की प्रसिद्ध धारा 144** है। विशेष तथ्य: बीएनएस की धारा 163। (भारतीय संविधान (विधायी विभाग) एवं IUC Academy)